

**Uttar Pradesh Shasan  
Shram Anubhag - 2**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. **251** /36-2-2026-14(G)/2020 dated: **10-03-2026**

**NOTIFICATION**

No. **251** / 36-2-2026  
Lucknow, Dated: **10-03-2026**

WHEREAS the Government of Uttar Pradesh had framed the draft subsequent in the enactment of the Industrial Relations Code, 2020 (Act no. 35 of 2020) Uttar Pradesh Industrial Relation Rules, 2021 which was published in the Official Gazette vide Notification no. 205/36-2-2021-14(G)/2020 dated 18 February, 2021 inviting objections and suggestions thereon as required under section 99 of the aforesaid Code;

AND WHEREAS after considering objections and suggestions received in respect of the aforesaid draft rules, the final Uttar Pradesh Industrial Relation Rules, 2021, were published in the Official Gazette vide Notification no. 1825/36-2-2021-14(G)/2020 dated 06 October, 2021 however the said rules were not brought into force, as the Industrial Relations Code, 2020 was not operational at that time;

AND WHEREAS, vide notification number S.O. 5320 (E) dated 2<sup>nd</sup> November, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section-3 (ii) all the provisions of the Industrial Relations Code, 2020 (Act no. 35 of 2020) have been brought into the force;

AND WHEREAS, after commencement of the aforesaid Code, the Central Government has published a new draft of the Industrial Relation (Central) Rules, 2025 vide Notification no. GSR 930(E) dated 30 December, 2025 published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub-section (i);

AND WHEREAS, upon the operationalisation of the Industrial Relations Code, 2020 and publication of the draft Industrial Relation (Central) Rules, 2025 by the Government of India, it has become necessary for the State Government to

frame, publish, finalise and notify the corresponding rules in the state of Uttar Pradesh afresh in order to ensure consistency with the operational framework of the aforesaid and Central Rules, 2025;

NOW THEREFORE, the following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sub-section (1) of section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 (Act No. 35 of 2020) read with section 24 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and in supersession of the,-

1. Uttar Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1946;
2. Uttar Pradesh Trade Union Regulation, 1927;
3. The Industrial Disputes (Uttar Pradesh) Rules, 1976;
4. The Uttar Pradesh Industrial Relations Rules, 2021;

Except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby published as required by sub-section (1) of section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 for information of all person likely to be affected thereby and with a view to invite objections and suggestions in respect thereof;

All objections or suggestions with respect to the said rules, if any, may be submitted within 30 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, to the Principal Secretary, Labour Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow and Labour Commissioner, Kanpur, Uttar Pradesh in a column-wise proforma containing the following details;

- i. The name and address of the person/organization;
- ii. rule or sub-rule which is proposed to be modified; and
- iii. revised rule or sub-rule proposed to be substituted and reasons therefor;

### **DRAFT RULE**

### **The Uttar Pradesh Industrial Relations Rules, 2026**

#### **CHAPTER-I**

#### **PRELIMINARY**

|   |            |  |
|---|------------|--|
| <b>S h o r t<br/>title,<br/>extent<br/>and<br/>commencement</b> | <b>1.</b>  | These rules may be called the Uttar Pradesh Industrial Relations Rules, 2026.                |
|   | <b>(1)</b> |  |
|   | <b>(2)</b> | They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.   |
|   | <b>(3)</b> | They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette. |
| <b>Definitions</b>  | <b>2.</b>  | In these rules, unless the context otherwise requires,-                                      |

|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>(1)</b></p> <p>(a) "Code" means the Industrial Relations Code, 2020 (Act No. 35 of 2020);</p> <p>(b) "electronically" means any information submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purposes of the Code;</p> <p>(c) "Form" means a form appended to the Schedule to these rules;</p> <p>(d) "Section" means a section of the Code.</p>   |
|   | <p><b>(2)</b> Words and expressions used in these rules which are not defined, but are defined in the Code, shall have their respective meanings assigned to them in the Code.</p>  |
| <p><b>Written Agreement for the settlement under clause (zi) of section 2</b></p> | <p><b>3. Memorandum of settlement-</b></p> <p>(1) The settlement arrived at in the course of conciliation proceedings or a written agreement between the employer and worker arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be in Form I.</p> <p>(2) The settlement shall be signed,—</p> <p>(a) by the employer or by his authorized agent, or where the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other principal officer of such company or such other body corporate; and</p> <p>(b) on behalf of workers, by any of the following office bearers of Trade Union, namely:—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. President; or</li> <li>ii. Vice-President; or</li> <li>iii. Secretary (including the General Secretary); or</li> <li>iv. Joint Secretary; or</li> <li>v. any other office bearer of the Trade Union authorised in this behalf by the President and Secretary of the Union; or</li> <li>vi. five representatives of workers duly authorised in this behalf at the meeting of the workers held for the purpose.</li> </ol> |

(3) In case of an industrial dispute between individual worker and employer, the settlement shall be signed by the employer and the worker concerned.

(4) Where the settlement is arrived at in the course of conciliation proceedings, the conciliation officer shall send a report thereof to the State Government together with a copy of the memorandum of settlement signed by the parties to the dispute.

(5) Where a settlement is arrived at between an employer and his worker otherwise than in the course of conciliation proceedings, the parties to the settlement shall jointly send a copy thereof electronically or by speed post or by registered post, to the concerned Additional/Deputy Labour Commissioner and to the conciliation officer.

(6) The conciliation officer shall file all settlements effected under the Code in respect of industrial disputes in the area within his jurisdiction in the register maintained electronically or otherwise.

(7) The register referred to in sub-rule (6) shall contain the details including serial number, name of the industry, parties to the settlement, date of settlement, remarks and whether settlement was arrived at after the intervention of conciliation officer or by mutual negotiation:

Provided that signature of conciliation officer on the agreement shall not be necessary where the agreement for settlement is arrived at outside conciliation:

Provided further that nothing in this rule shall prohibit a settlement between a worker or workers or Trade Union and an employer on mutually agreed terms and such settlement may be in a format other than **Form I.**

-

**CHAPTER-II**  
**BI-PARTITE FORUMS**

-

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Constitution of Works Committee etc. under section 3</b></p> | <p><b>4. Constitution of Works Committee:</b> Every employer to whom an order made under sub-section (1) of section 3 applies, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee (hereinafter in this rule referred to as the "committee") in the manner as is specified in the following sub-rules.</p>   |
|  | <p><b>(1) The number of members:</b> The number of members in the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the industrial establishment:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that the total number of members of the Works Committee shall not exceed twenty:</p> <p style="padding-left: 80px;">Provided further that the number of representatives of the worker in the Works Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein.</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided also that the industrial establishment in which women workers are employed shall have adequate representation of women workers in Works Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment.</p> |
|  | <p><b>(2) Representation of Employer:</b> Subject to the provisions of this Rule, the representatives of the employer in the Works Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with, the working of the industrial establishment.</p>  |
|  | <p><b>(3) Consultation with Trade Union :</b> Where the workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union, the employer shall ask such registered Trade Union to inform him in writing as to –</p> <p style="padding-left: 40px;">(a) the number of the workers who are members of such registered Trade Union or Trade Unions; and</p> <p style="padding-left: 40px;">(b) where an employer has reason to believe that the information furnished to him under clause (a) by the registered Trade Union is false, he may,</p>  |

after informing such Trade Union, refer the matter to the Regional Additional/ Deputy Labour Commissioner who shall, after hearing the parties, decide the matter and his decision shall be final.

**(5) Group of Worker's representative's:** On receipt of the information called for under sub-rule (4), the employer shall provide for the choosing of worker's representative of the Committee in the following manner, namely:

(a) in the case of a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14, such negotiating union shall nominate the worker's representatives of the Committee;

(b) in the case of the negotiating council under sub-Section (4) of Section 14, the nomination shall be in such manner that every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be represented in the Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;

(c) where there is no recognised negotiating union or negotiating council referred to in clauses (a) and (b), the workers of the industrial establishment shall elect amongst themselves the worker's representatives of the Committee:

Provided that the employer may, deploy an electronic platform for conducting the election process over an information technology application, online platform or such other platform to enable as to how the representatives of workers shall be elected for the Committee under this clause:

Provided further that where a registered Trade Union fails to furnish the information called for under sub-rule (4) within one month of the date on which it is so called for, then, such Trade Union shall for the purpose of this rule be treated as if it did not exist:

Provided also that where any reference has been made by the employer under sub-rule (4), the

|  |   |
|--|---|
|  | <p>process of choosing the worker's representative relating thereto shall be held on receipt of the decision of the concerned Regional Additional/Deputy Labour Commissioner.</p>   |
|  | <p><b>(6) Electoral Constituencies:</b> The employer may, if he thinks fit, direct that the workers shall vote in either by groups, sections, shops or departments.</p>   |
|  | <p><b>(7) Qualification of Candidates for election:</b> Any worker, of not less than nineteen years of age and with a service of not less than one year in the industrial establishment may, if nominated as provided in this rule, be a candidate for election as a worker's representative of the Committee:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that such service qualification shall not apply to the first election in an industrial establishment which has been in existence for less than a year.</p> <p><b>Explanation —</b> For the purposes of this sub-rule, a worker who has put in continuous service for not less than one year in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified therein.</p> |
|  | <p><b>(8) Qualification for voters :</b> All workers who are not less than eighteen years of age and who have put in not less than six months' continuous service in the industrial establishment shall be entitled to vote in the election of worker's representative of the Committee.</p> <p><b>Explanation —</b> For the purposes of this sub-rule, a worker who has put in continuous service of not less than six months in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified therein.</p>   |
|  | <p><b>(9) Fixation of schedule for Election:</b></p> <p style="padding-left: 40px;">i. The employer shall give a minimum time-period of at least three working days for filing of nomination along with other requisite details while fixing a date as the closing date for receiving nominations from candidates for election as worker's representatives of the Committee.</p>  |

- ii. The date fixed by the employer for holding the election referred to in clause (i) shall not be earlier than three days and later than fifteen days after the closing date for receiving nominations.

The date of election fixed under sub-rule (i) shall be notified at least seven days in advance to the workers concerned and such notice, which shall specify the number of seats to be elected, shall be affixed on the notice board or electronic notice board of the industrial establishment and given adequate publicity amongst the workers.

**(10) Nomination of Candidates for election :**

- i. Every nomination for election as worker's representative of the Committee shall be made on a nomination paper to be provided by employer and the copies thereof shall be supplied by the employer to the workers requiring them.
- ii. Each nomination paper referred to in sub-rule (10) shall be signed by the candidate to whom it relates and attested by at least two other voters belonging to the group, section, shop or department, which the candidate seeking election shall represent, and shall be delivered to the employer.

**(11) Scrutiny of Nomination papers:**

- i. On the day following the last day fixed for filing nomination papers, the nomination papers shall be scrutinized by the employer in the presence of the candidates and the attesting persons and those nominations which are not valid shall be rejected.
- ii. A nomination paper shall be held to be not valid under sub-rule (11), if—
- a. the candidate nominated is ineligible for being a candidate under sub-rule (7); or
- b. the requirements of sub-rule (10) have not been complied with:

Provided that where a candidate or an attesting person is unable to be present at the time of scrutiny, he

|      |  |
|------|--|
|      | may send a duly authorized nominee for the purpose.  |
| (12) | <b>Withdrawal of Candidates:</b> Any candidate whose nomination for election has been accepted may withdraw his candidature within forty-eight hours of the completion of scrutiny of the nomination papers.   |
| (13) | <b>Voting in Election:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. If the number of candidates who have been validly nominated for election as worker's representative of the Committee is equal to the number of seats, the candidates as such shall be forthwith declared as duly elected.</li> <li>ii. Where, in any industrial establishment, the number of candidates validly nominated for election as worker's representative of the Committee is more than the number of seats allotted to it, voting shall take place on the day fixed for election.</li> </ol>   |
| (14) | <b>Officers of the Committee:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. The Committee shall have among its office-bearers a Chairperson, a Vice-Chairperson, a Secretary and a Joint-Secretary.</li> <li>ii. The Chairperson of the Committee shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives of the Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment.</li> <li>iii. The Vice-Chairperson shall be elected by the members of the Committee representing the workers, from amongst themselves: <p style="margin-left: 40px;">Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice-Chairperson, the matter shall be decided by a draw of lot.</p> </li> <li>iv. The Secretary and the Joint-Secretary of the Committee shall be elected every year.</li> <li>v. The Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the</li> </ol> |

employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the workers and *vice versa*:

Provided that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the either the employer or the workers for three consecutive years:

Provided further that the employer's representatives shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, and only the representatives of the workers shall be entitled to vote in elections for the post of Secretary or Joint Secretary:

Provided also that in the event of equality of votes in an election under this sub-rule, the matter shall be decided by a draw of lot.

**(15) Term of Office:**

- i. The term of office of the members of the Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be three years.
- ii. Every member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of his predecessor.

The membership of any member, who fails to attend three consecutive meetings of the Committee without obtaining leave from the Committee, shall stand forfeited.

**(16) Vacancies:** In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (iii) of sub-rule (15) or ceasing to be employed in the industrial establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule for the remaining period of the Committee from the same group to which the member vacating the seat belonged.

**(17) Power to Co-Opt:** The Committee shall have the right to co-opt persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of

|             |  |
|-------------|--|
|             | <p>a matter under discussion in a consultative capacity and such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Committee.</p>  |
| <b>(18)</b> | <p><b>Meetings:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. The Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months.</li> <li>II. The Committee shall at its first meeting regulate its own procedure.</li> </ol>  |
| <b>(19)</b> | <p><b>Facilities for meetings, etc.:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. The employer shall provide accommodation for holding meetings of the Committee and shall also provide all necessary facilities to the Committee and to its members for carrying out the work of the Committee.</li> <li>ii. The Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representatives of the workers shall be deemed to be on duty while attending the meeting.</li> </ol> <p>The Secretary of the Committee may with the prior concurrence of the Chairperson, put up notice regarding the functions of the Committee on the notice board of the industrial establishment.</p> |
| <b>(20)</b> | <p><b>Annual Return:</b> The employer shall submit the details of the constitution and the functioning of the Committee as a part of unified annual return provided in the rules made in this behalf under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (Act No. 37 of 2020).</p>   |
| <b>(21)</b> | <p><b>Dissolution of Works Committee:</b> The State Government, or the officer authorized in its behalf, may after making such inquiry as it or he may deem fit, dissolve any Committee at any time, by an order for reasons to be recorded in writing, on being satisfied that the Committee has not been constituted in accordance with the provisions of this rule or that not less than two-</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>thirds of the number of representatives of the workers have without any reasonable justification failed to attend three consecutive meetings of the Committee or that the Committee has, for any other reason, ceased to function:</p> <p>Provided that where the Committee is dissolved under this sub-rule, the employer, may, and if so required by the State Government or, as the case may be, by such officer, shall take steps to re-constitute the Committee in accordance with this rule.</p>   |
| <p><b>Manner of choosing members from the employers and the workers for Grievance Redressal Committee under sub-section (2) of section 4</b></p> | <p><b>5.</b> The Grievance Redressal Committee in an industrial</p> <p><b>(1)</b> establishment employing twenty or more workers shall consist of equal number of members representing the employer and the workers, which shall not exceed ten.</p> <p><b>(2)</b> The representatives of the employer in the Grievance Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.</p> <p><b>(3)</b> The worker's representative of the Grievance Committee shall be chosen in the following manner, namely :-</p> <p>(a) where there is a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14, such negotiating union or negotiating council, as the case may be, shall nominate the worker's representatives of the Grievance Committee:</p> <p>(b) in the case of a negotiating council under sub-section (4) of section 14, the nomination shall be in such manner that every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be represented in the Grievance Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;</p> <p>(c) where there is no recognized negotiating union or negotiating council referred to the</p> |

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  |           | <p>clauses (a) and (b), the workers of the industrial establishment shall choose amongst themselves the worker's representatives of the Grievance Committee:</p> <p>Provided that the employer may, deploy an electronic platform for choosing worker's representatives under this clause, over an information technology application, online platform or such other like platform:</p> <p>Provided further that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment.</p> |
|  |           | <p>(4) The tenure of the members of the Grievance Committee shall be three years.</p> <p>(5) Where there is no recognized negotiating union or negotiating council and if any dispute arises regarding choosing of the worker's representative to the Grievance Committee, the matter may be referred to the concerned Regional Additional /Deputy Labour Commissioner, who shall, after hearing the parties, decide the matter, whose decision shall be final.</p>   |
| <b>Application in respect of any dispute to be filed before the Grievance Redressal Committee by any aggrieved worker under sub-section (5) of section 4</b> | <b>6.</b> | <p>(1) Any aggrieved worker may file an application stating his dispute therein before the Grievance Redressal Committee giving his name, designation, worker Code, Department where posted, length of his service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievances and relief sought therefor.</p> <p>(2) The application referred in sub-rule (1) may be sent electronically or otherwise.</p> <p>(3) The application referred in sub -rule (1) shall be filed within one year from the date on which the cause of action of such dispute arose.</p>   |
| <b>Manner of filing application for the conciliation of</b>  | <b>7.</b> | <p>Any worker who is aggrieved by the decision of the Grievance Redressal Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within</p>   |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>grievance as against the decision of the Grievance Redressal Committee to the conciliation officer under sub-section (8) of section 4</b></p> | <p>thirty days of receipt of the application, may file an application electronically or otherwise to concerned Conciliation Officer within the period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Redressal Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member or otherwise:</p> <p>Provided that in case of manual receipt of such application through registered post or speed post or in person, the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the online mechanism under intimation to the Trade Union and worker.</p> |
| <p>-<br/><b><u>CHAPTER-III</u></b><br/><b><u>TRADE UNIONS</u></b></p>   |   |
| <p><b>Subscription by members of trade union under clause (f) of section 7</b></p>  | <p><b>8.</b> (1) The annual subscription for ordinary member of a trade union relating to unorganized sector shall not be more than fifty rupees and for honorary member shall not be more than one hundred rupees.</p> <p>(2) The annual subscription for ordinary member of a trade union relating to organized sector shall not be more than one hundred rupees and for honorary member shall not be more than two hundred rupees.</p>   |
| <p><b>Annual Audit under clause (j) of section 7</b></p>  | <p><b>9.</b> (1) Save as provided in sub-rules (2), (3), (4) and (5) of this rule, the annual audit of accounts of any registered trade union shall be conducted by an auditor eligible to conduct the audit of the accounts of companies under the Companies Act, 2013 (Act No. 18 of 2013).</p> <p>(2) Where the total receipt of any trade union did not at any time during the financial year exceed fifty thousand rupees, the annual audit of the accounts may be conducted by any two members of the union.</p> <p>(3) Where the total receipt of any trade union did not, at any time during the financial, year exceed one lakh</p>  |

rupees, the annual audit of the accounts may be conducted, -

- a. by any two persons holding office as member of any Municipal Board, District Board, or Legislative body; or
- b. by any person, who having held an appointment under Government in any audit or accounts department, is in receipt of a pension from Government of not less than thirty thousand rupees in a month; or
- c. by any auditor appointed to conduct the audit of any Co-operative Societies by Government or by the Registrar of Co-operative Societies or by any State Co-operative Organization recognized by the Government for this purpose.

(4) Where the total receipt of any trade union did not, at any time during the financial year, exceed five lakh rupees, the annual audit of the accounts may be conducted,-

- a. by an examiner of local funds accounts; or
- b. by any local fund auditor appointed by the Local Government; or
- c. by person, who having held an appointment under Government in any audit or accounts department, is in receipt of a pension from Government of not less than fifty thousand rupees in a month.

(5) Where the Trade Union is a federation of unions, the audit of accounts of federation shall be conducted in the same manner as prescribed in sub-rules (2), (3) and (4) for audit of trade unions.

(6) Notwithstanding anything contained in sub rules (1), (2), (3), (4) and (5), no person who, at any time during the year was entrusted with fund or any part thereof or securities belonging to the trade union, shall be eligible to audit the accounts of that union.

(7) The auditor or auditors appointed in accordance shall be given access to all books of the trade union and

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  |            | shall verify the annual return with the accounts and vouchers relating thereto and shall thereafter sign the auditor's declaration in <b>Form II</b>   |
| <b>Application for registration under section (1) of section 9</b>   | <b>10.</b> | <p>(8) The audit of the political fund of a registered Trade Union shall be carried out along with the audit of the general account of the Trade Union and by the same auditor or auditors.</p> <p>Every application for registration of a Trade Union shall be made in <b>Form III</b> either manually or electronically and shall be submitted to Registrar of Trade Unions, Uttar Pradesh through Regional Additional/Deputy Registrar of the area in which office of the trade union is situated.</p> <p>The fee payable for the registration of a Trade Union shall be one hundred rupees to be deposited in the related treasury head of State Treasury, manually or electronically. The applicant shall attach a copy of such treasury receipt along with Form-IV to the Registrar, Trade Union, Uttar Pradesh, who may confirm the said receipt with the web-portal of State Treasury.</p> |
| <b>Affidavit under clause(a) of sub-Section (1) of Section 8</b>   | <b>11.</b> | Every application for registration shall be accompanied with a declaration by an affidavit in <b>Form IV</b> of all applicants.  |
| <b>Form of general statement of assets and liabilities of the Trade Union under sub-section (2) of section 8</b> | <b>12.</b> | Where a trade union has been in existence for more than one year before making an application for its registration, the application for registration shall be accompanied by a general statement of assets and liabilities of trade union in <b>Schedule III of Form III</b>   |
| <b>Certificate of registration under section (2) of section 9</b>  | <b>13.</b> | The certificate of registration issued by the Registrar under sub-section (2) of section 9 shall be in <b>Form V.</b>  |
| <b>Register of Trade</b>   | <b>14.</b> | The register of Trade Unions referred to in sub-section  |

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Unions under section (3) of section 9   |     | (3) of section 9 shall be maintained in <b>Form VI.</b>   |
| Application for withdrawal or cancellation under sub-section (5) of section 9                 | 15. | Every application by a Trade Union for the withdrawal or cancellation of its certificate of registration shall be sent to the Registrar in <b>Form VII.</b>   |
| Verification of application for withdrawal or cancellation under sub-section (5) of section 9 | 16. | <p>(1) The application of trade union for withdrawal or cancellation of its certificate of reg shall be verified by the Registrar personally by summoning the applicant or through Regional Additional/ Deputy Registrar of the area in which the registered office of the trade union is situated.</p> <p>(2) The Registrar, on receiving an application for the withdrawal or cancellation of registration, shall, before granting the application, satisfy himself that the withdrawal or cancellation of registration was approved by a resolution of the Trade Union, or it has the approval of the majority of the members of the Trade Union. The Registrar may call for such further particulars as he may deem necessary and may examine any officer of the Union.</p> |
| Time period for filing appeal under sub-section (1) of section 10                             | 17. | Any appeal against the order of refusal to grant registration under section 9 or cancellation of certificate of registration under sub-section (5) of section 9 of the Code shall be filed within sixty days of the date of such order of Registrar.  |
| Notice of change under sub-section (1) and (3) of section 11                                  | 18. | (1) The trade union shall inform the Regional Additional/ Deputy Registrar of any changes in office bearers of the union in writing and such intimation shall be accompanied by resolution to that effect in accordance with such changes as given in <b>Form VIII.</b> The Regional Additional/ Deputy Registrar, Trade Union, after being satisfied, shall record any such change in the register maintained for this purpose in <b>Form IX</b> and shall inform  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>the union concerned.</p> <p>(2) The trade union shall inform the registrar of any changes in the particulars given by its application regarding its name, constitution or by-laws in writing and shall be accompanied by resolution to that effect in accordance with the constitution or bylaws of the union and it shall be communicated to registrar in <b>Form-VIII</b>. The registrar shall, after being satisfied, record the change in the constitution or by-laws of the Union and shall inform the union concerned.</p> <p>(3) In case of transfer of office of the trade union to another State, the Registrar of Trade Union shall forward, to the Registrar of the Trade Union of the State in which head office of the trade union has been transferred, a copy of the entries contained in the register referred to in section 9 of the Code.</p>   |
| <p><b>Matters of negotiation under sub-section (1) of section 14</b></p> | <p>19. The matters pertaining to workers which the negotiating union or negotiating council shall negotiate with the employer of the industrial establishment under sub-section (1) of section 14 are specified, as below, namely :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. classification of grades and categories of workers;</li> <li>ii. order passed by an employer under the standing orders applicable in the industrial establishment;</li> <li>iii. wages of the workers including their wage period, dearness allowance, bonus, increment, customary concession or privileges, compensatory and other allowances;</li> <li>iv. hours of work of the workers their rest days, number of working days in a week, rest intervals, working of shifts;</li> <li>v. leave with wages and holidays;</li> <li>vi. promotion and transfer policy and disciplinary procedures;</li> <li>vii. quarter allotment policy for workers;</li> <li>viii. safety, health and working conditions and related standards;</li> </ol> |

|   |            |   |
|---|------------|---|
|   |            | <p>ix. such matters pertaining to conditions of service and terms of employment of the workers which are not covered in the foregoing clauses; and</p> <p>x. any other matter which is agreed between employer of the industrial establishment and negotiating union or negotiating council, as the case may be.</p>  |
| <b>Recognition of sole negotiating union under sub-section (2) of section 14</b>  | <b>20.</b> | <p>Where only one registered trade union of workers is functioning in the industrial establishment, the employer shall recognize such union as sole negotiating union of worker:</p> <p>Provided that not less than thirty percent of the total workers employed in the industrial establishment are members of the said trade union:</p>   |
| <b>Manner of verification of membership of Trade Unions in an industrial establishment under sub-sections (3) and (4) of section 14</b> | <b>21.</b> | <p>(a) The State Government shall appoint a Verification Officer for the purpose of verification of membership of the Trade Unions in the industrial establishment who shall not have any interest with any of the Trade Unions in the industrial establishment, whose membership verification is to be carried out by him:</p> <p>Provided that the process for recognition of the negotiating union or the negotiating council, as the case may be, shall commence three months before the expiry of the tenure of the existing recognition period of the negotiating union or the negotiating council, as the case may be, recognized by the employer under the Code.</p> <p>(b) The Verification Officer may utilize the services of other officers to assist him depending upon the quantum of work of membership verification.</p> <p>(c) The Verification Officer shall carry out the work of membership verification in the industrial establishment within the time as determined by the State Government.</p> |
|   | <b>(2)</b> | The employer of the industrial establishment shall bear all expenses and make arrangements in connection with the verification of membership of trade unions under  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>sub-rule (1).</p> <p>(3) (a) The Trade Unions which satisfy the following conditions may submit an application in <b>Form-X</b> to the employer of the industrial establishment to accord status of negotiating union or the representatives of negotiating council of the workers, as the case may be, namely:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. such Trade Union has a valid registration under the Trade Unions Act, 1926 (Act No. 16 of 1926) and continuing as such or</li> <li>ii. has the registration under the Industrial Relations Code, 2020 (Act No. 35 of 2020), as the case may be; and</li> </ul> <p>(b) The application for recognition made by Trade Union shall be accompanied with a copy of the registration certificate, a copy of list of members, details of the membership subscription and a copy of latest annual return of the trade union submitted to the Registrar of Trade Unions.</p>  |
|  | <p>(4) (a) In case the negotiating union or negotiating council, as the case may be, has been constituted under the Code, the employer of the industrial establishment shall initiate action before expiry of the tenure of negotiating union or negotiating council, as the case may be, sufficiently in advance but not later than three months before the expiry of the tenure of negotiating union or negotiating council, as the case may be;</p> <p>(b) The date of reckoning shall be fixed by the verification officer for the industrial establishment for the purpose of verification of membership of the trade unions;</p> <p>(c) The employer of the establishment shall forward the documents and records submitted by trade unions, to the verification officer.</p> <p>(d) On receipt of the documents and records, the Verification Officer shall scrutinize the records and documents submitted by the trade union to ascertain the status of registration of trade unions and related</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>matters;</p> <p>(e) The Verification Officer shall hold meeting with representatives of employer of industrial establishment and all participating Trade Unions to decide about the process of verification of the membership of Trade Unions through secret ballot.</p> <p>(f) The employer may, in consultation with the Verification Officer, deploy an electronic process for conducting the election over an information technology application, online platform or like other platform.</p> <p>(g) The list of negotiating unions and members of negotiating council referred to in section 14 and verified shall be maintained in <b>Form -XI</b> by the Registrar, Trade Unions.</p>  |
|  | <p>(5) Verification of membership of Trade Unions through secret ballot-</p> <p>(a) The Verification Officer shall convene meeting of representatives of all registered Trade Unions functioning in the industrial establishment at least sixty days before the date of actual voting, to decide, -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) publication of voters list;</li> <li>(ii) date, time, mode of voting, place of voting;</li> <li>(iii) date, time and place of counting; and</li> <li>(iv) other modalities relating to secret ballot.</li> </ul> <p>(b) The Verification Officer shall cause the minutes of the meeting to be prepared and signed by all participating Trade Unions. All participating Trade Unions shall be allotted symbols in the same meeting. If no decision could be taken regarding date, time, mode of voting, place of voting, allotment of symbols, date, time and place of counting and like other matters in the meeting, then, the decision of the Verification Officer shall be final and he shall publish the schedule, program and procedure of such secret ballot election.</p> <p>(c) All workers whose names are borne on the muster roll of the industrial establishment on the date of reckoning shall be eligible to cast their vote.</p> <p>(d) The voters list shall be prepared by the employer of the industrial establishment on the basis of names of the</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>workers borne on the muster roll referred to in sub-rule (3) and the voters list shall contain the name, father's name, designation, employee number/identity card number issued by the employer and place of posting of the worker. The final voter list shall be published by the employer after obtaining the approval of Verification Officer and shall be displayed at notice board at the main entrance and website, if any, of the industrial establishment. A copy of such voters list shall also be sent to the participating Trade Unions by hand or by registered post or through electronic mode.</p> <p>(e) The Verification Officer shall display the list of the name of the participating Trade Unions with the symbol allotted to them on the notice board at the main entrance and website, if any, of the industrial establishment within two days of finalization of the list.</p> <p>(f) The voting and counting of votes shall be held on the date, time and place fixed by the Verification Officer under the supervision of the Verification Officer and during the counting, agents of all participating Trade Unions shall be allowed to remain present.</p> <p>(g) After final counting of votes, the result shall be declared by the Verification Officer. The result sheet shall contain the name of all Trade Unions participated in election, total number of votes polled and the number of votes cast in favour of each of the trade unions which participated in the election.</p> |
|  | <p><b>(6)</b> Verification report to the employer- The Verification Officer shall submit verification report along with the result sheet to the employer of industrial establishment.</p>   |
|  | <p><b>(7)</b> Recognition of Trade Union as negotiating union or constituents of negotiating council-</p> <p>a. On the basis of verification report submitted by Verification Officer, the employer of the industrial establishment shall grant recognition to a Trade Union as a negotiating union or a constituent of negotiating council as per provisions of sub-section (3) or sub-section (4) of section 14 of the</p>  |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  |                   | <p>Code, as the case may be.</p> <p>b. Any recognition either as negotiating union or the negotiating council shall be valid for three years from the date of recognition or constitution or such further period not exceeding five years, in total, as may be mutually decided by the employer and the Trade Union, as the case may be.</p>   |
| <p><b>Facilities to be provided by industrial establishment to a negotiating union or negotiating councils under sub-section (7) of section 14</b></p> | <p><b>22.</b></p> | <p>In an industrial establishment, where there is a negotiating union or negotiating council, as the case may be, the employer of such industrial establishment shall provide the following facilities to the negotiating union or negotiating council, as the case may be, namely:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. notice board for the purpose of displaying information relating to activities of negotiating union or negotiating council, as the case may be;</li> <li>ii. venue and necessary facilities for holding discussions by the negotiating union or negotiating council, as the case may be, as per schedule and agenda to be settled between employer of the industrial establishment and the negotiating union or negotiating council, as the case may be;</li> <li>iii. venue and necessary facilities for holding discussions amongst the members of the negotiating union or constituents of negotiating council, as the case may be;</li> <li>iv. facility for entrance of the office bearers of the negotiating union or negotiating council, as the case may be, in the industrial establishment for the purposes of ascertaining the matters which are relating to working conditions of the workers;</li> <li>v. employer of the industrial establishment shall deduct subscription of the members of the Trade Union on the basis of the written consent of the worker;</li> <li>vi. when the office bearers of the negotiating union or negotiating council shall be holding meetings</li> </ol> |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
|   |                   | <p>with the employer as per agreed schedule between employer and such employed office bearers shall be treated as on duty; and</p> <p>vii. employer of an industrial establishment, having three hundred or more workers, shall provide suitable office accommodation with necessary facilities to the negotiating union or negotiating council, as the case may be.</p>  |
| <p><b>Purpose of general fund under sub-section (1) of section 15</b></p> | <p><b>23.</b></p> | <p>The general funds of the union may be spent on the following objects and on no others, -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. the payment of salaries allowances and expenses to officers of the trade union;</li> <li>b. the payment of expenses for the administration of the trade union including the audit of the accounts of the general funds of the trade union;</li> <li>c. the prosecution or defence of any legal proceedings to which the trade union or any member thereof is a party when such prosecution or defence is undertaken for the purpose of securing or protecting any rights of the trade union as such or any right arising out of the relations of any member with his employer;</li> <li>d. the conduct of trade disputes on behalf of the trade union or any member thereof;</li> <li>e. the compensation of members for loss arising out of trade disputes;</li> <li>f. allowances to members or their dependents on account of death, old age, sickness, accidents or unemployment of such members;</li> <li>g. the issue of, or the undertaking of liability under, policies of assurance on the lives of members, or under policies insuring members against sickness, accident or unemployment,</li> <li>h. the provision of educational, social or religious benefits for members (including the payment of the expenses of funeral or religious ceremonies for deceased members) or for the dependents of</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>members;</p> <p>i. the upkeep of a periodical published mainly for the purpose of discussing questions affecting employers/ workmen as such;</p> <p>j. the payment in furtherance of any of the objects on which the general funds of the trade union may be spent for contribution to any cause intended to benefit workmen in general:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that the expenditure in respect of such contributions if any financial year shall not, at any time during that year be in excess of one-fourth of the combined total of the gross income which has up to that time accrued to the general funds of the trade union during that year end of the balance at the credit of those funds at the commencement of that year; and</p>   |
| <p><b>Purpose of political fund and subscription under sub-section (2) and (4) of section 15</b></p> | <p><b>24.</b> (1) The fund constituted under sub-section (2) of section 15 shall not be spent on any object other than, –</p> <p>a. the payment of any expenses incurred, either directly or indirectly, by a candidate or prospective candidate for election as a member of any legislative body constituted under the Constitution or of any local authority, before, during, or after the election in connection with his candidature or election; or</p> <p>b. the holding of any meeting or the distribution of any literature or documents in support of any such candidate or prospective candidate; or</p> <p>c. the maintenance of any person who is a member of any legislative body constituted under the Constitution or for any local authority; or</p> <p>d. the registration of electors or the selection of a candidate for any legislative body constituted under the Constitution or for any local authority; or</p> <p>e. the holding of political meetings of any kind, or the distribution of political literature or political documents of any kind.</p> <p>(2) The subscription to the fund created for civic and</p> |

|  |            |  |
|--|------------|--|
|  |            | political interests shall be separately levied on members of the trade union and shall not be more than twice of the annual subscription of the member to general fund.  |
| <b>Manner of making application for adjudication of dispute before Tribunal under sub-section (1) of section 22</b>  | <b>25.</b> | <p>Where any dispute arises between, –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>one Trade Union and another; or</li> <li>one or more workers who are members of Trade Union and the Trade Union regarding registration, administration or management or election of office bearers of the Trade Union; or</li> <li>one or more workers who are refused admission as members and the Trade Union; or</li> <li>where the dispute is in respect of a Trade Union which is a federation of Trade Unions and office bearer authorized in this behalf by the Trade Union,</li> </ol> <p>then, the aggrieved person may make application to the Tribunal having jurisdiction, in <b>Form XII</b> within a period of one year from the date on which the dispute arises, electronically or by registered post or by speed post or in person.</p> |
| <b>Manner of amalgamation under sub-section (2), and the manner of sending signed amalgamation to the Registrar of a different State under sub-section (3) of section 24</b> | <b>26.</b> | <p>(1) Any two or more trade unions may apply to Registrar of Trade Unions for amalgamation of their unions in <b>Form XIII</b>.</p> <p>(2) The application for amalgamation shall be accompanied with the resolutions passed by at least three-fourth members of their unions.</p> <p>(3) The Registrar, if satisfied, after making such inquiry as he deems fit, shall record the amalgamation of unions in a register in <b>Form VI</b>.</p> <p>(4) On receipt of notice of amalgamation under sub-section (3) of section 24, if the Head office of the amalgamated Trade Union is in the other State, the Registrar, Trade Union, Uttar Pradesh shall send notice of such amalgamation to the Registrar, Trade Union of such other State.</p> <p>(5) When the amalgamated trade union is registered</p>                                |

|   |            |  |
|---|------------|--|
|   |            | under sub-section (6) of section 24, it shall be assigned a number in the register in <b>Form VI</b> and the Registrar shall issue a new certificate in Form therefor. The Registrar shall also mention the fact of amalgamation against the entries, if any, related to the trade unions so amalgamated, in the register in <b>Form VI</b> and shall send intimation of the registration of the amalgamated unions to the Registrars of the trade unions of other State, if any.  |
| <b>Distribution of Funds of trade union after dissolution under sub-section (2) of section 25</b> | <b>27.</b> | (1) Where it is necessary for the registrar under sub-section (2) of section 25 to distribute the funds of a trade union, which has been dissolved, he shall divide the funds, among the members on the books of trade union on the date on which the notice of dissolution is issued in proportion to the amount contributed by such members by way of subscription during their membership.<br>(2) In the event of death of a member of a trade union subsequent to the date of its dissolution but prior to the distribution of funds, the registrar shall pay the sum payable to such member to his legal heirs. |
| <b>Annual Return under clause (a) of sub-section (1) of section 26</b>                            | <b>28.</b> | The annual return to be furnished under section 26 of the Code shall be submitted manually or electronically to the Registrar by 31st day of July in each year and shall contain a full and correct statement of the particulars prescribed in <b>Form XIV</b> duly audited according to provisions of rule 9.   |
| <b>Recognition of State trade union under sub-section (2) of section 27</b>                       | <b>29.</b> | (1) For the purpose of recognition as a State trade union at the State-level, a trade union or Federation of trade unions, shall make an application in writing to Labour Commissioner in this regard on <b>Form-XV</b> . Such application shall be signed by the Secretary of the trade union or Federation of trade unions and accompanied with the resolution of the union or Federation supported by fifty-one percent of members or more.   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>(2) On receipt of an application under sub-rule (1), the Labour Commissioner may after making such enquiries as he deems fit recognize the State trade union/federation or reject the application. In case if State trade union/Federation is recognized, the applicant shall be informed of the position in writing by the Labour Commissioner.</p> <p>(3) The State Government may at any time before or after a trade union or federation of unions has been recognized as a State level trade union or federation, as the case may be, call for such information from such union or federation as it considers necessary, and the union or federation shall furnish the information so called for.</p> <p>(4) Every such recognized trade union or federation of unions shall,—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. intimate to the State Government in <b>Form-XVI</b> every change in the address of its head office and in the members of the executive, including its office bearers within seven days thereof, and</li> <li>b. submit to the State Government by December 31, every year, a list of unions affiliated to it in <b>Form-XVII</b></li> </ol> <p>(5) The State Government may at any time and for reasons to be recorded in writing withdraw the recognition granted to a trade union or federation of unions under sub-rule (2) above.</p> <p>(6) A party aggrieved by the order of the State Government under sub-rules (2) or (5) may within one month from the date of receipt of such order, prefer an appeal before the Tribunal, whose decision in the matter shall be final and binding.</p> |
| <p>-</p> <p><b><u>CHAPTER-IV</u></b></p> <p><b><u>STANDING ORDER</u></b></p> <p>-</p> |   |
| <p><b>Forwarding of information to</b></p>  | <p><b>30.</b> (1) If the employer adopts the model standing orders of the Central Government referred to in section 29 with</p>   |

**certifying officer**

respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, then, he shall intimate the concerned certifying officer electronically, or in person, or by speed post or by registered post, the specific date from which the provisions of the model standing orders which are relevant to his establishment or undertaking have been adopted.

(2) The model standing order adopted under sub-rule (1) shall apply to the industrial establishment, and to all its units in Uttar Pradesh.

(3) On receipt of information under sub-rule (1), the certifying officer shall enter the details of the industrial establishment which has adopted the model standing order in the register maintained under rule 37.

(4) Where, the certifying officer observes that the industrial establishment, which has intimated adoption of model standing orders, is also engaged in activities other than for which model standing orders have been adopted, then, he may, within a period of thirty days from such receipt of intimation of model standing orders so adopted, direct such employer to include or adopt certain provisions which are relevant to his industrial establishment and indicate those relevant provisions and direct such employer to comply the same within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and send a compliance report only in respect of those provisions which the certifying officer has so directed to get included.

(5) If no observation is made by the certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information as specified in sub-rule (1), then, the model standing order shall be deemed to have been certified by the certifying officer.

(6) The provisions of the model standing orders adopted in accordance with the provisions of these rules shall remain in force with effect from the date specified in sub-rule (1).

(7) Without prejudice to the provisions of this rule, the certifying officer shall not raise any observation if the

|   |            |   |
|---|------------|---|
|   |            | industrial establishment is engaged in activities which are wholly covered by the activities of the industrial establishment to which the standing orders apply.  |
| <b>Choosing of representatives of workers of the industrial establishment or undertaking for issuing notice by certifying officer where there is no Trade Union</b> | <b>31.</b> | <p>(1) Where there is no Trade Union as is referred to in clause (i) of sub-section (5) of section 30, then, the certifying officer or any authorized officer in his behalf, shall call a meeting of the workers to choose three representatives, to whom he shall, upon their being chosen, issue notice along with a copy of the standing order or modification, as the case may be, in English, as well as the translation thereof in the language understood by the majority of the workers, requiring comments or suggestions, if any, which the workers may desire to make to the draft standing orders to be submitted within fifteen days from the date of receipt of such notice.</p> <p>(2) The Trade Union or negotiating union or constituent of negotiating council shall be given a copy of the draft standing orders or modification, as the case may be, in English, as well as the translation thereof in the language known by the majority of the workers, for seeking their comments or suggestions, if any, within fifteen days from the date of the receipt of the notice in this rule.</p> |
| <b>Authentication of certified standing order</b>   | <b>32.</b> | <p>The standing orders or the modifications in the standing orders certified in pursuance of sub-section (8) of section 30 shall be authenticated by the certifying officer and shall be sent electronically, and a hard copy thereof by registered post or speed post, within seven days from the date of such authentication to all concerned, that is to say, the employer and all the registered Trade Unions or chosen representative of workers:</p> <p>Provided that there shall not be any requirement of authentication under this rule in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 and in</p>  |

|  |            |   |
|--|------------|---|
|  |            | cases where the employer has certified adoption of model standing orders.   |
| <b>Statement to accompany draft standing orders</b>                                | <b>33.</b> | <p>(1) The statement to be accompanied with a draft standing order shall contain, the particulars such as name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, email address, contact number and the strength and details of workers employed therein including particulars of Trade Union, if any, to which such workers belong.</p> <p>(2) The statement to be accompanied with a draft modification in an existing standing order, shall contain the particulars of such standing order which is proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provision of that standing order in force and the proposed modification therein and reasons therefor.</p> <p>(3) The statement referred to in sub-rules (1) and (2) shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking.</p> <p>(4) The model standing orders, if modified, shall also apply to all the units of the industrial establishment or undertaking in Uttar Pradesh.</p> |
| <b>Conditions for submission of draft standing orders in similar establishment</b> | <b>34.</b> | <p>In case of group of employers engaged in similar industrial establishments, they may, after consultation with the concerned Trade Union, submit a joint draft of standing order under section 30 and for the purpose of proceedings specified in sub-sections (1), (5), (6), (8) and sub-section (9) thereof:</p> <p>Provided that the joint draft of standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments, shall be drafted and submitted to the Additional Labour Commissioner (Industrial Relations)/who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify or refuse to certify such joint draft standing orders, after recording reasons therefor:</p> <p>Provided further that certifying officer shall give notice to all the concerned parties, and ensure</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | reasonable opportunity of being heard before certifying the standing orders.  |
| <b>Disposal of appeal by appellate authority</b> | <p><b>35.</b> (1) An employer or Trade Union or the negotiating union or negotiating council, or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking, any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking, may prefer an appeal against the order of the certifying officer made under sub-section (5) of section 30 within sixty days of the receipt of such order, and for that purpose draw up a memorandum of appeal in a tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added along with the reasons therefor, and file it electronically or in person with the appellate authority.</p> <p>(2) The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given, —</p> <p>(a) where the appeal is filed by the employer, to Trade Union or the negotiating union or negotiating council, as the case may be, or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking, any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking;</p> <p>(b) where the appeal is filed by a Trade Union or the negotiating union or negotiating council, to the employer and the negotiating union or the negotiating council or all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment, as the case may be, or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking, any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking; and</p> <p>(c) where the appeal is filed by a representative</p> |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
|   |                   | <p>body of the workers, to the employer and other Trade Unions of the workers of the industrial establishment, or where there is no trade union of the workers in an industrial establishment or undertaking, any other worker who joins as a party to the appeal.</p> <p>(3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal referred to in sub-rule (1).</p> <p>(4) The appellate authority may at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal.</p> <p>(5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it may have called for or considers relevant, if produced, and after hearing the parties, dispose of the appeal.</p>   |
| <p><b>Sending of order and maintaining of standing orders</b></p> | <p><b>36.</b></p> | <p>(1) The order of the appellate authority shall be sent electronically or otherwise within three days of the disposal of appeal to the employer or Trade Union or the negotiating union or negotiating council or any union or representative body of the workers, as the case may be, by whom the appeal has been filed.</p> <p>(2) The text of the standing orders as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders under this Chapter, shall be maintained by the employer in Hindi or in English and in the language understood by majority of workers where the industrial establishment is situated.</p> <p>(3) The certified standing orders shall be displayed in legible condition by the employer on the special board to be maintained for the purpose at the entrance or near the entrance of the industrial establishment through which majority of workers enter and may also be posted on the designated portal/website, if any, of such industrial establishment.</p> |
| <p><b>Register for filing</b></p>                                 | <p><b>37.</b></p> | <p>(1) The certifying officer shall maintain electronically, a</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>finally certified copy of standing orders</b></p>       | <p>register in <b>Form-XVIII</b>, of all finally certified standing orders or deemed to have been certified or adopted model standing orders, of all the concerned industrial establishments, which shall, contain details of,—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) the unique number assigned to each standing order;</li> <li>(b) name of industrial establishment;</li> <li>(c) nature of industrial establishment;</li> <li>(d) date of certification or deemed certification or date of adoption of model standing orders by each establishment or undertaking;</li> <li>(e) the areas of operation of the industrial establishment; and</li> <li>(f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a database of all such standing orders.</li> </ul> <p>(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certified standing orders referred to in sub-rule (1) to any person applying therefor, on payment of two rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be.</p> <p>(3) The payment of fee for getting certified standing orders may also be made through electronic mode.</p> |
| <p><b>Application for modification of standing orders</b></p> | <p><b>38.</b> The application for modification of an existing standing orders under sub-section (2) of section 35 shall be submitted electronically or in person or by registered post or speed post and shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force, and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade Unions operating therein, and such statement shall be signed by a person authorized by the industrial establishment or undertaking or workers or a Trade Union or other representative body of the workers, as the case may be, who has submitted</p>  |

|   |  |
|---|--|
| such application for modification.  |  |
| -<br><b>CHAPTER-V</b><br><b>NOTICE OF CHANGE</b>  |  |
| <b>Notice for change proposed to be effected</b>  | <b>39.</b> (1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in <b>Form- XIX</b> electronically or by registered post with acknowledgement due or in person, to such workers likely to be affected by such change and shall also upload such notice on the designated portal, if any, of the industrial establishment.<br><br>(2) The notice referred to in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board or on the electronic notice board at the main entrance of the industrial establishment:<br><br>Provided that when there is a registered Trade Union or registered Trade Unions or a negotiating union or negotiating council relating to the concerned industrial establishment, a copy of such notice shall also be served in the manner specified in sub-rule (1) on the Secretary of such Trade Union or each of the Secretaries of such Trade Unions, or Secretary of the negotiating union or constituent of negotiating council, as the case may be. |
| -<br><b>CHAPTER-VI</b><br><b>VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION</b>                 |  |
| <b>Form of arbitration agreement and the manner thereof under sub-section (3) of section 42</b> | <b>40.</b> (1) The employer and workers may agree to refer any industrial dispute to arbitration by entering into an arbitration agreement as provided in <b>Form-XX</b> .<br><br>(2) The arbitration agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed by the parties to the said agreement and it shall be accompanied by the consent, either in writing or electronically, of arbitrator or arbitrators.<br><br>(3) The arbitration agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed,-   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>(a) in case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the company or corporation authorized for such purpose;</p> <p>(b) in the case of workers, by the officer of the registered Trade Union authorized in this behalf or by five representatives of the workers duly authorized in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose; and</p> <p>(c) in the case of an individual worker, by such worker himself or by an officer of the registered Trade Union, of which the worker is a member, or by another worker in the same establishment duly authorized by him in this behalf.</p> <p><b>Explanation</b>—For the purposes of this rule, the term “officer”, —</p> <p>(a) in case of an association of the employers, means any officer of such association of the employers authorized for such purpose; and</p> <p>(b) in case of a registered Trade Union, means any of the following officers of such Trade Union authorized for such purpose, namely: —</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. President; or</li> <li>ii. Vice-President; or</li> <li>iii. Secretary (including the General Secretary); or</li> <li>iv. a Joint Secretary; or</li> <li>v. any other officer of such Trade Union authorized in this behalf by the President and Secretary of such Trade Union.</li> </ol> |
| <p><b>Manner of issue of notification under sub-section (5) of section 42</b></p> | <p>41. Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the State Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall publish a notification in this behalf in the Official Gazette for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration</p>  |

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
|   |                          | agreement but are concerned in the dispute and they may present their case before the arbitrator or arbitrators, as the case may be, appointed for such purpose.   |
| <b>Manner of choosing representatives of workers where there is no Trade Union under sub-section (5) of section 42</b>  | <b>42.</b>               | Where there is no Trade Union, the representative of workers to present their case before the arbitrator or arbitrators, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (5) of section 42, shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in <b>Form XXI</b> authorizing them to represent the case. Such workers shall be bound by the acts of representatives who have been authorized to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.   |
| <p>-</p> <p><b><u>CHAPTER-VII</u></b></p> <p><b><u>INDUSTRIAL TRIBUNAL AND MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES</u></b></p>  |                          |  |
| <b>Manner of appointment, term of office, salaries and allowances, resignation and other terms of conditions of service of Judicial and Administrative Members of the Industrial Tribunal under sub-section (5) of section 44</b> | <b>43.</b><br><b>(1)</b> | <p><b>(a)</b> The Judicial and Administrative members of the Industrial tribunal shall be appointed by the State Government on the recommendation of the selection committee.</p> <p><b>(b)</b> The Judicial members of the Industrial Tribunal shall be appointed from serving and retired Judges of High Court, members of higher Judicial services and members of State Judicial Services, who have been a District Judge or Additional District Judge for not less than three years:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that at any time total number of Judicial members shall not exceed fifty percent of the total number of Judicial and Administrative members of Tribunals in the State.</p> <p><b>(c)</b> The Administrative members of the Industrial Tribunal shall be appointed from the serving and retired members of Indian Administrative Services who have served at least three years in this service or from the Uttar Pradesh State Labour Services having experience</p> |

of dispensation for a period of at least three years of Judicial/ Quasi-Judicial work and who have been an Additional/ Deputy Labour Commissioner:

Provided that, if in future State Government increases the number of Industrial Tribunals in the State, the vacancies shall be filled in the above mentioned proportion:

Provided that the total number of administrative members appointed amongst the members of Indian Administrative Services shall not exceed at any time fifty percent of the total number of administrative members of the Industrial Tribunal in the State and the rest of vacancies of administrative members shall be filled from the serving and retired Group-A officers of State Labour Services.

(2) For the purpose of appointment of Judicial and Administrative members of Industrial Tribunal, the State Government shall prepare a list of suitable persons after due consideration of applications received in which the qualifications of all persons, their past performance and experience of disposal of Industrial Disputes or Judicial/Quasi-Judicial work shall be clearly stated.

(3) The Selection Committee shall comprise of the following members, namely-

- a. Chief Justice of High Court of Judicature at Allahabad or a Judge of High Court of judicature at Allahabad nominated by him- Chairperson;
- b. Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh- Member;
- c. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to Uttar Pradesh Government in the Labour Department- Member;
- d. Labour Commissioner, Uttar Pradesh- Member;
- e. Legal Remembrancer- Member.

(4) The Selection Committee shall determine its procedure for making its recommendation and, after taking into account qualification, suitability, record of past performance, integrity as well as adjudicatory

|      |   |
|------|---|
|      | experience in view of the requirement of the Industrial Tribunal, shall recommend a panel of two or three persons as it deems fit for appointment to each vacant post.  |
| (5)  | A Judicial/Administrative Member shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier.   |
| (6)  | The salary and allowances of the Judicial and Administrative members of the Tribunal shall be- <ul style="list-style-type: none"> <li>a. In case of appointment of a serving Judicial/ Government Officer, the existing salary, allowances and other service conditions admissible to him in previous service;</li> <li>b. A person on appointment to a post under these Rules after superannuation from Government Service, shall be treated as re-employed under article 520 of the Civil Service Regulation and will be entitled to receive the salary at the rate of last pay drawn minus the total amount of pension.</li> </ul> |
| (7)  | A retired person appointed as Judicial/ Administrative Member shall be entitled for rent free accommodation or house rent allowance at the rate as admissible to an officer of the Government of Uttar Pradesh holding Group-A post carrying the same pay.  |
| (8)  | A retired person appointed on the post of Judicial member or Administrative member shall not be entitled to any temporary or ad-hoc increase in pension.  |
| (9)  | If retired person appointed as Judicial or Administrative member does not join within a period of one month from the date of appointment, then the State Government may cancel his appointment and thereafter the vacant post shall be filled from the person in waiting list.  |
| (10) | (a) If a written and verifiable complaint is received by the State Government, alleging any definite charge of misbehaviour or incapacity to perform the functions as Judicial/Administrative Member, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.   |

(b) If on preliminary scrutiny, the State Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any misbehaviour or incapacity of a Judicial/Administrative Member, it shall set up a inquiry which shall be headed by a person nominated by the Chairperson of the selection committee:

Provided that in case of inquiry against judicial member, the Chief Justice of High Court shall be consulted.

(c) The inquiry officer shall complete the inquiry within a time of six months or such further time as may be specified by the Chairperson of the Selection Committee.

(d) After conclusion of the inquiry, the inquiry Officer shall submit its report to the State Government stating its findings and the reasons therefore on each of the charges separately with such observations on the whole case as it may think fit.

(e) The selection committee shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. 5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate its own procedure, including the fixing of date, place and time of its inquiry.

**(11)** The State Government after affording the principles of natural justice, may remove any Judicial/Administrative member from Industrial Tribunal.

**(12)** A retired person appointed as Judicial/ Administrative Member may, resign from his office at any time by giving notice to this effect in writing under his hand addressed to the State Government.

**(13)** The State Government shall, on the recommendation of Selection Committee, remove from office any Judicial/Administrative Member, who-

- a. has been adjudged as an insolvent; or
- b. has been convicted of an offence which, involves moral turpitude; or

|      |   |
|------|---|
|      | <p>c. has become physically or mentally incapable of acting as such a Judicial Member or Administrative member; or</p> <p>d. has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a Judicial Member or Administrative member; or</p> <p>e. has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest:</p> <p>Provided that where a Judicial/Administrative Member is proposed to be removed on any ground specified in clauses (b) to (e), he shall be informed of the charges against him and given an opportunity of being heard in respect of those charges:</p> <p>Provided further that in case of removal of Judicial member, the Chief Justice of High Court shall be consulted.</p> |
| (14) | Matter relating to the terms and conditions of services with respect to which no express provisions has been made in these Rules, shall be decided by the State Government after consulting the Chairperson of the selection committee.   |
| (15) | In case of retired Judicial/Government Officer, transfer travelling allowance for joining the Industrial Tribunal from home town to head quarter and vice-versa at the end of assignment shall also be admissible as entitlement of an officer of the State Government holding Group A post carrying the same pay.  |
| (16) | The State Government shall have power to relax the provision of any of these rules in respect of appointment, salary and allowances, resignation and other terms and conditions of service of Judicial/Administrative member of Industrial Tribunal.  |
| (17) | Every person appointed as Judicial Member or Administrative Member, as the case may be, shall before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrecy in <b>Form XXII</b> .   |
| (18) | A person appointed to the post under these Rules after  |

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
|  |                          | retirement from Government Service on reaching the age of superannuation, will be entitled to all kind of leave admissible to a temporary Government servant under the subsidiary Rules 197A of the Financial Handbook Volume-II Part-2 to 4.  |
| <b>Manner of filling up the vacancy under sub-section (9) of section 44</b>  | <b>44.</b>               | (1) If for any reason any vacancy occurs in Industrial Tribunal it shall be filled in the manner prescribed in sub-rule (4) of rule 43 of these rules.<br>(2) the State Government, if it deems necessary, may transfer Judicial/Administrative member appointed in an Industrial Tribunal to another Industrial Tribunal and may give additional charge of Judicial/Administrative member of any Industrial Tribunal to Judicial/Administrative member of another Industrial Tribunal.  |
| <b>Manner of holding conciliation proceedings under sub-Section (1), full report under sub-section (4) of section 53</b> | <b>45.</b><br><b>(1)</b> | Where the conciliation officer receives any—<br>(a) notice of a strike or lockout given under rule 48 or rule 49; or<br>(b) application in respect of an existing industrial dispute; or<br>(c) information regarding apprehended industrial dispute, then, he shall—<br>(i) in case of clause (a), enter the details on the designated portal and hold conciliation proceedings and inform the concerned parties the date of sitting for such purpose;<br>(ii) in case of clause (b), enter the details on the designated portal and examine the application and if he finds that such dispute pertains to the jurisdiction of State Government, transfer the application to the concerned authority or otherwise proceed with the application and hold the conciliation in respect thereof; and<br>(iii) in case of clause (c), enter the details on the designated portal and issue a fresh notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings. |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>(2) The employer's representative and the worker's representative shall, on receipt of the notice referred to in sub-rule (1), submit their respective statements in respect of the said dispute in the first meeting of the conciliation proceedings.</p>   |
|  | <p>(3) The conciliation officer shall, without delay, ascertain the facts and circumstances relating to the dispute and enquire into all matters affecting the merits and right settlement thereof hold conciliation proceedings between the parties to the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement of the dispute.</p>   |
|  | <p>(4) If no settlement is arrived at in the conciliation proceedings referred to in sub-rule (3), the conciliation officer shall, within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded, upload a report on designated portal and forward a copy thereof through electronic mode or by registered post or speed post or in person to the parties to the dispute and to the appropriate Government. The report shall be made accessible to the parties concerned on the said designated portal.</p> |
|  | <p>(5) If a settlement of the dispute or of any of the matters in dispute is arrived at in the course of the conciliation proceedings, the conciliation officer shall, apart from submitting a report thereof to the appropriate Government or an officer authorised in this behalf by that Government along with a memorandum of the settlements signed by the parties to the dispute, also upload such report and memorandum of settlement on the designated portal.</p>  |
|  | <p>(6) The report referred to in sub-rule (4) shall, <i>inter alia</i>, contain the submissions of the employer, worker or Trade Union, as the case may be, involved in the dispute and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to an amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve</p>  |

|  |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  |                   | the dispute and the conclusion arrived at by the conciliation officer.   |
| <p><b>Application to Industrial Tribunal and the manner of deciding application under sub-section (6) of section 53 by Industrial Tribunal</b></p> | <p><b>46.</b></p> | <p>(7) All the evidences before the conciliation officer, except the documentary evidence, shall be filed in the form of affidavit and the parties to the dispute shall also file the application or, as the case may be, reply or rejoinder thereof in the form of an affidavit.</p> <p>(1) If any dispute which is not settled during the conciliation proceedings, then either of the concerned party may make an application in <b>Form XXIII</b>, before the Tribunal manually or electronically, within ninety days from the date of the report under sub-rule (4) of rule 45.</p> <p>(2) The application to the Tribunal shall be accompanied with a statement containing complete details of dispute, documents and its list and name, addresses, contact numbers and e-mail addresses (if possible) of the opposite parties.</p> <p>(3) The applicant shall file such copies of applications, in a registered envelope with address of the opposite parties, as is equivalent to the number of opposite parties.</p> <p>(4) The Tribunal, if satisfied prima-facie that the cause of dispute is legal, may take cognizance of dispute, and issue notice to opposite parties fixing the date which shall be within one month from submission of application as far as possible, accompanied with application and statement submitted by person raising the dispute.</p> <p>(5) If opposite party is trade union or federation of trade unions, notice shall be issued to Secretary or General Secretary of the Trade Union or the Federation of trade unions and service to such Secretary or General Secretary shall be deemed service to union or federation respectively.</p> <p>(6) If Tribunal finds that the application is not in accordance with rules, the application is incomplete or that the statement/ document/ addressed envelope is not enclosed with the application he may direct the person raising the dispute to submit the same in accordance with the rules.</p> |

(7) Where the Tribunal finds that the party raising the dispute despite its directions did not forward the copy of the statement of claim or any other documents to the opposite party or parties it shall give directions to the concerned party to furnish the copy of the statement to the opposite party or parties granting extension of 15 days for filing the statement, if the Tribunal finds sufficient cause for not filing the statement of claim and other documents within time.

(8) If party raising the dispute, files an application on affidavit then the opposite party must file the written statement on affidavit, and if opposite party does not file written statement on affidavit, the Tribunal may construct the material in application as true.

(9) The opposite party or parties shall within thirty days from the date of first hearing so far as possible, file a written statement accompanied with the documents and the list of documents, list of witnesses and shall provide copies to other parties.

(10) Within two weeks of submission of written statements, other parties shall file their rejoinder and forward copies of the same to other parties.

(11) The Tribunal shall frame issues for decision in the dispute on the basis of written statements and documents filed.

(12) Evidence shall be recorded either in Tribunal or may be filed on affidavit and the opposite party shall have the right to cross-examine each of the deponent filing the affidavit or the witnesses, as the case may be. Where the oral examination of each witness proceeds, the Tribunal shall make a memorandum of the substance of what is being deposed. While recording oral evidence, the Tribunal shall follow the procedure laid down in the Rule 5 of Order XVIII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. 5 of 1908).

(13) All parties may submit additional document with prior permission of the Tribunal.

(14) On completion of evidence, arguments may be

heard immediately, or a date may be fixed for arguments, which shall not be beyond a period of fifteen days from the closure of evidence.

(15) The Tribunal shall not ordinarily grant an adjournment for a period exceeding a week at a time, but not in any case more than three adjournments in all, at the instance of the parties to the dispute, shall be granted:

Provided that the Tribunal for reasons to be recorded in writing, may grant an adjournment exceeding a week at a time but not in any case more than three adjournments, at the instance of any one of the parties to the dispute.

(16) In case any party defaults or fails to appear at any stage, the Tribunal may proceed with the case ex-parte, and decide the application in the absence of the defaulting party:

Provided that the Tribunal may on the application of either party before the submission of the award, revoke the order to proceed ex- parte, if it is satisfied that the absence of the party was on justifiable grounds, and proceed further to decide the matter as contested.

(17) The Tribunal shall communicate its award, electronically or otherwise, to the parties concerned and to the State Government or the Officer notified in this behalf within one month from the date of the pronouncement of the award.

(18) The Tribunal may summon and examine any person whose evidence appears to it to be material for deciding the case and shall be deemed to be a Civil Court within the meaning of sections 384, 385 and 387 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No.46 of 2023).

(19) The representatives of the parties appearing before a Tribunal shall have the right of examination, cross-examination and of addressing the Tribunal when evidence has been called.

(20) The proceedings before Tribunal shall be held in

|   |  |
|---|--|
|   | <p>open Court: Provided that the Tribunal may direct any proceeding before it to be held by video conferencing:</p> <p>Provided further that Tribunal may at any stage direct that any witness shall be examined, or its proceedings be held in-camera.</p> <p>(21) Where assessors/commissioner are appointed to advise a Tribunal under sub-section (5) of section 49 in relation to a proceeding before it, the Tribunal shall obtain the advice of such assessors, but such advice shall not be binding on such Tribunals.</p> <p>(22) A party in an award, who wants to obtain a copy of the award or other document, may obtain a copy of the award or other document after depositing the fee through Court fee stamp manually or electronically in the Tribunal in the following manner, namely:—</p> <p>(a) fee for obtaining a copy of an award or the document filed in any proceedings of Tribunal or any proceedings recorded by the Tribunal in the course of adjudication, be charged at the rate of two rupees per page;</p> <p>(b) for certifying a copy of any such award or order or document, an extra fees of rupees two per page shall be payable;</p> <p>(c) where a party applies for immediate delivery of a copy of any such award or document, an additional fee equal to one-half of the fee leviable under this Rule shall be payable.</p> <p>(23) Any person who is not a party to dispute may get copies of award or document after paying the fee as prescribed in sub-Rule (22) of this Rule.</p> |
| <p><b>Application for recovery of money due from an employer under section 59</b></p> | <p><b>47.</b> (1) Where any money is due from an employer to a worker or a group of workers under a settlement or an award or under the provisions of Chapter IX or Chapter X of the Code, the worker or the group of workers, as the case may be, may apply in <b>Form -XXIV</b> for the recovery of such money due:</p> <p>Provided that in the case of a person authorised in writing by the worker, or in the case of the death of</p>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>the worker, the assignee or heir of the deceased worker shall make the application in <b>Form XXV</b>.</p> <p>(2) Where any worker or a group of workers is entitled to receive from the employer any money or any benefit which is capable of being computed in terms of money, the worker or the group of workers, as the case may be, may apply to the Tribunal having jurisdiction, in <b>Form XXVI</b> for the determination of the amount due or, as the case may be, the amount at which such benefit should be computed, and such Tribunal shall decide the application within a period not exceeding three months from the date on which the application is filed:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that in the case of the death of a worker referred to in this sub-rule, the application shall be made in <b>Form XXVII</b> by the assignee or heir of the deceased worker.</p>  |
| <p><b><u>CHAPTER-VIII</u></b><br/><b><u>STRIKES AND LOCK-OUTS</u></b></p>  |  |
| <p><b>Number of persons by whom the notice of strike shall be given, the person or persons to whom such notice shall be given and the manner of giving such notice under sub-section (4) of section 62</b></p> | <p><b>48.</b> (1) The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 shall be given to the employer of an industrial establishment in <b>Form XXVIII</b> which shall be duly signed by the Secretary and five elected representatives of negotiating union or Secretaries and five elected representatives of Trade unions in negotiating council relating to such industrial establishment endorsing the copy thereof electronically or otherwise to the concerned Conciliation Officer, Labour Commissioner and the State Government.</p> <p>(2) The date of receipt of the notice referred to in sub-section (1) shall be the date of receiving the notice for the purposes of clause (a) of sub-rule (1) of rule 45.</p> <p>(3) If the employer of an industrial establishment receives any notice of strike as referred to in sub-section (1) of section 62 from any person employed by him, then he shall, within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically</p> |

|   |            |   |
|---|------------|---|
|   |            | to the concerned conciliation officer, Labour Commissioner and the State Government.  |
| <b>Manner of giving notice of lock-out under sub-Section (5) and authority under sub-Section (6) of Section 62</b>          | <b>49.</b> | <p>(1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given by the employer of an industrial establishment in <b>Form-XXIX</b> to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment by registered post or speed post or electronically, endorsing a copy thereof to the concerned Conciliation Officer, Labour Commissioner and the State Government.</p> <p>(2) The notice referred to in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment and a copy of the said notice may also be posted on the designated portal, if any, of such industrial establishment and the date of receipt of such notice by the conciliation officer shall be the date of receiving the notice for the purposes of clause (a) of sub-rule (1) of rule 45.</p> <p>(3) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, then he shall, within five days from the date of such notice, intimate electronically the same to the concerned conciliation officer and the Labour Commissioner.</p> |
| <p><b><u>CHAPTER-IX</u></b></p> <p><b><u>LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE</u></b></p> <p style="text-align: center;">-</p> |            |   |
| <b>Manner of serving notice before retrenchment of the worker under clause (c) of section 70</b>                            | <b>50.</b> | <p>If any employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year under him, then, such employer shall give prior notice of such retrenchment in <b>Form-XXX</b> to the State Government, and to the concerned Regional Additional Labour Commissioner/Deputy Labour Commissioner through e-mail or, by registered or speed post, in the following manner, namely:—</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>a. where notice is given to a worker, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which notice is served on the worker;</p> <p>b. where no notice is given to the worker and he is paid one month's wages in lieu thereof, notice of retrenchment shall be sent within three days from the date on which such wages are paid; and</p> <p>c. where retrenchment is carried out under an agreement, which specifies a date for the termination of service, notice of retrenchment shall be sent to the State Government and along with a copy thereof to the Regional Additional Labour Commissioner/Deputy Labour Commissioner at least one month before such date:</p> <p>Provided that if the date of termination of service agreed upon is within thirty days of the agreement, the notice of retrenchment shall be sent to State Government along with a copy thereof to the Regional Additional Labour Commissioner/Deputy Labour Commissioner concerned within three days of the agreement.</p> |
| <p><b>Manner of giving an opportunity for re-employment to the retrenched workers under section 72</b></p> | <p>51. (1) The employer shall prepare a list of all workers in the particular category from which retrenchment is contemplated, arranged according to the seniority of their service in that category and cause a copy thereof to be pasted on a notice board in a conspicuous place in the premises of the industrial establishment at least seven days before the actual date of retrenchment.</p> <p>(2) When any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling such vacancies, then, the employer of such industrial establishment shall, if such workers are citizens of India and have given their willingness for employment, give them preference over other on the basis of their service seniority.</p> <p>(3) The employer shall arrange for the display on a notice board in a conspicuous place in the premises of</p>   |

the industrial establishment the details of vacancies at least fifteen days before the date on which such vacancies are to be filled and shall also give intimation of those vacancies by registered post or speed post or through e-mail to every one of all the retrenched workers eligible to be considered therefor, to the latest address or e-mail, given by each of them at the time of retrenchment or at any time thereafter:

Provided that when the number of such vacancies is less than the number of retrenched workers, it shall be sufficient if the intimation is given by the employer individually to the senior most retrenched workers in the list referred to in sub-rule (1) and the number of such senior-most workers being double the number of such vacancies:

Provided further that where the vacancy is of duration of less than one month there shall be no obligation on the employer to send intimation of such vacancy to individual retrenched workers:

Provided also that if a retrenched worker, without sufficient cause being shown in writing to the employer, does not offer himself for re-employment on the date or dates specified in the intimation sent to him by the employer under this sub-rule, the employer may not intimate to him the vacancies that may be filled on any subsequent occasion.

(4) Immediately after complying with the provisions of sub-rule (3), the employer shall also inform the negotiating union or the constituent of negotiating council or Trade Unions connected with the industrial establishment, of the number of vacancies to be filled and names of the retrenched workers to whom intimation has been sent under that sub-rule:

Provided that the provisions of this sub-rule need not be complied with by the employer in any case where intimation is sent to every worker mentioned in the list prepared under sub-rule (1).

|                          |            |  |
|--------------------------|------------|--|
| <b>Manner of serving</b> | <b>52.</b> | (1) If an employer intends to close down an industrial |
|--------------------------|------------|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>notice by the employer for intended closure under sub-section (1) of section 74</p>   | <p>establishment, he shall give notice of such closure in <b>Form-XXX</b> to the State Government and a copy thereof to the Labour Commissioner and concerned Regional Additional Labour Commissioner/Deputy Labour Commissioner manually or electronically or otherwise by registered post or speed post.</p> <p>(2) A copy of the notice referred to in sub-rule (1) shall also be sent to the registered Trade Unions or authorized representatives of workers, as the case may be, operating in the Industrial establishments.</p>   |
| <p>-</p> <p><b><u>CHAPTER-X</u></b></p> <p><b><u>SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS</u></b></p>  |  |
| <p>Manner of making application to the State Government by the employer for the intended lay-off and the manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 78</p> | <p><b>53.</b> (1) An application for permission under sub-section (1) of Section 78 shall be made by the employer in <b>Form-XXXI</b> stating clearly therein the reasons for the intended lay-off and a copy of such application shall be served simultaneously to the State Government and workers concerned electronically, or in person, or by registered post or speed post.</p> <p>(2) The application referred to in sub-rule (1) shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment.</p>  |
| <p>Time-limit for review under sub-section (7) of section 78</p>   | <p><b>54.</b> (1) The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (4) of the section 78.</p> <p>(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application, within thirty days from the date on which the order is made, to the State Government for reviewing the order and that Government shall, within two months from the date on which the application is made, dispose of the same after providing the concerned parties an</p> |

|  |     |   |
|--|-----|---|
|  |     | <p>opportunity of being heard.</p> <p>(3) Where the State Government decides to review the order referred to in sub-section (1) on its own motion, it may take necessary steps within one month from the date on which the order is made and after providing the concerned parties an opportunity of being heard, dispose of such review within a period of two months from the date on which such decision is taken.</p>   |
| <p><b>Manner of making application to the State Government by the employer for the intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers under sub-section (2) of section 79</b></p> | 55. | <p>(1) An application for prior permission referred to in sub-section (1) of section 79 shall be made by the employer in <b>Form-XXXI</b> to the State Government stating clearly therein the reasons for the intended retrenchment manually or electronically and a copy of such application shall also be sent to workers manually or electronically, and by registered post or speed post.</p> <p>(2) Such application shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board at the main entrance to the industrial establishment.</p>   |
| <p><b>Time-limit for review under sub-section (6) of section 79</b></p>  | 56. | <p>(1) The State Government may, either on its own motion or on the application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (3) of section 79.</p> <p>(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application within thirty days from the date on which such order is made, to the State Government for reviewing that order and that Government shall within a period of two months from the date on which such application is made, dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.</p> <p>(3) Where the State Government decides to review the order referred to in sub-section (1), on its own motion, it may take necessary steps within one month from the date on which such order is made and after providing</p> |

|   |            |  |
|---|------------|--|
|   |            | the concerned parties an opportunity of being heard, dispose of such review within a period of two months from the date on which such decision is taken.   |
| <b>Manner of making application to the State Government by the employer for intended closing down of an industrial establishment and the manner of serving copy of such application to the representatives of workers under sub-section (1) of section 80</b> | <b>57.</b> | An employer who intends to close down an industrial establishment to which Chapter X of the Code applies shall apply manually or electronically in <b>Form - XXXI</b> for prior permission at least ninety days before the date on which intended closure is to become effective to the State Government, stating clearly therein the reasons for the intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the registered trade unions operating in industrial establishment manually or electronically and by registered post or speed post.  |
| <b>Time-limit for review under sub-section (5) of section 80</b>  | <b>58.</b> | (1) The State Government may, either on its own motion or on an application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission under sub-section (2) of section 80.<br>(2) The employer or any worker concerned may make an application along with the order referred to in sub-rule (1), within thirty days from the date on which such order is made, to the State Government for reviewing that order and that Government shall, within two months from the date on which such application is made, dispose of that application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.<br>(3) Where the State Government decides to review the order referred to in sub-section (1) on its own motion, it may take necessary steps within one month from the date on which the order is made, and after providing the concerned parties an opportunity of being heard, dispose of such review within a period of two months from the date on which such decision is taken. |

| -<br><b>CHAPTER-XI</b><br><b><u>WORKER RE-SKILLING FUND</u></b>  |  |
|--|--|
| <b>Constitution of Workers Reskilling Fund and its resources under clause(b) of sub-section(2) of section 83</b> | <p><b>59.</b> (1) The worker Re-Skilling Fund set-up under sub-section (1) of section 83 along with the contribution specified in clause (a) of sub-section (2) of section 83 of the Code, shall consist of, -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. the contribution from Central Government or authority or undertaking of the Central Government, or any other person;</li> <li>b. the contribution from State Government or authority or board or corporation or undertaking or any other body constituted by any law and being in operation under the control of the State Government, or any other person;</li> <li>c. the contribution from employer who retrenches a worker or workers under this Code according to sub-rule (3).</li> </ul> <p>(2) Every employer who has retrenched a worker or workers under this Code, shall, within ten days, from the date of such retrenchment, electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in such fund.</p> |
| <b>Manner of utilization of Uttar Pradesh Workers Re-skilling fund under sub-section (3) of section 83</b>       | <p><b>60.</b> (1) The name and other particulars of the fund shall be displayed on the departmental website and the website of Labour Commissioner, Uttar Pradesh.</p> <p>(2) This fund shall be administered and operated by the authority duly appointed by State Government in this behalf.</p> <p>(3) The contribution to the fund so received under sub-rule (2) of rule 59 shall be transferred by the State Government or Labour Commissioner, Uttar Pradesh or the authority as appointed by State Government under sub-rule (2), in this behalf, to each worker or worker's account electronically within forty-five days of receipt of funds from the employer, to enable that worker to utilize</p>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>that amount for his/her re-skilling.</p> <p>(4) The employer shall also submit the list containing the name of each worker retrenched, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn in respect of each worker along with their bank account details to enable the State Government to transfer the amount in their respective accounts.</p> <p>(5) The State Government may create a new portal to monitor the worker Re-Skilling Fund.</p>   |
| <p>-</p> <p><b><u>CHAPTER-XII</u></b></p> <p><b><u>OFFENCES AND PENALTIES</u></b></p>   |   |
| <p><b>Manner of composition of offence by a Gazetted Officer and the manner of making application for compounding of any offence under sub-sections (1) and (4) of section 89</b></p> | <p><b>61.</b> (1) The officer notified by the State Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 89 (hereinafter referred to as the compounding officer) shall, if he is of the opinion that any offence under the Code for which the compounding is permissible under the said section and in respect of which prosecution is not instituted, send a notice to the accused in <b>Form XXXII</b> consisting of three parts through the designated portal .</p> <p>(2) In <b>Part I of Form XXXII</b>, the compounding officer shall, <i>inter alia</i>, specify—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) the name of the offender and his other particulars;</li> <li>(b) the details of the offence and the section under which the offence has been committed; and</li> <li>(c) the compounding amount required to be paid towards the composition of such offence.</li> </ul> <p>(3) In <b>Part II of the Form XXXII</b>, the compounding officer shall specify the consequences if the offence is not compounded, and Part III of the said Form shall contain the application to be filed by the accused, if he desires to compound the offence.</p> <p>(4) Each notice referred to in sub-rule (1) shall have a continuous unique number containing alphabets or numerical and other details such as compounding officer</p> |

concerned, industrial establishment, year, place and type of inspection for the purpose of easy identification.

(5) The accused to whom the notice referred to in sub-rule (1) is served, may send the duly filled up application in **Part III of Form XXXII** to the compounding officer electronically and deposit the compounding amount electronically, or by cash, or demand draft, as the case may be, within fifteen days of the receipt of the notice, in the account specified by the compounding officer in the notice.

(6) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the Court of competent jurisdiction, the accused may make an application to such Court to allow composition of the offence against him and that Court may, after considering the application, allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with the provisions of section 89 and procedure specified in this rule.

(7) If the accused complies with the requirement of sub-rule (5), the compounding officer shall compound the offence for the amount of money deposited by the accused and—

- a. if the offence is compounded before the institution of prosecution, then, no complaint for prosecution shall be instituted against the accused;
- b. if the offence is compounded pending proceeding under section 85, the compounding officer shall intimate the composition to the officer referred to in that Section, who shall, after intimation, close the proceeding in respect of the accused person of such offence; and
- c. if the offence is compounded after the institution of prosecution under sub-rule (6) with the permission of the Court, then, the compounding officer shall treat the case as closed and intimate the composition of the offence to the competent Court by which such composition was allowed and after receiving such intimation, the Court shall

|   |  |
|---|--|
|   | <p>discharge the accused person and close the prosecution.</p> <p>(8) The compounding officer shall exercise the powers to compound offence under this rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.</p>  |
| <p>-</p> <p><b><u>CHAPTER-XIII</u></b></p> <p><b><u>MISCELLANEOUS</u></b></p> |  |
| <p><b>Protected workers under section 90(4)</b></p>                           | <p><b>62.</b> (1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the provisions of the Code apply, shall communicate to the employer before the 30<sup>th</sup> April of every year, the names and addresses of such of the officers of such Trade Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of such Trade Union should be recognized as protected workers.</p> <p>(2) Any change in the incumbency of any officer of the Trade Union referred to in sub-rule (1) shall be communicated to the employer by such Trade Union within fifteen days of such change.</p> <p>(3) The employer shall, within fifteen days of the receipt of the names and addresses from the Trade Union under sub-rule (1) and subject to the provisions of sub-section (3) and sub-section (4) of section 90, recognize such workers to be protected workers for the purposes of the said section and communicate to such Trade Union, in writing, the list of workers recognized as protected workers for a period of twelve months from the date of such communication.</p> <p>(4) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1) exceeds the maximum number of protected workers, admissible for the industrial establishment under sub-section (4) of section 90, the employer shall recognize only such maximum number of workers as protected workers:</p> <p style="text-align: center;">Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment,</p> |

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
|   |                      | <p>the maximum number shall be so distributed by the employer among the Trade Unions that the numbers of recognized protected workers in individual Trade Unions bear practicably the same proportion to one another as the membership figures of the Trade Unions; and the employer shall in that case intimate in writing to the President or the Secretary of each of the concerned Trade Union, the number of protected workers allotted to it:</p> <p>Provided further that where the number of protected workers allotted to such a Trade Union under this sub-rule falls short of the number of officers of such Trade Union seeking protection, then that Trade Union shall be entitled to select the officers to be recognized as protected workers; and such selection shall be made by that Trade Union and communicated to the employer within five days of the receipt of written intimation of the employer in this regard.</p> <p>(5) Where a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of protected workers under this Rule, such dispute shall be referred to the any Additional/Deputy Labour Commissioner concerned, whose decision thereon shall be final.</p> |
| <p><b>Manner of making complaint by and aggrieved worker under section 91</b></p> | <p><b>63.</b></p>    | <p>(1) Every complaint under section 91 of the Code shall be made manually or electronically and by registered post or speed post in <b>Form XXXIII</b> and shall be accompanied by as many copies as there are opposite parties mentioned in the complaint.</p> <p>(2) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the worker making the complaint or by authorized representative of the worker proved to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator or Tribunal, as the case may be, to be acquainted with the facts of the case.</p>  |
| <p><b>Manner of authorization</b></p>   | <p><b>of 64.</b></p> | <p>Where the worker is not a member of any Trade Union, then, any member of the executive or other</p>  |

|  |     |  |
|--|-----|--|
| <p><b>worker for representing in any proceeding under sub-section (1) of section 94</b></p>  |     | <p>office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed may be authorized by such worker to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the worker is a party in <b>Form XXXIV</b>.</p>   |
| <p><b>Manner of authorization of worker for representing in any proceeding under sub-section (1) of section 94</b></p>                                   | 65. | <p>Where the employer, is not a member of any association of employers, may authorize in <b>Form XXXIV</b> an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged to represent him in any proceeding under the Code relating to a dispute in which the employer is a party.</p>   |
| <p><b>Submission of a copy of certain Forms to the office of Director General, Labour Bureau under clause (zzf) of sub-section (2) of section 99</b></p> | 66. | <p>A copy each of <b>Form XXVIII</b> (notice of strike), <b>Form XXIX</b> (notice of lockout), <b>Form XXX</b> (notice for intimation of retrenchment or closure to the State Government), <b>Form XXXI</b> (Application for permission of lay-off or retrenchment or closure), and <b>Form XXXII</b> (compounding of offences), shall be shared electronically with Director General, Labour Bureau in auto-mode.</p>   |
| <p><b>Publication for communication</b></p>  | 67. | <p>For the purposes of communication to effect service of messages and documents under these rules, the State Government, Tribunal, every employer for which the State Government is the appropriate Government, every Trade Union, negotiating union or the constituents of negotiating council and every authority referred to in these rules, shall specify their e-mail id or website or portal or any or all of them, as the case may be, in their respective letter-heads.</p> |
| <p><b>Maintenance of records, registers, forms, notice and display board</b></p>   | 68. | <p>(1) All records, registers, forms, notices, display boards and other documents which are required to be maintained under the Code and under these rules shall also be maintained in electronic manner in the required</p>   |

|                                    |            |   |
|------------------------------------|------------|---|
|                                    |            | <p>format or containing the information as is required.</p> <p>(2) The records, registers, forms, notices, display boards and other documents referred to in sub-rule (1) shall comply with the requirement of retention of records and shall be produced or shown as and when required by the Inspector-cum-Facilitator or the concerned authority specified in this behalf under the Code or these rules.</p>   |
| <b>Appointment of Commissioner</b> | <b>69.</b> | <p>Where it is necessary to appoint a Commissioner under sub-section (3) of section 59 for the purposes of computing the money value of a benefit referred to in sub-section (2) of the said section, the Tribunal may appoint a,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. person with experience in the particular industry, trade, business or field encompassing the question referred to in sub-section (2) of the said section; or</li> <li>b. person who had been a Judge of a Civil Court; or</li> <li>c. stipendiary Magistrate; or</li> <li>d. Registrar or Secretary of a Tribunal constituted under any Central Act or, a Tribunal or a National Industrial Tribunal constituted under the Code.</li> </ul>   |
| <b>Fees for Commissioner etc</b>   | <b>70.</b> | <p>(1) The Tribunal shall, after consultation with the parties, estimate the probable duration of enquiry by the Commissioner referred to in rule 69 and fix the amount of his fees and other incidental expenses incurred by him.</p> <p>(2) The Tribunal shall direct the payment of fees and other incidental expenses to the Commissioner into the nearest treasury, within a specified time, by such party or parties and in such proportion, as it may deem fit.</p> <p>(3) The Commissioner shall not submit his report until the receipt of deposit into the treasury of the sum referred to in sub-Rule (2) is filed before the Tribunal:</p> <p style="padding-left: 40px;">Provided that the Tribunal may, for reasons to be recorded in writing, direct that any further sum or sums be deposited into the treasury within such time and by</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>such parties as it may deem fit:</p> <p>Provided further that the Tribunal may in its discretion, extend the time for depositing such sum into the treasury.</p> <p>(4) The Tribunal may, at any time, for reasons to be recorded in writing, vary the amount of the Commissioner's fees in consultation with the parties.</p> <p>(5) The Tribunal may direct that the fees shall be disbursed to the Commissioner in such installments and on such date as it may deem fit.</p> <p>(6) The undisbursed balance, if any, of the sum deposited under this Rule shall be refunded to the respective party or parties who deposited the sum in the same proportion as that in which it was deposited.</p>   |
| <p><b>Time for submission of report</b></p> | <p><b>71.</b> (1) Every order for the appointment of Commissioner under sub-section (3) of section 59 shall indicate a date, allowing sufficient time, for the Commissioner to submit his report.</p> <p>(2) If for any reason the Commissioner anticipates that the date fixed for the submission of his report is likely to be exceeded, he shall apply, before the expiry of the said date, for extension of time setting forth grounds thereof and the Tribunal shall, after consideration, pass suitable orders on such application:</p> <p>Provided that the Tribunal may, if it deems fit for sufficient cause, grant extension of time even where no application for such extension has been received from the Commissioner within the time limit allowed under sub-rule (1).</p> |

Digitally signed by  
**SHANMUGA SUNDARAM**  
Date: 16-02-2026  
15:47:11

**By Order,**  
  
**(Dr. M.K. Shanmuga Sundaram)**  
**Principal Secretary.**

**SCHEDULE I**  
**List of Officers**

| Sl. No. | Title | Name | Age | Address | Occupation |
|---------|-------|------|-----|---------|------------|
| 1       |       |      |     |         |            |
| 2       |       |      |     |         |            |

[Note: Enter in the schedule the names of all members of the executive(including all honorary or temporary members) of the union shown in column II the names of any post held by them (e.g. President, Secretary, Treasurer etc.) in addition to their offices as members of the executive.]

**SCHEDULE II**  
**Reference to Rules**

The numbers of the rules making provision for the several matters detailed in column-1 are given in column to below:

| Matter  | Numbers of Rules |
|---|------------------|
| 1   | 2                |
| Name of union   |                  |
| The objects for which the union has been established  |                  |
| The purposes for which the general funds of the union shall be applicable   |                  |
| The purposes for which the civil and political funds (if any) of the union shall be applicable                      |                  |
| The maintenance of a list of members  |                  |
| The facilities provided for the inspection of the list of members by officers and members                           |                  |
| The admission of ordinary members   |                  |
| Admission of honorary or temporary members  |                  |
| The conditions under which members are entitled to benefits assured by the rules                                    |                  |
| The conditions under which fines or forfeitures can be imposed or varied  |                  |
| The manner in which the rules shall be amended, varied or rescinded   |                  |
| The manner in which the members of the executive and the other officers of the union shall be appointed and removed |                  |

|  |  |
|--|--|
| The safe custody of the fund   |  |
| The annual audit of the accounts   |  |
| The facilities for the inspection of the account books by officers and members |  |
| The manner in which the union may be dissolved                                 |  |

**SCHEDULE III**

**(This need not to be filled if the union came into existence less than one year before the date of application for registration)**

**Statement of liabilities and Assets on the ..... Day of .....20....**

| Liabilities                          | Rs    | Assets                         | Rs.   |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Amount of general fund               | ..... | Cash                           | ..... |
| Amount of political fund             | ..... | In hands of Treasurer          | ..... |
| Loans Taken form-                    |       | In hands of Secretary          | ..... |
|                                      |       | In hands of                    | ..... |
|                                      |       | In the ..... Bank              | ..... |
|                                      |       | In the .....Bank.              | ..... |
|                                      |       | .....                          |       |
|                                      |       | Securities as per list         |       |
|                                      |       | below                          | ..... |
|                                      |       | Unpaid subscription due        | ..... |
|                                      |       | Loans to                       | ..... |
| Debts due to –                       |       | .....                          |       |
| .....                                |       | .....                          |       |
| .....                                |       | .....                          |       |
| .....                                |       | .....                          |       |
| .....                                |       | .....                          |       |
| .....                                |       | .....                          |       |
| Other liabilities (to be specified)- |       | Immovable property             | ..... |
|                                      |       | Goods and furniture            | ..... |
|                                      |       | Other assets (to be specified) | ..... |
|                                      |       | .....                          |       |
| <b>Total liabilities</b> .....       |       | <b>Total assets</b> ....       |       |

**List of Securities**

| <b>Particulars</b> | <b>Nominal Value</b> | <b>Market value</b> | <b>In hands of</b> |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                    |                      |                     |                    |
|                    |                      |                     |                    |
|                    |                      |                     |                    |
|                    |                      |                     |                    |

Signed

- 1 .....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

**SCHEDULE IV**

**We hereby declare having consent to our being elected as officers of the**  
..... **(name of the Trade Union).**

---

|          | Signature | Designation |
|----------|-----------|-------------|
| Signed   |           |             |
| 1. ....  |           |             |
| 2. ....  |           |             |
| 3. ....  |           |             |
| 4. ....  |           |             |
| 5. ....  |           |             |
| 6. ....  |           |             |
| 7. ....  |           |             |
| 8. ....  |           |             |
| 9. ....  |           |             |
| 10. .... |           |             |

**FORM-I**

**(Section -2(zi)) (Rule -3)**

**(Memorandum of settlement arrived at during conciliation or settlement arrived at  
between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation  
proceeding)**

Name of the parties:

Representing employer(s):.....

Representing workmen:.....

Short recital of the case

.....  
.....  
.....

Terms of the settlement

1. ....
2. ....
3. ....

Signature of Witnesses

1. ....  
(Name and designation)
2. ....  
(Name and designation)

Signature of the Parties

1. ....  
(Name and designation)
2. ....  
(Name and designation)

\*Signature of Conciliation

Officer

Copy to:

- (1) The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Uttar Pradesh
- (2) The Conciliation officer, Uttar Pradesh

**\* In case the settlement arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned Regional Additional/Deputy Labour Commissioner.**

**Form II**  
**(Section-7(j)) [sub- rule 7 of Rule 9]**  
**Auditors' Declaration**

The undersigned having had access to all the books and accounts of the ..... (Union) and having examined the foregoing statement and verified the same with the account vouchers relating thereto, now sign the same as found to be correct, duly vouched and in accordance with the law, subject to the remarks, if any, appended hereto and also certify that the ..... (Union) has properly maintained its membership registers and its accounts and the member had paid their membership subscriptions to the ..... (Union) as shown in the foregoing statement of the General Fund Account of the Union, subject to the remarks, if any, appended hereto.

(1) Auditor.

(2) Auditor.

Note:- Each Auditor should state before his signature that what capacity with reference to Rule-28 he is qualified to audit the trade union's accounts.

**FORM - III**

**(See Rule - 9)**

**(STANDARD FORMAT OF AFFIDAVIT FOR REGISTRATION OF TRADE UNION BEFORE REGISTRAR OF TRADE UNION, U.P.)**

The deponents submit

1. That we have made application for the registration of Trade Union under sub-section (1) of Section 6 of Industrial Relation Code 2020 read with Rule 12 under the name ....  
.....(Proposed name of the Trade Union).
2. That we are duly authorized to make application for the registration of the said union.
3. That the content of application and documents attached with application are true and correct and nothing have been concealed
4. That in case of any legitimate claimant of union's name, we will surrender the certificate and change name of the union as per directions of the Registrar Trade Unions, U.P.
5. That no member or office bearer has ever been convicted by Courts of India for any offence involving moral turpitude and sentenced to imprisonment.
6. That all particulars supplied as per Forms and Schedules as well as other documents are true.
7. That the scope of the Union shall be for the employees of ----- (Name of Establishment)
8. That there are ----- employees are working in -----  
------(Name of Establishment) and out of which ----- employees are members of our union.
9. That I shall furnish such other documents and/or in Formation as required by the Registrar for the purpose of this application.
10. That this is my true statement and it conceals nothing and that no part of it is false.
11. That the authority shall be at liberty to take appropriate action against me if any information/document furnished is found to be false, frivolous or incorrect.
12. That the list of Trade Union Member along with attested Aadhar Number for verification is appended with the affidavit and no member has been compelled or force to share the Aadhar.

| Sl. No | Name | Designation | Occupation | Address | Mobile No |
|--------|------|-------------|------------|---------|-----------|
| 1      |      |             |            |         |           |
| 2      |      |             |            |         |           |
| 3      |      |             |            |         |           |
| 4      |      |             |            |         |           |
| 5      |      |             |            |         |           |
| 6      |      |             |            |         |           |
| 7      |      |             |            |         |           |

Verification

It is verified that the contents of the aforesaid affidavit are to the best of my/our Knowledge and belief, true and correct.

Date .../.../... (dd/mm/yy)  
Applicant(s)

Signature of

**FORM IV**  
**(Section-9 (1)) (Rule 12)**

**Application for registration of a Trade Union**

Dated the ..... day of ..... 20.....

1. We hereby apply for registration of a Trade Union under the name of .....

2. The address of head office of Union is .....

3. The Union came in to existence on the ..... Day of .....20..... and has on its roll on the date of this application .....members

4. The union is a union of employer/workers engaged in the ..... industry (or profession)

5. We have been duly authorized to make this application by resolution of members

| Name of Applicant | Signature | Occupation | Address | Mobile No |
|-------------------|-----------|------------|---------|-----------|
| 1 .....           |           |            |         |           |
| 2 .....           |           |            |         |           |
| 3 .....           |           |            |         |           |
| 4 .....           |           |            |         |           |
| 5 .....           |           |            |         |           |
| 6 .....           |           |            |         |           |
| 7 .....           |           |            |         |           |

- Annexure-
- Schedule I: List of officers
  - Schedule II: Reference to rules
  - Schedule III: Assets and liabilities
  - Schedule IV: Consent of office bearers
  - Affidavit by applicant
  - Copy of Constitution or bye-laws of Trade Union together with copy of resolution adopting such constitution or bye-laws.
  - Copy of resolution authorizing the applicant to make application.
  - In case of federation or central organization of trade union, a copy of resolution by members of each of the member union.

To,  
Registrar of Trade Union,  
Uttar Pradesh

**FORM V**  
**(Section-9(2)) (Rule 13)**  
**Certificate of registration of Trade Union**

Registration No.

It is hereby certified that the .....  
has been registered as a Trade Union under The Industrial Relations Code, 2020, on this  
.....day of .....20.....

Seal of Registrar

.....

Registrar of Trade Unions,

U.P.

**FORM VI**  
**(Section-9(3)) (Rule 14)**  
**Register of Trade Unions**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Serial No.                                |                       |
| 2. Name of union                             |                       |
| 3. Address of head office                    |                       |
| 4. Date of registration                      |                       |
| 5. Number of application forms               |                       |
| 6. List of members applying for registration |                       |
| 7.   | Officers of the Union |

| Name of Officers of Union | Year of entering on office | Name     | Age on entry | Address  | Occupation | Year of relinquishing office | Other offices held in addition to membership of executive, with dates |
|---------------------------|----------------------------|----------|--------------|----------|------------|------------------------------|---|
|                           | <i>1</i>                   | <i>2</i> | <i>3</i>     | <i>4</i> | <i>5</i>   | <i>6</i>                     | <i>7</i>  |
| (1)                       |                            |          |              |          |            |                              |   |
| (2)                       |                            |          |              |          |            |                              |   |
| (3)                       |                            |          |              |          |            |                              |   |
| (4)                       |                            |          |              |          |            |                              |   |
| (5)                       |                            |          |              |          |            |                              |   |
| (6)                       |                            |          |              |          |            |                              |   |
| (7)                       |                            |          |              |          |            |                              |   |

**FORM VII**  
**(Section-9(5)) (Rule 15)**

**Application for withdrawal or cancellation of certificate of registration**

Name of the Trade Union .....

Address .....

Registration No .....

Registration Dated ..... Day of .....20.....

To,

The Registrar of Trade Unions,

The above-mentioned trade union desires that it's certificate of registration under the Trade Unions Act, 1926,/ Industrial Relation Code, 2020 may be withdrawn or cancelled. Resolution passed at a general meeting\* duly held on the .....day of .....20..... is as follows.

(Here give exact and true copy of the resolution)

(signed)

Chairman/General Secretary

\* If not at a general meeting, state in what manner the request has been determined upon.

**FORM VIII**

**(Section-11(1) (3)) [sub-rule (1) of Rule 18]**

**Intimation to Registrar, Trade Union, UP regarding changes in Trade Union**

1. Name and Address of the Trade Union already registered .....

.....

2. Registration number and Date .....

3. Following changes occurred in Executive body in the General assembly which has been held on .....(dd/mm/yy) .....(time) at .....(place) under the Chairmanship of Shri/Sushree..... .On this date total membership of the union was ..... out of which .....members participated in the above meeting.

These changes were passed in this meeting and unanimously/ by majority-

(A) Change in office bearers

| Designation | Name | Age | Address | Occupation |
|-------------|------|-----|---------|------------|
| 1           | 2    | 3   | 4       | 5          |
|             |      |     |         |            |

(B) Change in the name of the union-

(i) Existing name of the union-

(ii) Proposed name of the union-

(C) Alteration made in the constitution or by-laws of the union-

| Sl.No. of existing rule or by-laws | Existing rule or by-laws | Rule or by-laws to be substituted |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                    |                          |                                   |

| Signature                     | Signature                          |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Ex-Chairman/President         | Elected Chairman/President         |
| Ex-GeneralSecretary/Secretary | Elected GeneralSecretary/Secretary |

Note.:-

(1) If the signature of Chairman/President and general Secretary/Secretary cannot be got, its sufficient reason shall be mentioned.

(2) If Change in Executive Body occurred due to resignation of any office bearer, the certified copy of such resignation shall be attached with this form.

(3) A certified copy of the resolution passed by the Union shall be annexed with this form.

**FORM IX**

**(Section-11(1) (3)) [sub-rule (1) of rule 18]**

**Register of Changes in the Registration particulars of Trade Union**

1. Name of the Union- .....

2. Registration number and date- .....

3. Date of the meeting in which the resolution of the change has been passed- .....

4. Name of office bearers- .....

| Sl.No. | Designation | Name of office bearer | Age | Address | Occupation/ designation in the industrial establishment |
|--------|-------------|-----------------------|-----|---------|---|
| 1      | 2           | 3                     | 4   | 5       | 6   |

5. Changes:-

Sign and Seal of  
Additional/ Deputy  
Registrar

**FORM X**

**(Section-14(3)(4) (sub rule-3(a) of rule-21)**

**Application for declaring the Trade Union as Negotiating Union or Member of the  
Negotiating council**

Name of the union .....

Address.....

Dated the .....day of .....19.....

To,

The Registrar of Trade Unions,  
Uttar Pradesh.

Dear Sir,

I beg to state that the above-mentioned Trade Union is to be declared as  
Negotiation Union/as the member of Negotiating Council for the Industrial Establishment,  
namely.....

.....,Address.....under sub section (3) / (4) of Section  
14 of the Industrial Relations Code, 2020, and I request that it may be registered accordingly  
in the records of the Registrar. A copy of the particulars and other documents in this behalf  
signed by the authorised person is enclosed.

2. The union was registered on the.....day of .....19.....,under Certificate  
No.....issued by the Registrar of Trade Unions for Uttar Pradesh.

3. A copy of the rules of the Union is attached.

4. The address of the head office of the union to which all the communications may be  
addressed is.....

5. The union has.....members in the .....the Industrial Establishment  
named above.....and represents.....per cent of the total number of employees  
employed in the Industrial Establishment named.

Yours faithfully,  
Authorised Signatory.

**FORM XI**

**(Section-14(3)(4) (sub rule-4(g) of rule-21)**

**Register of Negotiating Union or Member of the Negotiating council**

| Sr no/<br>entry<br>no | Name of the<br>Negotiating<br>Union | Name of the member<br>union of negotiating<br>Council Negotiating<br>Union | Address<br>of office | Date of<br>registration | Name of<br>present<br>office<br>Bearers | Number of<br>Members |
|-----------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|---|----------------------|
| 1                     | 2                                   | 3  | 4                    | 5                       | 6                                       | 7                    |
|                       |                                     |  |                      |                         |   |                      |

| Name of the<br>Industrial<br>Establishment | Address of<br>the Industrial<br>Establishment | Total<br>number of<br>workers<br>which are<br>members<br>of the<br>Trade<br>Unions | Percentage of<br>workers which<br>are members of<br>the Negotiating<br>Union/Member<br>of Negotiating<br>Council | Date of<br>declaration<br>by the<br>Registrar | Any other<br>information | Remark |
|--|---|--|--|---|--------------------------|--------|
| 8  | 9   | 10   | 11   | 12  | 13                       | 14     |
|  |   |  |  |   |                          |        |

Signature and Seal  
Registrar of Trade Unions,  
Uttar Pradesh.

**FORM XII**

**(Section-22(a)) [sub-rule (1) of rule 25]**

**Form of Application for adjudication of Trade Unions Disputes**

Before Industrial Tribunal.....

Between

Name and designation of Applicant)

And

(Name and designation of Opposite party/parties)

Brief recital of the Trade Union Dispute

Signature of Applicant

Verification

It is verified that the content of the application is to the best of my knowledge and belief, true and correct.

Signature of Applicant

**FORM XIII**

**(Section-24(2)(3)) [See sub-rule (1) of rule 26]**

**Notice of amalgamation of trade unions**

- a. Name of registered trade union ..... Number of registration.....
  - b. Name of registered trade union ..... Number of registration (and so on if more than two).  
(Address) .....
- Dated ..... the day of ..... 20 .....

To,

The Registrar of Trade Unions,

Notice is hereby given that in accordance with the requirements of sub-section (3) of Section 24 of the Industrial Relation Code, 2020, the members of each of the above-mentioned trade unions have resolved to become amalgamated together as one trade union.

And that the following are the terms of the said amalgamation (state the terms).

And that it is intended that the trade union shall henceforth be called the.....

Accompanying this notice is a copy of the rules intended to be henceforth adopted by the amalgamated trade union which are the rules (if so) of the.....

.....

(To be signed by seven members and the Secretary of each trade union)

- (Signed) 1. Secretary
- 2.
- 3.
- 4. Members
- 5.

**FORM XIV**

**(Section-26(1)(a) ( Rule 28)**

**Annual return (prescribed under Section 26 of the Industrial Relation Code , 2020) for the year ending 31st, December.....,20**

Name of Union/Federation ..... Registered Head Office ..... Number of certificate of registration .....

1- Return to be made by

federation of trade union-

- \*A. Number of unions affiliated at the beginning of the year.....
- \*B. Number of unions joining during the year.....
- \*C. Number of unions disaffiliated during the year.....
- D. Number of unions affiliated at the end of the year.....

2- Return to be made only

- by trade union
- A. Number of members on books at beginning of the year  
.....
  - B. Number of members admitted during the year  
..... (add together)
  - C. Number of members who left during the year  
.....(deduct)
  - D. Total number of members on books at the end of the year.  
.....
- Male .....
- Female .....
- Transgender

(The name of the affiliated and disaffiliated unions should be given in separate statement marked, \* A", "B" and "C")

Number of members contributing to political  
.....  
fund .....

A copy of the rules of the trade union corrected up to the date of dispatch of this return is appended.

Date the .....20.....

Secretary

**Statement of liabilities and Assets on ..... day of .....20.....**

| <b>Liabilities</b>                  | <b>Rs</b>    | <b>Assets</b>                  | <b>Rs</b>    |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| Amount of general fund              | .....        | Cash                           | .....        |
| Amount of political fund            | .....        | In hands of Treasurer.....     |              |
| Loans taken from                    | .....        | In hand of Secretary.....      |              |
| Other liabilities (to be specified) | .....        | At Bank.....                   |              |
|                                     |              | Securities as per list below   |              |
|                                     |              | Unpaid subscription due.....   |              |
|                                     |              | Loans to.....                  |              |
|                                     |              | Immovable property             | .....        |
|                                     |              | Goods and furniture            | .....        |
|                                     |              | Other assets (to be specified) | .....        |
| <b>Total Liabilities</b>            | <b>.....</b> | <b>Total Assets</b>            | <b>.....</b> |

**List Of Securities**

| Particulars | Face value | Cost price | Market price at date on | In |
|-------------|------------|------------|-------------------------|----|
| hands of    |            |            |                         |    |

which accounts have been

made

Treasurer

**General Fund Accounts**

| Income   | Rs | Expenditure  |
|--|----|--|
| Balance at the beginning of the year               |    | Salaries, allowances and expenses of officers                                |
| Contribution from members at .....per member       |    | Salaries, allowances and expenses of Establishment.....                      |
| Donation .....                                     |    | Auditors fee .....   |
| Sales of periodicals, books, rules, etc.           |    | Legal expenses .....   |
| Interest on investments                            |    | Expenses in conducting trade disputes.....                                   |
| Income from miscellaneous source (to be specified) |    | Compensation paid to members for arising out of State disputes.....          |
| unemployment                                       |    | Funeral, old age, sickness, benefits, etc, educational, social and religious |
| publishing periodicals .....                       |    | benefits.....  |
| taxes, stationary, printing and .....              |    | Cost of Rents, rates and postage   |
| (to be specified).....                             |    | Other expenses   |
| End of the year .....                              |    | Balance at the   |
| Total  |    | Total  |

**Political Fund Accounts**

| Income  | Rs | Expenditure                                    |
|---|----|--|
| Balance at the beginning of the year specified in Section |    | Payment made on object                         |
|   |    | 16(2) of the Trade                             |
| Unions Act, 1926 (to be                                   |    | specified)                                     |
| Contribution from members at .....                        |    | Expenses of management (to be fully specified) |
| .....per member   |    | Balance at the End                             |
| of the year .....   | -  |  |
| <hr/>   |    |  |
| <hr/>   |    | <hr/>  |
| Total   |    | Total  |
| <hr/>   |    |  |
| <hr/>   |    |  |

Treasure

**Auditors' Declaration**

The undersigned having had access to all the books and accounts of the ..... (Union) and having examined the foregoing statement and verified the same with the account vouchers relating thereto, now sign the same as found to be correct, duly vouched and in accordance with the law, subject to the remarks, if any, appended hereto and also certify that the ..... (Union) has properly maintained its membership registers and its accounts and the member had paid their membership subscriptions to the ..... (Union) as shown in the foregoing statement of the General Fund Account of the Union, subject to the remarks, if any, appended hereto.

(1) Auditor.

(2) Auditor.

Note:- Each Auditor should state before his signature that what capacity with reference to Rule-28 he is qualified to audit the trade union's accounts.

**Officers Relinquishing Office**

The following changes of officers have been made during the year :

| Name                         | Office |
|------------------------------|--------|
| Date of relinquishing office |        |
| <hr/>                        |        |
| <hr/>                        |        |



| S.No. | Name of the participants | Name of the constant union of which they are members | Residential address | Remarks |
|-------|--------------------------|--|---------------------|---------|
|       |                          |  |                     |         |

5. The list of members of the executive committee including the office bearers of the recognized state level union/ Federation is also given below

| S.No. | Name | Designation in executive | Age | Address | Occupation | Date of appointment | Remarks |
|-------|------|--------------------------|-----|---------|------------|---------------------|---------|
|       |      |                          |     |         |            |                     |         |

6. A list of registered trade unions affiliated to the/ recognized state level union/Federation is also given below

| S.No | Name of the Union | registration No | Date of registration | Name of the |           | No. of affiliation | Date of Affiliation | Remarks |
|------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------|-----------|--------------------|---------------------|---------|
|      |                   |                 |                      | President   | Secretary |                    |                     |         |
|      |                   |                 |                      |             |           |                    |                     |         |

7. \*Two neatly typed to printed copies of the Constitution/ rules of the Federation are also enclosed.

8. The Trade Union/Federation of Trade Unions has total.....members(number) in the state (District Wise and Trade Union wise membership)

Yours faithfully,  
Signature of the President .....  
Signature of the Secretary .....

\*All enclosures should be duly signed by the Secretary of the recognized state level union/ Federation under its official seal.

**FORM XVI (PART A & B)**  
**(Section-27(2)) [clause (a) of sub-rule (4) of rule 29]**  
**Intimation of changes in the Head Office of recognized state level union**  
**PART A**  
**Intimation of change in the address of recognized state level union/federation**

Number and Date of notification under which approved .....

Address .....

Dated this ..... day ..... of 20.....

Notice is hereby given that the head office of the above mentioned recognized state level union/Federation has been removed from ..... and is now situated at .....(city or town or district)w.e.f. ....

Dated:

Signature of secretary.....

### **PART B**

#### **Intimation of change in the executive committee of recognized state level union/federation**

The following changes in the executive committee of the above named recognized state level union/federation have been made on-

#### **PARTICULARS OF EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS RELINQUISHING OFFICE**

| Name | Office held | Date of relinquishing | Office | Remarks |
|------|-------------|-----------------------|--------|---------|
|      |             |                       |        |         |

#### **PARTICULARS OF NEW EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS APPOINTED**

| Name | Age | Designation in executive | Address | Occupation | Date of Appointment | Remarks |
|------|-----|--------------------------|---------|------------|---------------------|---------|
|      |     |                          |         |            |                     |         |

Signature of Secretary

To,

(1) The Labour Commissioner, UP,  
G.T. Road, Kanpur

(2) The Registrar of Trade Unions, UP,  
G.T. Road, Kanpur.

### **FORM XVII**

**(Section-27(2)) [clause (b) of sub-rule (2) of rule 27]**

**List of unions affiliated to the/ recognized State level union/ Federation**

Name of Federation .....

As required by clause (b) of sub-section (4) of rule 30 of The Uttar Pradesh Rules on Industrial Relations Code, 2020, the names of unions affiliated to the above named/ recognized state level union federation as on 31st of December 20..... are given below:

| S. No | Name of Union | Registration Number | Date of registration | Name of   |           |           | Number of affiliation | Date of affiliation | Remarks |
|-------|---------------|---------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|---------|
|       |               |                     |                      | President | Secretary | Treasurer |                       |                     |         |
|       |               |                     |                      |           |           |           |                       |                     |         |

Seal and signature of

Secretary

To,

- (1) The Labour Commissioner, U.P.  
PB No-220. Kanpur.
- (2) The Registrar of Trade Union,  
U.P., Kanpur.

**FORM XVIII**  
**(Section-30(8)) (See rule 32)**  
**(REGISTER FOR CERTIFIED STANDING ORDERS)**  
**PART-1**  
**Industrial Establishment**

| Unique and continuous number | Name of the industrial Establishment | Nature of the industrial establishment | Whether standing order is<br>(a) Model standing order, or<br>(b) Deemed standing order or<br>(c) Certified standing order | Date of adoption or date of deemed authentication or date of certification/authenticaton of standing order |
|------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|
| (1)                          | (2)                                  | (3)                                    | (4)   | (5)  |
|                              |                                      |  |   |  |

| Date of filing appeal | Date and nature of decision | Amendment made on appeal, if any | Date of the dispatch of the copy of standing orders as settled on appeal | Any other relevant detail |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|
| (6)                   | (7)                         | (8)                              | (9)  | (10)                      |
|                       |                             |                                  |  |                           |

**Part-II**  
**Should contain the certified copy of the Standing electronically**  
**Form XIX**  
**(Section-40(i)) (Rule 39)**

**Notice of Change of Service Condition proposed by an Employer**

Name of employer.....

Address.....

Dated the ..... Day of ..... 20

In accordance with section 40 of the Industrial Relation Code, 2020, I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect from ..... in the conditions of service annexed with this notice applicable to workmen in respect of the matters specified in the Third Schedule to the said Act.

Signature.....

Designation .....

**ANNEXURE**

**HERE SPECIFY THE CHANGE /CHANGES INTENDED TO BE EFFECTED**

Copy forwarded to :

- (1) The Secretary of registered trade union(s)/ negotiating union/ negotiating council.
- (2) Concerned Conciliation Officer
- (3) Concerned Regional Additional/Deputy/Assistant Labour Commissioner, U.P.....
- (4) The Labour Commissioner , U.P.
- (5) Notice Board of the establishment

**FORM XX**

**(Section-42(3)) [sub-rule (3) of rule 40]**

**AGREEMENT FOR VOLUNTARY ARBITRATION**

Representing employers.

Representing workmen/workman.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of ..... (here specify the name (s) and address (es) of the arbitrator (s)):

- (i) Specific matters in dispute.
- (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved
- (iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union if any representing the workman or workmen in question.
- (iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected.
- (v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.

\* We Further agree that the majority decisions of the arbitrators (s) be binding on us/in case the arbitrators are equally divided in their opinion , that they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.

The Arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of ..... (here specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the State Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Witnesses.

(1)

(2)

Signature of Parties

Representing Employer .....

Representing

Workman/Workmen.....

Copy to.-

- (i) Concerned Conciliation Officer, ....., UP
- (ii) Concerned Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P.....
- (iii) The Labour Commissioner, U.P.
- (iv) The Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Ministry of Labour, Employment, Lucknow

\*Where applicable

Signature of Parties

Representing Employer .....

Representing

Workman/Workmen.....

**Form XXI**

**(Section-42(5)(C) (See rule 42)**

**RESOLUTION TO REPRESENT WORKERS BEFORE ARBITRATOR**  
**/ARBITRATORS IN SUCH INDUSTRIAL ESTABLISHMENTS WHERE THERE IS**  
**NO TRADE UNION**

In .....(name and address of the establishment)  
there is no any registered Trade Union of Workers, so we are authorizing the following person to sign an agreement under sub-clause (c) of Clause (1) of sub-section (5) of Section 42 and to represent ourselves in the proceedings before the arbitrator or arbitrator (s) or to sign any agreement during the course of arbitration:-

| Sr. no. | Name of representatives | Designation | Address |
|---------|-------------------------|-------------|---------|
| 1       |                         |             |         |
| 2       |                         |             |         |
| 3       |                         |             |         |
| 4       |                         |             |         |
| 5       |                         |             |         |

All actions of the above mentioned representative shall be binding upon us.

| Sr.No | Name of the workers | Signature | Sr.No | Name of the workers | Signature |
|-------|---------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|
| 1     |                     |           | 27    |                     |           |
| 2     |                     |           | 28    |                     |           |
| 3     |                     |           | 29    |                     |           |
| 4     |                     |           | 30    |                     |           |
| 5     |                     |           | 31    |                     |           |
| 6     |                     |           | 32    |                     |           |
| 7     |                     |           | 33    |                     |           |
| 8     |                     |           | 34    |                     |           |
| 9     |                     |           | 35    |                     |           |
| 10    |                     |           | 36    |                     |           |
| 11    |                     |           | 37    |                     |           |
| 12    |                     |           | 38    |                     |           |
| 13    |                     |           | 39    |                     |           |
| 14    |                     |           | 40    |                     |           |
| 15    |                     |           | 41    |                     |           |
| 16    |                     |           | 42    |                     |           |
| 17    |                     |           | 43    |                     |           |
| 18    |                     |           | 44    |                     |           |
| 19    |                     |           | 45    |                     |           |
| 20    |                     |           | 46    |                     |           |
| 21    |                     |           | 47    |                     |           |
| 22    |                     |           | 48    |                     |           |
| 23    |                     |           | 49    |                     |           |
| 24    |                     |           | 50    |                     |           |
| 25    |                     |           | 51    |                     |           |
| 26    |                     |           | 52    |                     |           |

We, hereby, accept the authorization and for the representation.

Signature of representatives.

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**FORM XXII**

**(Section-44(5)) [See sub-rule (17) of rule 43]**

**PART-I**

**Form of Oath of Office for Judicial Member or Administrative Member (whichever is applicable) of State Industrial Tribunal**

I, ..... having been appointed as Judicial Member/ Administrative Member (whichever is applicable) of Industrial Tribunal ....., do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Judicial Member/Administrative Member of Industrial Tribunal ....., to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

Signature

Place:

Date

**PART-II**

**(Form of Oath of Secrecy for Chairperson/Member of the (Name of Tribunal))**

I, ..... having been appointed as Judicial Member/ Administrative Member (whichever is applicable) of Industrial Tribunal ....., do solemnly affirm/do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Judicial Member/Administrative Member (whichever is applicable) of State Industrial Tribunal (Name of the Tribunal) except as may be required for the due discharge of my duties as the Judicial Member/Administrative Member.

faithfully and conscientiously discharge my duties as a Judicial Member/Administrative Member of Industrial Tribunal ....., to the best of my ability, knowledge and judgement, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of the land.

Signature

Place:

Date

**FORM XXIII**

**GOI PG 48 PART-II**

**(Section-53(6)) [sub rule(1) of rule 46]**

**APPLICATION TO BE SUBMITTED BEFORE THE TRIBUNAL IN MATTERS NOT SETTLED BY THE CONCILATION OFFICER.**

Before Industrial Tribunal.....(Name and Place of Industrial Tribunal)

Between

.....  
.....(Name and address of applicant)

And

.....  
.....(Name and address of opposite party/parties)

Following dispute exists between me/us and opposite party /parties , the detail of which are given below:-

.....  
.....  
.....(brief recital of the dispute)/ The above mentioned dispute has been negotiated before the conciliation officer .....but no settlement arrived at during conciliation proceeding. Therefore I/We submit the dispute before the Tribunal praying that the instant dispute may please be admitted for adjudication and request to pass appropriate award.

Signature of the applicants

(Name and Address)

Verification

It is verified that the content of application is to the best of my knowledge and belief, true and correct.

Date:

Place:

Signature

(Name and Address)

**FORM- XXIV**  
**(Section-59) (See rule 47)**

**(APPLICATION UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 59 OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020)**

To,

(1) The Secretary to the U.P. Government, Ministry of Labour and Employment, U.P.

(2) Regional Additional/Deputy Labour Commissioner..... (here insert the name of the region).

Sir,

I/We have to state that I am/we are entitled to receive from M/s ..... a sum of Rs. ....(in words) on account of ..... under the provisions of Chapter IX and X of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) /in terms of the award dated the..... given by..... /in terms of the settlement dated the ..... arrived at between the

said M/s ..... and their worker through..... the duly elected representatives.

I/We further state that I/we served the management with a demand notice by registered post on ..... for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me/us even though a fortnight has since elapsed. The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed.

I/We request that the said sum may kindly be recovered for the management under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) and paid to me/us as early as possible.

Signature of the applicant(s)

Address(es)  
Station:  
Date:.

**ANNEXURE**

(Here indicate the details of the amount(s) claimed.)]

**FORM XXV  
(Section-59) (rule 47)**

**(APPLICATION BY A PERSON AUTHORISED BY A WORKER OR BY THE  
ASSIGNEE OR HEIR OF A DECEASED WORKER UNDER SUB-SECTION (1) OF  
SECTION 59 OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020)**

To

- (1) The Secretary to the U.P. Government, Ministry of Labour and Employment, U.P.
- (2) Regional Additional/Deputy Labour Commissioner..... (here insert the name of the region).

Sir,

I Shri/Shrimati/Kumari.....have to state that Shri/Shrimati/ Kumari..... is/was entitled to receive from M/s..... a sum of Rs. ....(in words) on account of..... under the provisions of Chapter IX and X of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) /in terms of the award dated the..... given by ...../in terms of the settlement, dated the.....arrived at between the said M/s..... and their worker through..... the duly elected representatives.

I further state that I served the management with a demand notice by registered post on.....for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me even though a fortnight has since elapsed. The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed.

I request that the said sum may kindly be recovered from the management under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), and paid to me as early as possible.

I have been duly authorised in writing by.....(here insert the name of the worker) to make this application and to receive the payment of the aforesaid amount due to him.

I am the assignee/heir of the deceased worker and am entitled to receive the payment of the aforesaid amount due to him.

Station.....

Signature of the authorized person/assignee/heirs

Date.....

Address.....

**ANNEXURE**

(Here indicate the details of the amount claimed.)

**FORM XXVI**

**(Section-59) (Rule 47)**

**(APPLICATION UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 59 OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020)**

Before the State Government Industrial Tribunal at. ....

..... between..... and.

.....  
(1) Name of the applicant(s)

.....  
(2) Name of the employer

.....  
The petitioner(s) ..... a worker of .....M/s. ....of .....The petitioner(s) undersigned, worker/workers of ..... is/are entitled to receive from the said M/s. .... the money /benefits mentioned in the statement hereto annexed.

It is prayed that the Tribunal may be pleased to determine the amount /amounts due to the petitioner (s).

Signature or Thumb Impression (s) of the applicant(s)

Address (es) .....

Place.....

Date.....

**ANNEXURE**

(Here set out the details of the money due or the benefits accrued together with the case for their admissibility.)

**FORM XXVII**

**(Section-59) [ Rule 47]**

**(APPLICATION BY A PERSON WHO IS AN ASSIGNEE OR HEIR OF A DECEASED WORKER UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 59 OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020)**

Before the State Government Industrial Tribunal at ..... Between  
(i) Name of the applicant/applicants .....  
(ii) Name of the employer .....

I am/We are the assignee(s) of the deceased worker and am/are entitled to make an application on his behalf.

Shri/Smt..... former worker of M/s ..... of.....is entitled to receive from the said M/s..... the money/benefits mentioned in the statement hereto annexed;

It is prayed that the Tribunal be pleased to determine the amount/amounts due to the deceased worker.

Name and Address of worker.....

Signature of the assignee/heirs

Address (es) .....

Place.....

Date.....

**ANNEXURE**

(Herein set out the details of the money due or the benefits accrued together with the case for their admissibility).

**FORM XXVIII**

**(Section-62(4)) (Rule 48(1), (66))**

**NOTICE OF STRIKE TO BE GIVEN BY REGISTERED TRADE UNION/  
NEGOTIATING UNION OR NEGOTIATING COUNCIL**

To,

(the name of the employer)

Dear Sir/Sirs,

In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relation Code, 2020, I/We hereby give you notice that I/We propose to call a strike/propose to go on strike on ..... 20....., for the reasons explained in the annexure.

Five representatives of the workers duly elected in a meeting held on ----- (date) vide resolution. (a copy of the resolution is attached)

[Name of five elected representatives of workmen]  
Dated the ..... Day of .....20.....

Yours faithfully,  
Secretary of the Registered trade union/  
Negotiating Union / Negotiating

Council .

**ANNEXURE**

Statement of the case/ causes for proposal to call a strike-

.....  
.....  
.....

Copy to:

- (1) Conciliation officer, ..... (concerned conciliation officer)
- (2) The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P .....
- (3) The Labour Commissioner. U.P.
- (4) Secretary to Government of U.P. in the Ministry of Labour and Employment.
- (5) Labour Bureau.

**FORM XXIX**

**(Section-62(5)(6) [sub rule (1) of Rule 49, Rule 66]**

**NOTICE OF LOCK-OUT TO BE GIVEN BY AN EMPLOYER OF AN INDUSTRIAL ESTABLISHMENT**

Name of The Industrial Establishment & Employer.....

Address .....

Dated the ..... day of ..... 20 .....

In accordance with the provisions of sub-section (5) of Section 62 of the Industrial Relation Code, 2020, I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect a lock-out in ..... Department (s)/section (s) of my/our establishment with effect from ..... for the reasons explained in the annexure.

Signature.....

Designation .....

**ANNEXURE**

|                             |
|-----------------------------|
| <b>STATEMENT OF REASONS</b> |
|-----------------------------|

Copy forwarded to—

- (1) The Secretary/ Secretaries of the registered trade union(s)
- (2) Conciliation Officer .....
- (3) The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P .....
- (4) The Labour Commissioner, U.P.
- (5) Secretary to Government of U.P. in the Ministry of Labour and Employment.
- (6) ) Labour Bureau.

**FORM XXX**

**(Section-70(c), 74(1)) (See rule 50, 52 and 66)**

**Notice of Retrenchment/ Closure to be given by an employer under the provisions of chapter IX of the Industrial Relation Code, 2020**

Name of the Industrial establishment/ Undertaking/ employer.....

Address .....

Labour Identification Number (LIN)- .....

Dated the .....day of ..... 20.....

[Note: The intimation for Closure/ Retrenchment to the State Government shall be served 60 days/

30 days before commencement of such Closure/ Retrenchment respectively.]

To,

The Secretary to the Government of Uttar Pradesh,  
Ministry of Labour and Employment, Lucknow.

Sir,

\*(Retrenchment)(a) Under Sec. 70 (C) of this Code, I\*/we\*hereby intimate you that I\*/we\* have decided to retrench ..... workers\*\* out of a total of ..... workers\*\* with effect from .....(dd/mm/yy)

Or

\* (Closure)(b) Under Sec.74 (1) of this Code I\*/we\* hereby intimate you that I\*/we\* have decided to close down .....(name of the industrial establishment) or undertaking with effect from .....(dd/mm/yy). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is .....(number of workers)

1. The reason for retrenchment/closure is .....
2. \*The worker(s)\* concerned were given on the ..... (dd/mm/yy) one month's notice in writing as required under clause (a) of section 70\*/ sub-section (1) of section 75\* of this Code.

or

\*The Worker(s)\*have been given on the ..... (dd/mm/yy) one month's pay in lieu of the notice, as required under clause (a) of section 70\*/ sub-section (1) of Section 75\* of the Code.

3. \*\*\* Retrenchment is being effected in pursuance of an agreement, a copy of which is enclosed.
4. The Total number of workmen employed in the industrial establishment is.....and the total number of those who will be affected by the retrenchment is given below:

| Category and designation of workmen to be retrenched | Number of workmen |                  |
|--|-------------------|------------------|
|  | Employed          | To be retrenched |
| 1  | 2                 | 3                |
|  |                   |                  |

5. \*I/We\*hereby declare that the worker(s) concerned have been\*/will be\* paid all their dues along with the compensation due to them under section 70\*/section75\* of this Code before or on the expiry of the notice period.

Or

\* I/We\* hereby state that currently Insolvency proceedings as on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer and that I\*/We\* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

6. (Retrenchment) I\*/we\* hereby declare that the worker(s) concerned have been\*/will be\* retrenched in compliance to the section 71 and section 72 of this code.
7. I\*/we\* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been annexed.
8. I\*/we\* hereby declare that the above information given by me\*/us\* in this notice and the annexures is true, I\*/We\*, am\*/are\* solely responsible for its accuracy and no facts/materials have been suppressed in the matter.

Yours faithfully,

Signature  
(Name of Employer/\*\*\* Authorised Representative with seal.)

- (\* strike of which is not applicable)
- \*\* indicate numbers in figures and words both)
- (\*\*\* copy of authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

**ANNEXURE**

STATEMENT OF REASONS FOR CLOSURE/  
RETRENCHMENT.....  
.....  
.....

Copy to:

1. The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P.....
2. The Labour Commissioner, U.P.
3. Employment Officer, Employment Exchange (Enter the full address of the Employment Exchange concerned).
4. All registered trade unions/ Authorized representatives of workers operating in Establishment/ Undertaking.
5. Labour Bureau.

**FORM XXXI**

(Section-70(C),78(2),79(2),80(1) (Rule 50, 53, 55,57 and 66)

**Application for permission to Lay-off/ Retrenchment/ Closure to be given by an Employer/ Industrial Establishment/ Undertaking to the State Government under the provisions of Chapter X of the Industrial Relation Code, 2020 and rules made there under.**

**Name of Industrial establishment/ Undertaking/ Employer- .....**

**Labour identification number (LIN)- .....**

**Dated: .....**

**[Note: The application or the State Government shall be served as indicated below:**

- 1. Lay-off: at least 15 days before the intended lay-off.**
- 2. Continuation of Lay-off-at least 15 days before the expiry of earlier Lay-off.**
- 3. Retrenchment: at least 60 days before the intended date of retrenchment.**
- 4. Closure: at least 90 days before the intended date of closure.]**

To,

The Secretary to the Government of Uttar Pradesh,  
Ministry of Labour and Employment, Lucknow.

1. \*(Lay-off) (a). Under section 78(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I\*/we\* hereby apply for permission to lay-off .....workers\*\* out of total of ..... workers\*\* employed in my\*/our\* establishment (details to be given in Annexure-I) with effect from ..... (dd/mm/yyyy).

Or

\*(Continuation of lay-off) (b) Under section 78(3) of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I\*/we\* hereby apply for permission to continue the Lay-off.....workers\*\* out of total of.....laid off workers\*\* in my\*/our\* establishment (details to be given in Annexure-I) with effect from.....(DD/MM/YYYY).

Or

\*(Retrenchment) (b) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020, I\*/we\* hereby apply for permission for intended retrenchment of..... workers out of total of ..... workers\*\* employed in my\*/our\* establishment (details to be given in Annexure-I) with effect from ..... (dd/mm/yyyy).

Or

\*(Closure) (d) Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020, I\*/ we\* hereby inform you that I\*/we\* have intended to close down the undertaking..... (name of the industrial establishment or undertaking or employer) (details to be given in Annexure-1) with effect from..... (dd/mm/yyyy). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is..... (number of workers)

2. \*(Lay-off) The worker(s) concerned were given on ..... (dd/mm/yyyy) notice in writing as required under section 78(2)\* / section 78(3)\* of this Code.

Or

\*(Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on..... (dd/mm/yyyy) one month,,s notice in writing as required under section 79\*/ section 80\* of this Code.

Or

\*(Retrenchment/ Closure) The worker(s) have been given on..... (dd/mm/yyyy) one month's pay in lieu of notice as required under section 79\*/ section 80\* of this Code.

3. The details of affected worker(s) is at Annexure II.

4. (Retrenchment) I\*/we\* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the section 71 and section 72 of this Code.

5. \*I/We\* hereby declare that the worker(s) concerned have been\*/will be\* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with section 78(10)\* / section 79\* / section 80\* of this Code before or on the expiry of the notice period.

Or

\*I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I\*/we\* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

6. I/ we\* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.

7. I/ we hereby declare that the above information given by me/ us\* in this notice and enclosures is/ are\* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

The permission sought for may please be granted.

Yours faithfully,  
(Name of Employer/  
\*\*\*Authorised Representative with Seal)

(\* Strike off which is not applicable)

(\*\* Indicate number in figures and word both)

(\*\*\*Copy of Authorization letter issued by the employer shall be enclosed)

Copy to:

1. The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, U.P.....
2. The Labour Commissioner, U.P.
3. Employment Officer, Employment Exchange (Enter the full address of the Employment Exchange concerned).
4. All registered trade unions/ Authorized representatives of workers operating in Establishment/ Undertaking.
5. Labour Bureau.

#### ANNEXURE -I

(Please give replies against each item)

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Name of the undertaking with complete postal address, e-mail, mobile and land line.<br>(a) Corporate Identification Number<br>(b) Goods and Service Tax Identification Number (GSTIN)  |  |
| 2 | Status of undertaking-<br>(1) Whether State public sector/ corporation/ foreign majority company/ joint sector venture etc.<br>(2) Whether a private limited company/ partnership firm.<br>(3) If it belongs to large industrial house, please indicate the controlling group and if it is a foreign majority company, indicate the extent of foreign holdings.<br>(4) Whether the undertaking is Licensed/registered and if so, name of licensing/ registration authority and licence/registration certificate numbers. |  |
| 3 | (a) Name and address of the affected workers proposed to be laid off/names and addresses of the workers laid off before the commencement of the Industrial Relation Code, 2020 and the dates from which each of them has been laid off<br>(b) Name and address of the affected workers proposed to be retrenched.  |  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | (c) The total number and categories of workers affected workers proposed closure along with their names and addresses.  |  |
|    | (d) The nature of the duties of the workers referred to in sub item (a), (b) or (c), as the case may be, the units/sections/shops where they are or were working and the wages drawn by them. |  |
| 4  | Items of manufacture and scheduled industry/industries under which they fall  |  |
| 5  | Details relating to installed capacity, licensed capacity and utilized capacity   |  |
| 6  | (i) Annual production, item wise for preceding three years  |  |
|    | (ii) Production figures, month-wise, for the preceding twelve months  |  |
|    | (iii) Position of a Stocks on last day of each of the month in the preceding 12 months  |  |
|    | (iv) Annual sales figures for the last three years and month wise sales figures for the preceding twelve months both item wise and value wise   |  |
| 7  | Work in progress: item wise and value wise  |  |
| 8  | Any arrangements regarding off- loading or sub-contracting of products or any components thereof  |  |
| 9  | Position of the order book, item wise and value-wise for a period of six months and one year next following and for the period after the expiry of the said one year                          |  |
| 10 | Number of working days in a week with the number of shifts per day and the strength of workers per each shift   |  |
| 11 | Audit report of establishment/ undertaking including Balance sheets, profit and loss accounts for the last three years  |  |
| 12 | (a) Names of the inter-connected companies or companies under the same management   |  |
|    | (b) Details about inter-corporate investments and changes during the last one year.   |  |
|    | (c) Interest of any of the directors and officers of the undertaking producing same or similar type of product.   |  |
|    | (d) Interest of the directors and officers with the organizations/persons involved in buying raw materials and components for the undertaking   |  |
| 13 | The total number of worker (category-wise), and the number of employees other than workers as defined under Industrial Relation Code, 2020 employed in the undertaking                        |  |
| 14 | Percentage of wages of workers to the total cost of production <sup>15</sup>  |  |
| 15 | Administrative, general and selling cost in absolute terms/per year in the last three years and percentage thereof to the total cost  |  |
| 16 | (a) Details of lay-off/ Retrenchment resorted to in the last three years (Other than the lay-off for which permission is sought)  |  |

|    |  |                                   |
|----|--|-----------------------------------|
|    | including the periods of such lay-offs/ Retrenchment the number of workmen involved in each such lay-off/ Retrenchment and the reasons, thereof  |                                   |
|    | (b) Anticipated savings due to the proposed lay-off/ retrenchment for which permission is sought   |                                   |
| 17 | (a) Have any retrenched workers have been given re-employment, and if so,when? Give details  |                                   |
|    | (b) Are seniority list maintained in respect of the categories of workers proposed to be retrenched and if so, the details and the position of the worker affected indicating their length of service including broken periods of service? |                                   |
| 18 | Any proposal for effecting savings on account of reduction in-<br>(i) Managerial remuneration<br>(ii) Sales promotion cost, and<br>(iii) General administration expenses   |                                   |
| 19 | Inventory position-item-wise and value-wise for the preceding twelve months (Inventories to be shown in respect of finished products, components and raw materials to be shown separately item-wise and value-wise.)                       | (to be filled in case of closure) |
| 20 | Selling arrangement for the last three years and any change in the selling arrangement in preceding twelve months.   |                                   |
| 21 | Buying arrangements for raw materials and components   |                                   |
| 22 | (a) Reasons for the proposed lay-off/ retrenchment/closure, for which permission is sought   |                                   |
|    | (b) Specific attempts made so far to avoid the proposed lay-off/ retrenchment/ closure of which permission is sought.  |                                   |
| 23 | Any other relevant details which have bearing on lay-off/ continuation of lay-off/ retrenchment/ closure   |                                   |

\*Strike out whatever is applicable.

## ANNEXURE-II

### Details of affected workers

| Sl. No. | UAN/ CMPFO | Name of the worker | Category (Highly skilled/ Skilled/ Semi skilled/ unskilled) | Date from which in service in/with the said establishment/ undertaking/ employer | Wage as on date of application | Remarks |
|---------|------------|--------------------|---|--|--------------------------------|---------|
| 1       |            |                    |   |  |                                |         |
| 2       |            |                    |   |  |                                |         |

**FORM XXXII**  
**(Section-89(1)(4)) (Rule 61, 66)**

**(NOTICE TO THE EMPLOYER/PERSON WHO COMMITTED AN OFFENCE FOR THE FIRST TIME, FOR COMPOUNDING OF OFFENCE UNDER SECTION 89 OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020 READ WITH RULE 61)**

The undersigned, the Compounding Officer, for the purposes of section 89 of the Industrial Relation Code, 2020 (35 of 2020), hereby intimates you that the allegation has been made against you for committing offence for the violation of various provision of this Code as per the details given below:—

**PART - I**

1. Name and Address of the offender Employer/person- .....
2. Address of the Establishment .....
3. Particulars of the offence  
.....
4. Section of the Code under which the offence is committed  
.....
5. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence.....

**PART – II**

You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of receipt of this notice for compounding the offence as per section 89 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) read with rule 61, along with an application dully filled in part – III of this notice.

In case you fail to deposit the said amount within the time so specified, no further opportunity shall be given to you and necessary steps shall be taken for filing of prosecution under section 87 of the said Code shall be issued.

(Signature of the Compounding Officer)

Date:

Place:

**PART – III**

(Application under sub-section (4) of section 89 of the Industrial relations Code, 2020 read with rule 61 for compounding of offence)

1. Name of applicant (name of the employer/person who committed the offence under the Industrial Relations Code 2020 (35 of 2020) to be mentioned.....
2. Address of the applicant .....
3. Particulars of the offence  
.....

- .....
- .....
4. Section of the Code under which the offence has been committed  
.....
5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached).....
6. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given  
.....
7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence  
.....  
.....  
.....
8. Any other information which the applicant desires to provide  
.....  
.....  
.....

Applicant  
(Name and signature)

Dated:  
Place:  
Copy to: Labour Bureau

**FORM XXXIII**  
**(Section-91) [sub-rule (1) of rule 63]**  
**COMPLAINTS REGARDING CHANGE OF CONDITIONS OF SERVICE**  
**UNDER SECTION 91.**

Before

1. Conciliation Officer .....
2. Arbitrator.....
3. Tribunal.....

Between

..... (name and address of Complainants)

And

.....(name and address of opposite party/parties. The Complainant

(s) beg/begs to complaint that the Opposite party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relation Code, 2020 as shown below;-

.....

.....  
.....  
(here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the employer is challenged)

The Complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation Officer/ Arbitrator/Tribunal may be pleased to take into account in mediating or decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.

The Number of copies of the complaint and its annexures required under section 91 of Industrial Relation Code, 2020 are submitted herewith.

Signature of the Complainant (s)

Dated this..... day of .....20 .....

**Verification**

I do solemnly declare that what is stated in paragraph..... above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs..... above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at..... on .....day of.....20.....

Signature of the Complainant

(s)

**FORM XXXIV**

**(Section-42(5), 94(1)(2) [Rule 42, 64 and Rule 65]**

**Authorisation by a Worker, Group of Workers, Employer or Group of Employers to be represented in a proceeding before the Authority Under the Industrial Relation Code, 2020 Before the Authority (here mention the Authority concerned)**

Reference number ..... of .....

In the matter of dispute between .....

(worker)

versus .....

.....(employer)

I/We ..... do hereby authorize Sri/Sushree ..... (name of the authorized person) to represent me as in the above noted case before the authority to file or inspect documents or to file restoration application to present contest or compromise the case by signing settlement agreement or any other instrument as may be required on my our behalf to seek adjournments if history to file the pleadings and or applications or to any act conducive to my/our interest till the above noted case is finally disposed of on this authority is revoked by me/us all become unenforceable.

I/We be here by promise that I/We will be legally bound by the acts of my above representatives so far this case is concerned. The persons so authorized, as above also reserve the rights to revoke this authority without notice and without assigning any reason to me/us as any time.

Dated:

For  
(Name and signature of  
person(s) giving authority to represent)

Accepted by  
(Name, address and signature  
of Authorized representatives)

उत्तर प्रदेश शासन  
श्रम अनुभाग-02  
संख्या- 251 /36-2-2026  
लखनऊ, दिनांक : 10-03-2026

### अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) के अधिनियमन् के उपरान्त उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली, 2021 का प्रारूप तैयार किया था जिसे अधिसूचना संख्या 205/36-2-2021-14(जी)-2020 दिनांक 18 फरवरी, 2021 द्वारा पूर्वोक्त संहिता की धारा 99 के अधीन यथा अपेक्षित उस पर आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया था।

और चूंकि पूर्वोक्त प्रारूप नियमावली के संबंध में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली, 2021 को अधिसूचना संख्या-1825/36-2-2021-14(जी)-2020 दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 द्वारा अंतिम रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया था, हालांकि उक्त नियमावली को प्रवृत्त नहीं किया गया जैसा कि उस समय औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 प्रवर्तन में नहीं थी;

और चूंकि, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड-3(ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-का.आ. 5320(अ). दिनांक 21 नवम्बर, 2025 के माध्यम से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) के समस्त उपबंध प्रवृत्त किये जा चुके हैं;

और चूंकि, पूर्वोक्त संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्या-सा.का.नि. 930(अ) दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के माध्यम से औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2025 का एक नया प्रारूप प्रकाशित किया है, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II-खण्ड-3-उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया है;

और चूंकि, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के प्रवर्तित होने और औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2025 के प्रारूप के प्रकाशन के पश्चात्, राज्य सरकार के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्वोक्त संहिता और केंद्रीय नियम, 2025 के परिचालन ढांचे के साथ संगति सुनिश्चित करने के क्रम में तत्स्थानी नियमों को नए सिरे से तैयार करना, प्रकाशित करना, अंतिम रूप देना और अधिसूचित करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 24 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) की धारा 99 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और

- (1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियमावली, 1946;
- (2) उत्तर प्रदेश व्यवसाय संघ विनियमावली, 1927;

(3) औद्योगिक विवाद (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1976;

(4) उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली, 2021;

का ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी या किये जाने हेतु विलोपित बातों के सिवाय, अधिक्रमण करके राज्यपाल जिस नियमवाली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 की धारा 99 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उससे प्रभावित होने की सम्भावना वाले समस्त व्यक्तियों की सूचना हेतु एवं उस पर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने के दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उक्त नियमावली के संबंध में समस्त आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हो, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिनों के भीतर प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ और श्रम आयुक्त, कानपुर, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित विवरणों से युक्त एक स्तम्भ-वार प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:

एक. व्यक्ति/संगठन का नाम और पता;

दो. वह नियम या उप-नियम जिसमें उपांतरण प्रस्तावित है; और

तीन. पुनरीक्षित नियम या उप-नियम जिसे प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है और उसके कारण;

### प्रारूप नियमावली

### उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026

#### अध्याय-एक

#### प्रारम्भिक

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ | <p>1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध नियमावली, 2026 कही जायेगी।</p> <p>(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।</p> <p>(3) यह सरकारी गजट में अंतिम रूप से प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।</p>  |
| परिभाषायें                         | <p>2.(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-</p> <p>(क) "संहिता" का तात्पर्य औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) से है;</p> <p>(ख) "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" का तात्पर्य ई-मेल द्वारा प्रस्तुत की गयी या अभिहित पोर्टल पर अपलोड की गई किसी सूचना या संहिता के प्रयोजनार्थ किसी भी रीति से कृत डिजिटल संदाय से है।</p> <p>(ग) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली की अनुसूची में संलग्न प्रपत्र से है;</p> <p>(घ) "धारा" का तात्पर्य संहिता की धारा से है।</p> <p>(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु संहिता में</p> |

पारभाषित शब्दों और पदों के उनके अपने-अपने अर्थ होंगे, जैसाकि संहिता में उनके लिए समनुदेशित हैं।

**धारा 2 के खंड (य झ ) के 3.  
अधीन समझौता हेतु  
लिखित करार**

**समझौता ज्ञापन-**

(1) सुलह कार्यवाही के दौरान किया गया समझौता या सुलह कार्यवाही के अलावा नियोजक और कर्मकार के बीच किया गया लिखित करार प्रपत्र— एक में होगा।

(2) समझौते पर निम्नलिखित के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे:-

(क) नियोजक द्वारा या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, या जहां नियोजक एक निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय है, ऐसी कंपनी या ऐसे अन्य निगमित निकाय के अभिकर्ता, प्रबंधक या अन्य प्रमुख अधिकारी द्वारा; और

(ख) कर्मकारों की ओर से, व्यवसाय संघ के निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसी एक द्वारा, अर्थात्-

(एक) अध्यक्ष; या

(दो) उपाध्यक्ष; या

(तीन) सचिव (महासचिव सहित); या

(चार) संयुक्त सचिव; या

(पांच) व्यवसाय संघ का कोई अन्य पदाधिकारी जिसे संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो; या

(छह) इस प्रयोजन के लिए आयोजित कर्मकारों की बैठक में इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कर्मकारों के पांच प्रतिनिधि।

(3) किसी व्यक्तिगत कर्मकार और नियोजक के बीच औद्योगिक विवाद की स्थिति में, समझौते पर नियोजक और संबंधित कर्मकार द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) जहां समझौता सुलह कार्यवाही के दौरान किया जाता है, वहां सुलह अधिकारी विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति के साथ राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजेगा।

(5) जहां समझौता सुलह कार्यवाही के अलावा किसी अन्य तरीके से नियोजक और उसके कर्मकार के बीच समझौता किया जाता है, तो समझौते के पक्षकार संयुक्त रूप से इसकी एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संबंधित अपर/उप श्रम आयुक्त और सुलह अधिकारी को भेजेंगे।

(6) सुलह अधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर क्षेत्र में

औद्योगिक विवादों के सबध में साहेता के अधीन किए गए सभी समझौतों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(7) उप-नियम (6) में निर्दिष्ट रजिस्टर में क्रम संख्या, उद्योग का नाम, समझौते के पक्षकार, समझौते की तारीख, टिप्पणियां और समझौता सुलह अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद या आपसी बातचीत से हुआ या नहीं, सहित ब्यौरे होंगे।

परन्तु यह कि समझौते पर सुलह अधिकारी का हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होगा, जहां समझौते के लिए करार सुलह के बाहर किया गया हों।

परन्तु यह और कि इस नियम में कोई भी बात किसी कर्मकार या कर्मकारों या व्यवसाय संघ और नियोजक के बीच परस्पर सहमत निबंधनों पर किए गए समझौते पर प्रतिषेध नहीं करेगी और ऐसा समझौता प्रपत्र-एक के अलावा किसी अन्य प्रारूप में हो सकता है।

## अध्याय-2

### द्विपक्षीय मंच

धारा 3 के अधीन संकर्म समिति का गठन आदि

4. (1) संकर्म समिति का गठन: प्रत्येक नियोजक, जिसके लिए धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कृत आदेश लागू होता है, तत्काल निम्नलिखित उपनियमों में यथा विनिर्दिष्ट रीति से एक संकर्म समिति का गठन करने की कार्यवाही करेगा।

(2) सदस्यों की संख्या: समिति में सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी जिससे कि औद्योगिक अधिष्ठान के खण्डों, दुकानों या विभागों और तद्विमित्त संलग्न कर्मकारों की विभिन्न श्रेणियों, समूहों और वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके:

परन्तु यह कि संकर्म समिति के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह और कि संकर्म समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या उसमें नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम न हो।

परन्तु यह भी कि जिस औद्योगिक अधिष्ठान जिसमें महिला कर्मकार नियोजित हैं, उसकी संकर्म समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक अधिष्ठान में नियोजित कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

(3) नियोजक का प्रतिनिधित्व: इस नियम के उपबंधों के अध्याधीन, संकर्म समिति में नियोजक के प्रतिनिधियों का नामनिर्देशन

नियोजक द्वारा किया जाएगा और यथाशक्य संभव, वे ऐसे पदाधिकारी होंगे जो औद्योगिक अधिष्ठान की कार्यप्रणाली के सीधे सम्पर्क में होंगे या सम्बद्ध होंगे।

(4) **व्यवसाय संघ से परामर्श:** जहां औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मकार रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सदस्य हैं, नियोजक ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ से लिखित रूप से सूचित करने के लिए कहेगा -

(क) उन कर्मकारों की संख्या जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के सदस्य हैं; और

(ख) जहां नियोजक के पास यह मानने का कारण है कि रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ द्वारा खंड (क) के अधीन उसे दी गई जानकारी झूठी है, वह ऐसे व्यवसाय संघ को सूचित करने के बाद मामले को क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को भेज सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) **कर्मकारों के प्रतिनिधियों का समूह:** उप-नियम (4) के अधीन मांगी गई सूचना प्राप्त होने पर, नियोजक निम्नलिखित रीति से समिति के कर्मकारों के प्रतिनिधि के चयन के लिए उपबंध करेगा,

(क) धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन वार्ताकारी संघ के मामले में, ऐसी वार्ता करने वाला संघ समिति के कर्मकारों के प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करेगा,

(ख) धारा 14 की उप-धारा (4) के अधीन वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामनिर्देशन इस रीति से होगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का प्रतिनिधित्व औद्योगिक अधिष्ठान के उन कर्मकारों की संख्या के अनुपात में समिति में होगा जो ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य हैं;

(ग) जहां खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट कोई मान्यता प्राप्त वार्ता संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मकार आपस में समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे:

परन्तु यह कि नियोजक, इस खंड के अधीन समिति के लिए कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया जाएगा, इस बारे में सक्षम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एप्लिकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अभिनियोजित कर सकता है;

परन्तु यह भी कि जहां एक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ

उप-नियम (4) के अधीन मांगी गई जानकारी को उस दिनांक से एक महीने के भीतर प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जिस दिन उसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो, इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यवसाय संघ को इस प्रकार माना जाएगा जैसे कि वह अस्तित्व में ही नहीं था:

परन्तु यह भी कि जहां नियोजक द्वारा उप-नियम (4) के अधीन कोई संदर्भ दिया गया है, उससे संबंधित कर्मकार प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया संबंधित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त के विनिश्चय की प्राप्ति पर आयोजित की जाएगी।

(6) **निर्वाचन क्षेत्र:** यदि नियोजक उचित समझे तो वह निर्देश दे सकता है कि कर्मकार समूह, अनुभाग, दुकान या विभाग में मतदान करेंगे।

(7) **चुनाव के लिए उम्मीदवारों की योग्यता:** कोई भी कर्मकार, जिसकी आयु उन्नीस वर्ष से अन्यून हो और जिसने औद्योगिक अधिष्ठान में अन्यून एक वर्ष सेवा की हो, यदि इस नियम में यथा उपबंधित नामनिर्दिष्ट किया जाता है, तो वह समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार हो सकता है-

परन्तु यह कि ऐसी सेवा अर्हता किसी औद्योगिक अधिष्ठान में पहले चुनाव पर लागू नहीं होगी जो एक वर्ष से कम समय से अस्तित्व में है।

**स्पष्टीकरण-** इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, कोई कर्मकार जिसने एक ही नियोजक से संबंधित दो या अधिक औद्योगिक अधिष्ठानों में अन्यून एक वर्ष लगातार सेवा की है, उसे इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी करने वाला समझा जाएगा।

(8) **मतदाता के लिए अर्हता:** सभी कर्मकार जो अन्यून अठारह वर्ष की आयु के हैं और जिन्होंने औद्योगिक अधिष्ठान में अन्यून छह महीने की लगातार सेवा की है, समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के चुनाव में मतदान करने के हकदार होंगे।

**स्पष्टीकरण:-** इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए कोई कर्मकार जिसने एक ही नियोजक से सम्बंधित दो या अधिक औद्योगिक अधिष्ठानों में अन्यून छह माह लगातार सेवा की है, उसे इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी करने वाला समझा जायेगा।

(9) **चुनाव के लिए कार्यक्रम का निर्धारण:**

(एक) समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के रूप में तिथि निर्धारित करते समय नियोजक नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम तीन कार्य दिवसों की न्यूनतम समयावधि अन्य अपेक्षित विवरणों

के साथ देगा।

**(दो)** खंड (एक) में निर्दिष्ट चुनाव कराने के लिए नियोजक द्वारा निर्धारित तिथि नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के तीन दिन से पहले और पंद्रह दिन के बाद नहीं होगी।

**(तीन)** उप-नियम (एक) के अधीन निर्धारित चुनाव की तिथि संबंधित कर्मकारों को कम से कम सात दिन पहले अधिसूचित की जाएगी और ऐसी सूचना, जिसमें निर्वाचित होने वाली सीटों की संख्या विनिर्दिष्ट होगी, औद्योगिक अधिष्ठान के नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाएगी और कर्मकारों के बीच पर्याप्त प्रचार किया जाएगा।

**(10) चुनाव के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन :**

**(एक)** समिति के कर्मकर प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए प्रत्येक नामांकन नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नामांकन पत्र पर किया जाएगा और नियोजक द्वारा इसकी प्रतियां उन कर्मकारों को दी जाएंगी जिन्हें उनकी आवश्यकता है।

**(दो)** उपनियम (10) में निर्दिष्ट प्रत्येक नामांकन पत्र उस अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिससे वह संबंधित है तथा उस समूह, अनुभाग, दुकान या विभाग से संबंधित कम से कम दो अन्य मतदाताओं द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व निर्वाचन चाहने वाला अभ्यर्थी करेगा, तथा उसे नियोजक को सौंपा जाएगा।

**(11) नामांकन पत्रों की संवीक्षा:**

**(एक)** नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम दिन के अगले दिन, अभ्यर्थियों और सत्यापन करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में नियोजक द्वारा नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी और जो नामांकन विधिमान्य नहीं होंगे उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

**(दो)** उप-नियम (11) के अधीन नामांकन पत्र विधिमान्य नहीं माना जाएगा, यदि—

(क) नामांकित अभ्यर्थी उप-नियम (7) के अधीन अभ्यर्थी होने के लिए अपात्र है; या

(ख) उप-नियम (10) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है।

परन्तु यह कि जहां कोई अभ्यर्थी या सत्यापन करने वाला व्यक्ति संवीक्षा के समय उपस्थित होने में असमर्थ है, वह

इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत नामानेदाशतों को भेज सकता है।

(12) **अभ्यर्थियों का नाम वापस लेना:** कोई भी अभ्यर्थी जिसका चुनाव के लिए नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, नामांकन पत्रों की संवीक्षा पूरी होने के अड़तालीस घंटे के भीतर अपना अभ्यर्थन वापस ले सकता है।

(13) **चुनाव में मतदान:**

(एक) यदि समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या के बराबर है, तो ऐसे उम्मीदवारों को तुरंत सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(दो) जहां किसी औद्योगिक अधिष्ठान में समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के लिए वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या उसे आवंटित सीटों की संख्या से अधिक है, वहां मतदान चुनाव के लिए निर्धारित दिन पर होगा।

(14) **समिति के अधिकारी:**

(एक) समिति के पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव और एक संयुक्त सचिव होंगे।

(दो) समिति के अध्यक्ष को नियोजक द्वारा समिति के नियोजक के प्रतिनिधियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और वह यथासंभव औद्योगिक अधिष्ठान का प्रमुख होगा।

(तीन) उपाध्यक्ष का चुनाव कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले समिति के सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाएगा;

परन्तु यह कि उपाध्यक्ष के चुनाव में मतों की बराबरी की स्थिति में मामले का फैसला लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(चार) समिति के सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव हर साल किया जाएगा।

(पांच) समिति सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करेगी, परन्तु यह कि जहां सचिव नियोजक के प्रतिनिधियों में से चुना जाता है, वहीं संयुक्त सचिव कर्मकारों के प्रतिनिधियों में से चुना जाएगा और विपर्ययेन भी किया जायेगा।

परन्तु यह कि सचिव या संयुक्त सचिव का पद,

जैसा भी मामला हो, नियोजक या कर्मकारों के किसी प्रतिनिधि द्वारा लगातार तीन वर्षों तक नहीं रखा जाएगा;

परन्तु यह भी कि नियोजक के प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, सचिव या संयुक्त सचिव के चुनाव में भाग नहीं लेंगे और केवल कर्मकारों के प्रतिनिधि ही सचिव या संयुक्त सचिव के पद के लिए चुनाव में वोट देने के हकदार होंगे:

परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन चुनाव में वोटों की बराबरी की स्थिति में, मामले का फैसला लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

**(15) पदावधि:**

**(एक)** आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य के अलावा समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

**(दो)** आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया प्रत्येक सदस्य अपने पूर्वाधिकारी के पदावधि की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

कोई भी सदस्य, जो समिति से छुट्टी लिए बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

**(16) रिक्तियां:** उपनियम (15) के खंड (तीन) के अधीन कर्मकार प्रतिनिधि के सदस्य न रहने अथवा औद्योगिक अधिष्ठान में कार्यरत न रहने अथवा उसके त्यागपत्र, मृत्यु अथवा अन्य किसी कारण से पदच्युत होने की स्थिति में, समिति की शेष अवधि के लिए इस नियम के उपबंधों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी का चयन उसी समूह से किया जाएगा, जिससे पद खाली करने वाला सदस्य संबंधित था।

**(17) सहयोजित करने की शक्ति:** समिति को परामर्शदात्री क्षमता में औद्योगिक अधिष्ठान में नियोजित ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित करने का अधिकार होगा, जिन्हें चर्चा के अधीन किसी विषय का विशेष या विशिष्ट ज्ञान हो तथा ऐसा सहयोजित सदस्य वोट देने का हकदार नहीं होगा तथा वह मात्र ऐसी अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित रहेगा, जिस अवधि के दौरान विशेष प्रश्न समिति के समक्ष हो।

**(18) बैठकें:**

**(एक)** समिति आवश्यकतानुसार कितनी ही बार बैठक कर सकेगी, लेकिन तीन महीने में एक बार से कम नहीं।

**(दो)** समिति अपनी पहली बैठक में अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगी।

## (19) बैठकों आदि के लिए सुविधाएं:

(एक) नियोजक समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा और समिति तथा उसके सदस्यों को समिति का कार्य करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान करेगा।

(दो) समिति सामान्यतः किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक अधिष्ठान के कार्य घंटों के दौरान बैठक करेगी और बैठक में भाग लेने के दौरान कर्मकारों के प्रतिनिधियों को ड्यूटी पर माना जाएगा।

समिति का सचिव अध्यक्ष की पूर्व सहमति से औद्योगिक अधिष्ठान के नोटिस बोर्ड पर समिति के कार्यों के बारे में सूचना लगा सकता है।

(20) वार्षिक विवरणी: नियोजक, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन् 2020) के अधीन इस निमित्त बनाए गए नियमों में प्रदान की गई एकीकृत वार्षिक विवरणी के एक भाग के रूप में समिति के गठन और कामकाज का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(21) कार्य समिति का विघटन: राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात, जैसा वह उचित समझे, किसी भी समय, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों हेतु आदेश द्वारा किसी भी समिति को यह समाधान हो जाने पर विघटित कर सकेगा, कि समिति इस नियम के उपबंधों के अनुसार गठित नहीं की गई है या कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई बिना किसी उचित औचित्य के समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहे हैं या समिति ने किसी अन्य कारण से कार्य करना बंद कर दिया है:

परन्तु यह कि जहां समिति इस उप-नियम के अधीन विघटित हो जाती है, नियोजक, यदि राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी द्वारा जैसा भी मामला अपेक्षित हो, तो इस नियम के अनुसार समिति को फिर से गठित करने के लिए कदम उठाएगा।

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत निवारण समिति के लिए नियोजकों और कर्मकारों में से सदस्यों को चुनने की रीति

5.(1) बीस या अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक अधिष्ठान में शिकायत निवारण समिति में नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या होगी, जो दस से अधिक नहीं होगी।

(2) नियोजक के प्रतिनिधियों को नियोजक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और यथाशक्य संभव, वे ऐसे पदाधिकारी होंगे जो

औद्योगिक अधिष्ठान को कायप्रणालों के साथ सम्पर्क में होंगे या सम्बद्ध होंगे, अधिमानतः औद्योगिक अधिष्ठानों के मुख्य विभागों के प्रमुख होंगे।

(3) शिकायत समिति के कर्मकार प्रतिनिधि का चयन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) जहां धारा 14 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन कोई वार्ताकारी संघ है, वहां ऐसा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, शिकायत समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करेगा:

(ख) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन वार्ताकारी परिषद के मामले में, नामनिर्देशन इस रीति से किया जाएगा कि वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का प्रतिनिधित्व शिकायत समिति में औद्योगिक अधिष्ठान के उन कर्मकारों की संख्या के अनुपात में होगा जो ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य हैं;

(ग) जहां खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मकार अपने में से शिकायत समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों का चयन करेंगे:

परन्तु यह कि नियोजक इस खंड के अधीन कर्मकार प्रतिनिधियों के चयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म, ऑनलाइन प्लेटफार्म या ऐसे अन्य प्लेटफार्म पर अभिनियोजित कर सकता है:

परन्तु यह और कि शिकायत समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक अधिष्ठान में कार्यरत कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात से अनिम्न होगा।

(4) शिकायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।

जहां कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है और यदि शिकायत समिति में कर्मकार प्रतिनिधि के चयन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामले को संबंधित क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त को निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले का विनिश्चय करेंगे, जिनका विनिश्चय अंतिम होगा।

धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन किसी क्षुब्ध कर्मकार द्वारा शिकायत

6.(1) कोई क्षुब्ध कर्मकार शिकायत निवारण समिति के समक्ष अपने विवाद का उल्लेख करते हुए आवेदन दाखिल कर सकता है, जिसमें उसका नाम पदनाम, कर्मकार कोड, विभाग जहाँ तैनात

निवारण सामांत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु किसी विवाद के संबंध में आवेदन

हां, सेवा के वर्ष, कर्मकार को श्रेणी, पत्र-व्यवहार का पता, सपके संख्या, शिकायत तथा वांछित अनुतोष का विवरण हो।

(2) ऐसा आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा रूप में प्रेषित किया जा सकता है।

(3) ऐसे विवाद उत्पन्न होने के बादहेतुक के दिनांक से एक वर्ष के अतंगत शिकायत की जा सकती है।

धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध शिकायत सुलह हेतु सुलह अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने की रीति

7. कोई कर्मकार जो शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय से क्षुब्ध है या जिसकी शिकायत का समाधान आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उक्त समिति द्वारा नहीं किया जाता है, वह शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय के दिनांक से साठ दिनों की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा रूप में यथास्थिति सम्बंधित सुलह अधिकारी के समक्ष अथवा धारा 4 की उपधारा 6 में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के दिनांक से, व्यवसाय संघ जिसका वह सदस्य हो या अन्यथा रूप में हो, के माध्यम से सुलह अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकता है।

परन्तु यह कि रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से ऐसे आवेदन की मैन्युअल प्राप्ति के मामले में, सुलह अधिकारी इसे डिजिटाइज करेगा और व्यवसाय संघ और कर्मकार को सूचना के अधीन ऑनलाइन तंत्र में आवेदन के विवरण दर्ज करेगा।

### अध्याय-तीन

#### व्यवसाय संघ

धारा 7 के खंड (च) के अधीन व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अभिदान

8. (1) असंगठित क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय संघ के साधारण सदस्य के लिए वार्षिक अभिदान पचास रुपये से अधिक नहीं होगा और मानद सदस्य के लिए एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

(2) संगठित क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय संघ के साधारण सदस्य के लिए वार्षिक अभिदान सौ रुपये से अधिक नहीं होगा और मानद सदस्य के लिए दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

धारा 7 के खंड (ज) के अधीन वार्षिक लेखा परीक्षा

9. (1) इस नियम के उपनियम (2), (3), (4) और (5) में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2013) के अधीन कंपनियों के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने हेतु प्राधिकृत किसी लेखा परीक्षक द्वारा संचालित की जाएगी।

(2) जहां वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय किसी व्यवसाय संघ की कुल प्राप्ति पचास हजार रुपये से अधिक न रही हो, वहाँ लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा संघ के किन्ही दो सदस्यों द्वारा संचालित की जा सकती है।

(3) जहां वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय किसी व्यवसाय संघ की कुल प्राप्ति एक लाख रुपये से अधिक न रही हो, वहाँ लेखाओं की वार्षिक लेखा परीक्षा निम्नलिखित द्वारा संचालित की जा सकती है:-,

(क) ऐसे किन्ही दो व्यक्तियों द्वारा जो किसी नगर पालिका परिषद, जिला परिषद या विधायी निकाय के सदस्य के रूप में पद धारित करते हो, या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सरकार के अधीन किसी लेखा परीक्षा या लेखा विभाग में नियुक्त रहा हो तथा सरकार से प्रतिमाह अन्यून तीस हजार रुपये पेंशन प्राप्त कर रहा हो; या

(ग) किसी ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा जो सरकार द्वारा या सरकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा या इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी राज्य सहकारी संगठन द्वारा किन्ही सहकारी समितियों की लेखा-परीक्षा संचालित करने हेतु नियुक्त हो।

(4) जहां वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय किसी व्यवसाय संघ की कुल प्राप्ति पांच लाख रुपये से अधिक न रही हो, वहाँ लेखाओं की वार्षिक लेखापरीक्षा का संचालन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है:-

(क) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा द्वारा, या

(ख) किसी स्थानीय निधि लेखापरीक्षक द्वारा जो स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त हो, या

(ग) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सरकार के अधीन किसी लेखापरीक्षा या लेखा विभाग में नियुक्त रहा हो तथा सरकार से प्रतिमाह अन्यून पचास हजार रुपये पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

(5) जहां व्यवसाय संघ संघों का परिसंघ हो, वहाँ परिसंघ के लेखाओं की लेखापरीक्षा उसी रीति से संचालित की जाएगी जैसा कि व्यवसाय संघों की लेखापरीक्षा हेतु उप-नियम (2), (3) और (4) में विहित हो।

(6) उप-नियम (1), (2), (3), (4) और (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति, जिसे वर्ष के दौरान किसी समय व्यवसाय संघ से संबंधित निधि या उसके आंशिक भाग या प्रतिभूतियाँ सौंपी गई हों, उस संघ के लेखाओं की लेखापरीक्षा

करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) तदनुसार नियुक्त किए गए लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकगण की व्यवसाय संघ की समस्त पुस्तिकाओं तक पहुंच होगी और वह/वे तत्सम्बंधी लेखाओं तथा वाउचरों सहित वार्षिक विवरणी का सत्यापन करेगा/करेंगे और तत्पश्चात् प्रपत्र-दो में लेखा परीक्षक की घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा/करेंगे।

(8) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के राजनीतिक निधि की लेखापरीक्षा के साथ व्यवसाय संघ के सामान्य लेखा की लेखापरीक्षा उसी/उन्हीं लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी।

**धारा 9 की धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन**

10. व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्रपत्र- तीन में मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा और व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश को उस क्षेत्र के क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें व्यवसाय संघ का कार्यालय स्थित है।

व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय शुल्क एक सौ रुपये होगा जो राज्य कोषागार के संबंधित कोषागार शीर्षक में मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाएगा। आवेदक प्रपत्र-चार के साथ ऐसी कोषागार रसीद की एक प्रति रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ, उत्तर प्रदेश को संलग्न करेगा, जो राज्य कोषागार के वेब-पोर्टल के साथ उक्त रसीद की पुष्टि कर सकता है।

**धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शपथपत्र**

11. रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ समस्त आवेदकों को प्रपत्र-चार में शपथ पत्र द्वारा घोषणा संलग्न करनी होगी।

**धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन व्यवसाय संघ की परिसंपत्तियों और दायित्वों के सामान्य विवरण का प्रपत्र**

12. जहां कोई व्यवसाय संघ अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने से पहले एक वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है, वहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रपत्र-तीन की अनुसूची-तीन में व्यवसाय संघ की परिसंपत्तियों और दायित्वों का सामान्य विवरण संलग्न किया जाएगा।

**धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र**

13. धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रपत्र-पांच में होगा।

धारा 9 की धारा (3) के अधीन व्यवसाय संघों का रजिस्टर

धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्याहरण या रद्दकरण के लिए आवेदन

धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन प्रत्याहरण या रद्दकरण के लिए आवेदन का सत्यापन

धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अपील दाखिल करने की समयावधि

धारा 11 की उपधारा (1) और (3) के अधीन परिवर्तन की सूचना

14. धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघों का रजिस्टर प्रपत्र-छह में रखा जाएगा।

15. व्यवसाय संघ द्वारा अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रत्याहरण करने या रद्द करने के लिए प्रत्येक आवेदन प्रपत्र-सात में रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा।

16. (1) व्यवसाय संघ के प्रत्याहरण के आवेदन को रजिस्ट्रार द्वारा आवेदक को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर या उस क्षेत्र के क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा जिसमें व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है।

(2) रजिस्ट्रीकरण का प्रत्याहरण या रद्द करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार आवेदन को स्वीकार करने से पहले, स्वयं का समाधान करेगा कि रजिस्ट्रीकरण का प्रत्याहरण या रद्द करने को व्यवसाय संघ के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया गया था, या इसे व्यवसाय संघ के सदस्यों के बहुमत का अनुमोदन प्राप्त है। रजिस्ट्रार ऐसे अतिरिक्त विवरण मांग सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे और संघ के किसी भी अधिकारी की जांच कर सकता है।

17. संहिता की धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार करने या धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द करने के आदेश के खिलाफ कोई अपील रजिस्ट्रार के ऐसे आदेश के दिनांक से साठ दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

18. (1) व्यवसाय संघ अपने पदाधिकारियों में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार को लिखित रूप में देगा तथा उसके साथ प्रपत्र-आठ में ऐसे परिवर्तनों के अनुसार प्रस्ताव भी संलग्न करेगी। क्षेत्रीय अपर/उप रजिस्ट्रार संतुष्ट होने के पश्चात प्रपत्र-नौ में इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित रजिस्टर में ऐसे किसी भी परिवर्तन को अभिलिखित करेगा तथा संबंधित संघ को सूचित करेगा।

(2) व्यवसाय संघ अपने नाम, संविधान या उप-नियमों के संबंध में अपने आवेदन में दिए गए विवरणों में किसी भी परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को लिखित रूप में देगा तथा उसके साथ संघ के संविधान या उप-नियमों के अनुसार उस प्रभाव का प्रस्ताव भी संलग्न करेगी तथा उसे प्रपत्र-आठ में रजिस्ट्रार को सूचित

करेगा। रजिस्ट्रार संतुष्ट होने के पश्चात संघ के संविधान या उप-नियमों में परिवर्तन को अभिलिखित करेगा तथा संबंधित संघ को सूचित करेगा।

(3) व्यवसाय संघ के कार्यालय को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की स्थिति में रजिस्ट्रार उस राज्य के व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रार को, जिसमें व्यवसाय संघ का मुख्यालय स्थानांतरित किया गया है, संहिता की धारा 9 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रार में निहित प्रविष्टियों की एक प्रति भेजेगा।

**धारा 14 की उपधारा (1)  
के अधीन वार्ता के मामले**

19. कर्मकारों से संबंधित मामले, जिन पर वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक के साथ वार्ता करेगी, निम्नवत् विनिर्दिष्ट हैं, अर्थात्-

- (एक) कर्मकारों की श्रेणी एवं प्रवर्ग का वर्गीकरण;
- (दो) औद्योगिक अधिष्ठान में लागू स्थायी आदेशों के अधीन नियोजक द्वारा पारित आदेश;
- (तीन) कर्मकारों की मजदूरी, जिसमें उनकी मजदूरी अवधि, महंगाई भत्ता, बोनस, वेतन वृद्धि, रूढ़िगत रियायत या विशेषाधिकार, प्रतिकरात्मक और अन्य भत्ते सम्मिलित हैं;
- (चार) कर्मकारों के कार्य के घंटे, उनके विश्राम के दिन, सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या, विश्राम अंतराल, पारियों में कार्य करना;
- (पाँच) मजदूरी और अवकाश सहित छुट्टी;
- (छह) पदोन्नति और स्थानांतरण नीति एवं अनुशासनात्मक प्रक्रियाएं;
- (सात) कर्मकारों के लिए आवास-गृह आवंटन नीति;
- (आठ) सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य की दशायें और संबंधित मानक;
- (नौ) कर्मकारों की सेवा की शर्तों और रोजगार के निबंधनों से संबंधित ऐसे मामले, जो पूर्वगामी खंडों से आच्छादित नहीं हैं; और
- (दस) कोई अन्य मामला जिस पर औद्योगिक अधिष्ठान के नियोक्ता और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के बीच सहमति हो, जैसा भी मामला हो।

**धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन एकमात्र वार्ताकारी संघ की मान्यता**

20. जहां औद्योगिक अधिष्ठान में कर्मकारों का केवल एक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ कार्य कर रहा है, वहां नियोजक ऐसे संघ को कर्मकारों के एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता देगा।

परन्तु यह कि औद्योगिक अधिष्ठान में नियोजित कुल कर्मकारों के अन्यून तीस प्रतिशत उक्त व्यवसाय संघ के सदस्य हों।

**धारा 14 की उपधारा (3) और (4) के अधीन औद्योगिक अधिष्ठान में व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन की रीति।**

21.(1) (क) राज्य सरकार औद्योगिक अधिष्ठान में व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजन के लिए एक सत्यापन अधिकारी नियुक्त करेगी, जिसका औद्योगिक अधिष्ठान में किसी भी व्यवसाय संघ के साथ कोई हित नहीं होगा, जिसकी सदस्यता का सत्यापन उसके द्वारा किया जाना है:

परन्तु यह कि वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, की मान्यता की प्रक्रिया, संहिता के अधीन नियोजक द्वारा मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, की विद्यमान मान्यता अवधि की समाप्ति से तीन महीने पहले प्रारम्भ होगी।

(ख) सत्यापन अधिकारी सदस्यता सत्यापन के कार्य की मात्रा के आधार पर अपनी सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

(ग) सत्यापन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अवधारित समय के भीतर औद्योगिक अधिष्ठान में सदस्यता सत्यापन का कार्य करेगा।

(2) औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक उप-नियम (1) के अधीन व्यवसाय संघ की सदस्यता के सत्यापन के संबंध में सभी खर्च वहन करेगा और व्यवस्था करेगा।

(3) (क) निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाले व्यवसाय संघ, औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक को वार्ताकारी संघ या कर्मकारों की वार्ताकारी परिषद के प्रतिनिधियों, जैसा भी मामला हो, की प्रास्थिति देने के लिए प्रपत्र-दस में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात:-

(एक) व्यवसाय संघ के पास व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1926) के अधीन एक विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण है और वह उसी रूप में जारी है या

(दो) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) के अधीन रजिस्ट्रीकरण है, जैसा भी मामला हो; और

(ख) व्यवसाय संघ द्वारा मान्यता के लिए किए गए आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति, सदस्यों की सूची की एक प्रति, सदस्यता अभिदान का विवरण और व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत व्यवसाय संघ की नवीनतम वार्षिक विवरणी की एक प्रति संलग्न होगी।

4. (क) यदि संहिता के अधीन वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद का गठन किया गया है, तो औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के कार्यकाल की समाप्ति से पहले यथास्थिति पर्याप्त रूप से अग्रिम में लेकिन वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के कार्यकाल की समाप्ति से तीन महीने पहले, कार्यवाही शुरू करेगा;

(ख) व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजनार्थ औद्योगिक अधिष्ठान के लिए सत्यापन अधिकारी द्वारा गणना की तिथि निर्धारित की जाएगी;

(ग) अधिष्ठान का नियोजक व्यवसाय संघों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और अभिलेखों को सत्यापन अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(घ) दस्तावेजों और अभिलेखों की प्राप्ति पर, सत्यापन अधिकारी व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रीकरण और संबंधित मामलों की प्राप्ति अभिनिश्चित करने के लिए व्यवसाय संघ द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों और दस्तावेजों की संवीक्षा करेगा;

(ङ) सत्यापन अधिकारी, औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक और सभी सहभागी व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर गुप्त मतदान के माध्यम से व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में विनिश्चय करेगा।

(च) नियोजक सत्यापन अधिकारी के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्लेटफार्म या ऐसे अन्य प्लेटफार्म पर चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया अभिनियोजित कर सकता है।

(छ) धारा 14 में निर्दिष्ट और सत्यापित वार्ताकारी संघों और वार्ताकारी परिषद के सदस्यों की सूची रजिस्ट्रार द्वारा प्रपत्र-ग्यारह में अनुरक्षित की जाएगी।

(5) गुप्त मतदान के माध्यम से व्यवसाय संघों की सदस्यता का सत्यापन-

(क) सत्यापन अधिकारी औद्योगिक अधिष्ठान में कार्यरत सभी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों का अधिवेशन वास्तविक मतदान की तिथि से कम से कम साठ दिन पहले बुलाएगा, जिसमें निम्नलिखित पर विनिश्चय किया जाएगा -

(i) मतदाता सूची का प्रकाशन;

- (ii) तिथि, समय, मतदान का तरीका, मतदान का स्थान;
- (iii) मतगणना की तिथि, समय और स्थान; और
- (iv) गुप्त मतदान से संबंधित अन्य तौर-तरीके।

(ख) सत्यापन अधिकारी बैठक के कार्यवृत्त तैयार करवाएगा और भाग लेने वाले सभी व्यवसाय संघों से उस पर हस्ताक्षर करवाएगा। भाग लेने वाले सभी व्यवसाय संघों को उसी बैठक में प्रतीक आवंटित किए जाएंगे। यदि बैठक में तिथि, समय, मतदान का तरीका, मतदान का स्थान, प्रतीकों का आवंटन, मतगणना की तिथि, समय और स्थान तथा अन्य मामलों के बारे में कोई विनिश्चय नहीं किया जा सका, तो सत्यापन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और वह ऐसे गुप्त मतदान चुनाव की अनुसूची, कार्यक्रम और प्रक्रिया प्रकाशित करेगा।

(ग) सभी कर्मकार जिनके नाम औद्योगिक अधिष्ठान की मस्टर रोल पर गणना की तिथि को अंकित हैं, मतदान करने के पात्र होंगे।

(घ) औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक द्वारा उपनियम (3) में निर्दिष्ट मस्टर रोल पर अंकित कर्मकारों के नामों के आधार पर मतदाता सूची तैयार की जाएगी तथा मतदाता सूची में कर्मकार का नाम, पिता का नाम, पदनाम, नियोजक द्वारा जारी कर्मचारी संख्या/पहचान पत्र संख्या तथा कर्मकार की नियुक्ति का स्थान अंकित होगा। अंतिम मतदाता सूची नियोजक द्वारा सत्यापन अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात प्रकाशित की जाएगी तथा औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट तथा वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्शित की जाएगी। ऐसी मतदाता सूची की एक प्रति भाग लेने वाले व्यवसाय संघों को भी हाथ से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जाएगी।

(ङ.) सत्यापन अधिकारी भाग लेने वाले व्यवसाय संघों के नाम की सूची, उन्हें आवंटित प्रतीक सहित, सूची के अंतिम रूप दिए जाने के दो दिन के भीतर औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट तथा वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्शित करेगा।

(च) मतदान और मतगणना सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर सत्यापन अधिकारी के पर्यवेक्षण में होगी और गणना के दौरान, भाग लेने वाले सभी व्यवसाय संघों के अभिकर्ता को उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी।

(छ) मतों की अंतिम गणना के पश्चात, सत्यापन अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा। परिणाम पत्र में चुनाव में भाग लेने वाले सभी व्यवसाय संघों के नाम, डाले गए कुल मतों की संख्या

और चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यवसाय संघ के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या सम्मिलित होगी।

**(6) नियोजक को सत्यापन रिपोर्ट-** सत्यापन अधिकारी औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक को परिणाम पत्र के साथ सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) व्यवसाय संघ को वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक के रूप में मान्यता देना-

(क) सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर, औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक, संहिता की धारा 14 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार व्यवसाय संघ को यथास्थिति वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक के रूप में मान्यता प्रदान करेगा।

(ख) वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के रूप में कोई भी मान्यता, मान्यता दिये जाने या गठन किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष या नियोजक और व्यवसाय संघ द्वारा पारस्परिक रूप से तय की गई कुल अनधिक पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी:

**धारा 14 की उपधारा (7) के अधीन औद्योगिक अधिष्ठान द्वारा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषदों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं**

22. किसी औद्योगिक अधिष्ठान में, जहां कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् है, जैसा भी मामला हो, ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगा, अर्थात:-

(एक) यथास्थिति वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के कार्य-कलापों से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने के उद्देश्य से सूचना पट्ट;

(दो) वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् द्वारा औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के बीच तय की जाने वाली अनुसूची और कार्यसूची के अनुसार, चर्चा करने के लिए स्थान और आवश्यक सुविधाएं;

(तीन) वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के घटकों के सदस्यों के बीच चर्चा करने के लिए स्थान और आवश्यक सुविधाएं;

(चार) कर्मकारों की कार्य दशाओं से संबंधित मामलों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ, औद्योगिक अधिष्ठान में यथास्थिति में वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के पदाधिकारियों के प्रवेश की सुविधा;

- (पांच) औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक कर्मकार की लिखित सहमति के आधार पर व्यवसाय संघ के सदस्यों का अभिदान काट लेगा;
- (छह) जब वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के पदाधिकारी नियोजक और ऐसे नियोजित पदाधिकारियों के बीच सहमत कार्यक्रम के अनुसार नियोजक के साथ बैठकें कर रहे हों, तो उन्हें ड्यूटी पर माना जाएगा; और
- (सात) तीन सौ या अधिक कर्मकारों वाले औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद को, जैसा भी मामला हो, आवश्यक सुविधाओं सहित उपयुक्त कार्यालय स्थल उपलब्ध कराएगा।

**धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन सामान्य निधि का प्रयोजन**

23. संघ की सामान्य निधि निम्नलिखित उद्देश्यों पर खर्च की जा सकती है, अन्य किसी पर नहीं,-

- (क) व्यवसाय संघ के अधिकारियों को वेतन, भत्ते और व्यय का भुगतान;
- (ख) व्यवसाय संघ के सामान्य निधि के लेखाओं की लेखापरीक्षा सहित व्यवसाय संघ के प्रशासन के लिए व्यय का भुगतान;
- (ग) किसी विधिक कार्यवाही का अभियोजन या बचाव, जिसमें व्यवसाय संघ या उसका कोई सदस्य पक्षकार हो, जब ऐसा अभियोजन या बचाव व्यवसाय संघ के किसी अधिकार को सुरक्षित या संरक्षित करने या किसी सदस्य के अपने नियोजक के साथ संबंधों से उत्पन्न किसी अधिकार को सुरक्षित करने या संरक्षित करने के प्रयोजन से किया जाता है;
- (घ) व्यवसाय संघ या उसके किसी सदस्य की ओर से व्यवसाय विवादों का संचालन;
- (ङ) व्यवसाय विवादों से उत्पन्न होने वाली हानि के लिए सदस्यों को प्रतिकर;
- (च) ऐसे सदस्यों की मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के कारण सदस्यों या उनके आश्रितों को भत्ते;
- (छ) सदस्यों के जीवन पर बीमा पॉलिसियों के अधीन या सदस्यों को बीमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा करने वाली पॉलिसियों के अधीन दायित्व का निर्गमन या उपक्रम करना;
- (ज) सदस्यों के लिए या सदस्यों के आश्रितों के लिए शैक्षिक, सामाजिक या धार्मिक प्रसुविधाओं का उपबंध

(मृत सदस्यों के आंतेम सस्कार या धामक समारोहों के व्यय का भुगतान सहित);

(झ) नियोजकों/कर्मकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर चर्चा करने के प्रयोजनार्थ मुख्य रूप से प्रकाशित एक पत्रिका का रखरखाव;

(ञ) किसी ऐसे उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भुगतान जिस पर व्यवसाय संघ की सामान्य निधियों को सामान्य रूप से कर्मकारों को लाभ पहुंचाने हेतु आशयित किसी भी उद्देश्य के लिए योगदान के लिए खर्च किया जा सकता है,

परन्तु यह कि किसी भी वित्तीय वर्ष में ऐसे योगदानों के संबंध में व्यय उस वर्ष के दौरान किसी भी समय उस सकल आय के संयुक्त योग के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगा जो उस वर्ष के अंत में व्यवसाय संघ की सामान्य निधियों में उस वर्ष के प्रारंभ में उन निधियों के जमा शेष के दौरान उस समय तक अर्जित हुई है;

**धारा 15 की उपधारा (2) और (4) के अधीन राजनीतिक निधि और अभिदान का प्रयोजन**

24.(1) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन गठित निधि का व्यय निम्नलिखित के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य पर नहीं किया जाएगा,-

(क) संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकरण के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी अभ्यर्थी या भावी अभ्यर्थी द्वारा, उसके अभ्यर्थन या निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन से पूर्व, उसके दौरान या उसके पश्चात, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपर्गत किसी व्यय का भुगतान; या

(ख) ऐसे किसी अभ्यर्थी या भावी अभ्यर्थी के समर्थन में कोई बैठक आयोजित करना या कोई साहित्य या दस्तावेज वितरित करना; या

(ग) किसी व्यक्ति जो संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य हो, का अनुरक्षण; या

(घ) संविधान के अधीन गठित किसी विधायी निकाय या किसी स्थानीय प्राधिकरण के लिए निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण या अभ्यर्थी का चयन; या

(ङ) किसी भी प्रकार की राजनीतिक बैठकें आयोजित करना या किसी भी प्रकार का राजनीतिक साहित्य या राजनीतिक दस्तावेज वितरित करना।

(2) नागरिक और राजनीतिक हितों के लिए बनायी गयी निधि

का आभेदान व्यवसाय संघ के सदस्यों पर अलग से लगाया जाएगा और यह सामान्य निधि के सदस्य के वार्षिक अभिदान के दोगुने से अधिक नहीं होगा।

धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के समक्ष विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन करने की रीति

25. जहां निम्नलिखित के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है-

- (क) एक व्यवसाय संघ और दूसरे के बीच; या
- (ख) एक या अधिक कर्मकार जो व्यवसाय संघ के सदस्य हैं और व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण, प्रशासन या प्रबंधन या व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों के चुनाव के बारे में; या
- (ग) एक या अधिक कर्मकार जिन्हें सदस्यों और व्यवसाय संघ के रूप में प्रवेश देने से मना कर दिया गया है; या
- (घ) जहां विवाद व्यवसाय संघ के संबंध में है जो व्यवसाय संघों का परिसंघ है और व्यवसाय संघ द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत पदाधिकारी है,

तो क्षुब्ध व्यक्ति विवाद उत्पन्न होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिकारिता रखने वाले अधिकरण में प्रपत्र-बारह में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट से या व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर सकता है।

उपधारा (2) के अधीन समामेलन की रीति, तथा धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन हस्ताक्षरित समामेलन को भिन्न राज्य के रजिस्ट्रार को भेजने की रीति

26. (1) कोई भी दो या अधिक व्यवसाय संघ अपने संघों के समामेलन के लिए प्रपत्र- तेरह में व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकते हैं।

(2) समामेलन के लिए आवेदन के साथ उनके संघों के कम से कम तीन चौथाई सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव संलग्न होने चाहिए।

(3) रजिस्ट्रार, यदि संतुष्ट हो, तो ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा वह उचित समझे प्रपत्र-छह में रजिस्ट्रार में संघों के समामेलन को अभिलिखित करेगा।

(4) धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन समामेलन की सूचना प्राप्त होने पर, यदि समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय अन्य राज्य में है, तो रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ, उत्तर प्रदेश ऐसे समामेलन की सूचना, ऐसे अन्य राज्य के रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ को भेजेगा।

(5) जब समामेलित व्यवसाय संघ धारा 24 की उपधारा (6) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो जाती है, तो उसे प्रपत्र-छह में रजिस्ट्रार में एक संख्या समनुदेशित की जाएगी और रजिस्ट्रार उसके लिए प्रपत्र में एक नया प्रमाण पत्र जारी करेगा। रजिस्ट्रार प्रपत्र-छह में रजिस्ट्रार में इस प्रकार समामेलित व्यवसाय संघों से संबंधित प्रविष्टियों, यदि कोई हो, के समक्ष समामेलन के तथ्य का भी उल्लेख करेगा और समामेलित संघों के रजिस्ट्रीकरण की सूचना

अन्य राज्य के व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रार को, यादें कोई हों, भेजेगा।

**धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन विघटन के पश्चात् व्यवसाय संघ की निधियों का वितरण**

27. (1) जहां धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार के लिए किसी ऐसे व्यवसाय संघ की निधि का वितरण करना आवश्यक है, जो विघटित हो चुका है, वहां वह उस निधि को व्यवसाय संघ की पुस्तिकाओं पर सदस्यों के बीच विघटन की सूचना जारी होने की तिथि को उनके सदस्यता के दौरान अभिदान के रूप में ऐसे सदस्यों द्वारा योगदान की गई राशि के अनुपात में विभाजित करेगा।

(2) व्यवसाय संघ के किसी सदस्य की उसके विघटन की तिथि के पश्चात् परंतु निधि के वितरण से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को संदेय राशि उसके विधिक उत्तराधिकारियों को देगा।

**धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन वार्षिक विवरणी**

28. संहिता की धारा 26 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक रजिस्ट्रार को मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत की जाएगी और इसमें नियम 9 के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से लेखापरीक्षित प्रपत्र-चौदह में विहित विवरणों का पूर्ण और सही विवरण होगा।

**धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन राज्य व्यवसाय संघ को मान्यता**

29. (1) राज्य स्तर पर राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता के प्रयोजन के लिए, व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों का परिसंघ, इस संबंध में श्रम आयुक्त को प्रपत्र-पन्द्रह पर लिखित आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा उसके साथ इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक सदस्यों द्वारा समर्थित संघ या परिसंघ का संकल्प संलग्न होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर श्रम आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, राज्य व्यवसाय संघ/परिसंघ को मान्यता दे सकेगा अथवा आवेदन को अस्वीकार कर सकेगा। यदि राज्य व्यवसाय संघ/परिसंघ को मान्यता प्रदान की जाती है तो आवेदक को श्रम आयुक्त द्वारा लिखित रूप में स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

(3) राज्य सरकार किसी व्यवसाय संघ या संघों के परिसंघ को, जैसा भी मामला हो, राज्य स्तरीय व्यवसाय संघ या परिसंघ के रूप में मान्यता दिए जाने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय, ऐसे संघ या परिसंघ से ऐसी सूचना मांग सकेगी, जैसी वह आवश्यक समझे, तथा संघ या परिसंघ मांगी गई सूचना उपलब्ध कराएगा।

(4) प्रत्येक ऐसा मान्यता प्राप्त व्यवसाय संघ या संघों का परिसंघ,-

(क) अपने प्रधान कार्यालय के पते में तथा अपने पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्यों में प्रत्येक परिवर्तन की सूचना राज्य सरकार को प्रपत्र-सोलह में सात दिन के भीतर देगा, तथा

(ख) प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक प्रपत्र-सत्रह में अपने से संबद्ध संघों की सूची राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(5) राज्य सरकार किसी भी समय तथा लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से उपर्युक्त उपनियम (2) के अधीन व्यवसाय संघ या संघों के परिसंघ को दी गई मान्यता वापस ले सकती है।

(6) उपनियम (2) या (5) के अधीन राज्य सरकार के आदेश से क्षुब्ध कोई पक्ष ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर अधिकरण के समक्ष अपील कर सकता है, जिसका मामले में विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

#### अध्याय-चार

#### स्थायी आदेश

प्रमाणनकर्ता अधिकारी को सूचना अग्रेषित करना

30. (1) यदि नियोजक अपने औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम से सुसंगत विषयों के संबंध में धारा 29 में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाता है, तो वह संबंधित प्रमाणनकर्ता अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या व्यक्तिगत रूप से, या स्पीड पोस्ट द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा वह विशिष्ट दिनांक सूचित करेगा, जिससे उसके अधिष्ठान या उपक्रम से सुसंगत आदर्श स्थायी आदेशों के उपबंधों को अपनाया गया है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अपनाया गया आदर्श स्थायी आदेश औद्योगिक अधिष्ठान और उत्तर प्रदेश में उसकी सभी इकाइयों पर लागू होगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, प्रमाणनकर्ता अधिकारी उस औद्योगिक अधिष्ठान जिसने आदर्श स्थायी आदेश को अपनाया है, का ब्यौरा नियम 37 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(4) जहां प्रमाणनकर्ता अधिकारी यह अवलोकन करता है कि औद्योगिक अधिष्ठान, जिसने आदर्श स्थायी आदेशों को अपनाने की सूचना दी है, उन कार्यकलापों से भिन्न कार्य-कलापों में भी लगा हुआ है जिनके लिए आदर्श स्थायी आदेश अपनाए गए हैं, तो वह इस प्रकार अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों की

सूचना प्राप्त होने का तात्पर्य से तीस दिन का अवाध के भीतर ऐसे नियोजक को निदेश दे सकता है कि वह अपने औद्योगिक अधिष्ठान के लिए सुसंगत कतिपय उपबंधों को सम्मिलित करने या अपनाने तथा उन सुसंगत उपबंधों को उपदर्शित करने का निदेश दे सकता है तथा ऐसे नियोजक को ऐसे निदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर उनका अनुपालन करने तथा केवल उन उपबंधों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निदेश दे सकता है, जिनके लिए प्रमाणनकर्ता अधिकारी ने उन्हें सम्मिलित करने के लिए ऐसा निदेश दिया है।

(5) यदि उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर प्रमाणनकर्ता अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, तो आदर्श स्थायी आदेश, प्रमाणनकर्ता अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया समझा जाएगा।

(6) इस नियमावली के उपबंधों के अनुसार अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों के उपबंध, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त रहेंगे।

(7) इस नियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रमाणनकर्ता अधिकारी कोई टिप्पणी नहीं करेगा, यदि वह औद्योगिक अधिष्ठान जिस पर स्थायी आदेश लागू होते हैं, ऐसे कार्य-कलापों में लगा हुआ है जो औद्योगिक अधिष्ठान के कार्य-कलापों के अधीन पूर्णतः आते हैं।

जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां प्रमाणनकर्ता अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के लिए औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम के कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन करना

**31.** (1) जहां धारा 30 की उप-धारा (5) के खंड (एक) में निर्दिष्ट कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां प्रमाणनकर्ता अधिकारी या उसकी ओर से कोई प्राधिकृत अधिकारी, तीन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कर्मकारों की बैठक बुलाएगा, जिनके चुने जाने पर वह स्थायी आदेश या संशोधन, जैसी भी स्थिति हो, की एक प्रति, अंग्रेजी में और साथ ही कर्मकारों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में उसके अनुवाद के साथ नोटिस जारी करेगा, जिसमें टिप्पणियां या सुझाव, यदि कोई हों, अपेक्षित होंगे, जिन्हें कर्मकार स्थायी आदेश के प्रारूप पर देना चाहें, जो ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने होंगे।

(2) व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक को, यथास्थिति, अंग्रेजी में प्रारूप स्थायी आदेश या संशोधन की एक प्रति तथा साथ ही उसका अनुवाद, उस भाषा में दिया जाएगा जिसे अधिकांश कर्मकारों जानते हैं, ताकि इस नियम में सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उनसे उनकी टिप्पणियां या सुझाव, यदि कोई हों, मांगे जा सकें।

**प्रमाणित स्थायी आदेश  
का अधिप्रमाणन**

**32.** धारा 30 की उप-धारा (8) के अनुसरण में प्रमाणित स्थायी आदेश या स्थायी आदेशों में किए गए उपांतरणों को प्रमाणनकर्ता अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और उसे ऐसे अधिप्रमाणन की तिथि से सात दिन के भीतर सभी संबंधितों को, अर्थात् नियोजक और सभी सभी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों या कर्मकारों के चुने हुए प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से और उसकी हार्ड कॉपी रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी:

परन्तु यह कि धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन समझे गए प्रमाणन के मामलों में तथा ऐसे मामलों में जहां नियोजक ने आदर्श स्थायी आदेशों को अपना प्रमाणित कर दिया है, इस नियम के अधीन अधिप्रमाणन की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

**प्रारूप स्थायी आदेश के  
साथ संलग्न किया जाने  
वाला विवरण**

**33.** (1) प्रारूप स्थायी आदेश के साथ संलग्न किए जाने वाले विवरण में, संबंधित औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता, संपर्क संख्या और उसमें नियोजित कर्मकारों की संख्या और ब्यौरा, जिसमें व्यवसाय संघ, यदि कोई हो, का विवरण अंतर्विष्ट होगा, जिससे ऐसे कर्मकार संबंधित हैं।

(2) किसी विद्यमान स्थायी आदेश में प्रारूप उपांतरण के साथ संलग्न किए जाने वाले विवरण में ऐसे स्थायी आदेश का विवरण होगा जिसे उपांतरित किए जाने का प्रस्ताव है, साथ ही एक सारणीबद्ध विवरण होगा जिसमें प्रवृत्त उस स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंध और उसमें प्रस्तावित उपांतरण तथा उसके कारणों का विवरण अंतर्विष्ट होगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट विवरण पर औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) आदर्श स्थायी आदेश, यदि उपांतरित किए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम की सभी इकाइयों पर भी लागू होंगे।

**समान अधिष्ठानों में  
प्रारूप स्थायी आदेश  
प्रस्तुत करने की शर्तें**

**34.** समान औद्योगिक अधिष्ठानों में लगे नियोजकों के समूह के मामले में, वे संबंधित व्यवसाय संघ के परामर्श के बाद धारा 30 के अधीन और उसकी उप-धारा (1), (5), (6), (8) और उप-धारा (9) में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए स्थायी आदेश का एक संयुक्त प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं:

परन्तु यह कि समान औद्योगिक अधिष्ठानों में लगे

नियोजकों के समूह के मामले में, स्थायी आदेशों का संयुक्त प्रारूप तैयार किया जाएगा और अपर मुख्य श्रम आयुक्त औद्योगिक सम्बंध को प्रस्तुत किया जाएगा / जो संबंधित प्रमाणनकर्ता अधिकारियों के परामर्श से, इसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात ऐसे संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेशों को प्रमाणित करेगा या प्रमाणित करने से इंकार करेगा:

परन्तु यह और कि प्रमाणनकर्ता अधिकारी सभी संबंधित पक्षों को नोटिस देगा तथा स्थायी आदेशों को प्रमाणित करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर सुनिश्चित करेगा।

### अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील का निपटान

**35.**(1) कोई नियोजक या व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, या जहां किसी औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां कोई संघ या औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम के कर्मकारों का ऐसा प्रतिनिधि निकाय, धारा 30 की उप-धारा (5) के अधीन किए गए प्रमाणनकर्ता अधिकारी के आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर अपील कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए सारणीबद्ध रूप में अपील का ज्ञापन तैयार करेगा जिसमें उन स्थायी आदेशों के उपबंधों का, जिन्हें परिवर्तित या उपांतरित या हटाया या जोड़ा जाना अपेक्षित है, कारण सहित उल्लेख होगा और उसे अपीलीय प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से दाखिल करेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी, अपील की सुनवाई के लिए दिनांक नियत करेगा और उसकी सूचना देने का निदेश देगा, -

(क) जहां अपील नियोजक द्वारा दाखिल की जाती है, वहां यथास्थिति, व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को, या जहां औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् नहीं है, वहां औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम के कर्मकारों के किसी संघ या ऐसे प्रतिनिधि निकाय को;

(ख) जहां अपील किसी व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद द्वारा दाखिल की जाती है, वहां यथास्थिति, नियोजक और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद या कर्मकारों के अन्य सभी व्यवसाय संघों को, या जहां किसी औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम के कर्मकारों के किसी संघ या ऐसे प्रतिनिधि निकाय को;  
और

(ग) जहां अपील कर्मकारों के प्रतिनिधि निकाय द्वारा दाखिल की जाती है, वहां नियोजक और औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मकारों के अन्य व्यवसाय संघों, या जहां किसी औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम में कर्मकारों का कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां किसी अन्य कर्मकार को जो अपील में पक्षकार के रूप में शामिल होता है।

(3) अपीलकर्ता प्रत्येक प्रत्यर्थी को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट, अपील ज्ञापन की एक प्रति देगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी भी चरण में कोई साक्ष्य मांग सकेगा, यदि वह अपील के निपटान के लिए आवश्यक समझे।

(5) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए उप-नियम (2) के अधीन नियत तिथि पर, ऐसा साक्ष्य लेगा जिसे उसने मांगा हो या जिसे वह प्रस्तुत किए जाने पर सुसंगत समझे, और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील का निपटारा करेगा।

**आदेश भेजना और स्थायी आदेश का अनुरक्षण करना**

**36.**(1) अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अपील के निपटारे के तीन दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा नियोजक या व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद या कर्मकारों का कोई संघ या प्रतिनिधि निकाय, जैसा भी मामला हो, जिसके द्वारा अपील दाखिल की गई है, को भेजा जाएगा।

(2) इस अध्याय के अधीन अंतिम रूप से प्रमाणित या प्रमाणित समझे गए या अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों का पाठ नियोजक द्वारा हिन्दी या अंग्रेजी में तथा उस भाषा में अनुरक्षित किया जाएगा जिसे/जहाँ औद्योगिक अधिष्ठान स्थित है, वहाँ के अधिकांश कर्मकार समझते हैं।

(3) प्रमाणित स्थायी आदेश नियोजक द्वारा सुपाठ्य स्थिति में औद्योगिक अधिष्ठान के प्रवेश द्वार पर या उसके निकट इस प्रयोजन के लिए लगाए जाने वाले विशेष बोर्ड पर, जहां से अधिकांश कर्मकार प्रवेश करते हैं, प्रदर्शित किये जायेंगे तथा इसे ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान के अभिहित पोर्टल / वेबसाइट, यदि कोई हो, पर भी लगाया जा सकता है।

**स्थायी आदेशों की अंतिम रूप से प्रमाणित प्रति दाखिल करने के लिए रजिस्टर**

**37.**(1) प्रमाणनकर्ता अधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक अधिष्ठानों के अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित समझे गए या अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों का, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, प्रपत्र अठारह में एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगा। जिसमें निम्नलिखित का ब्यौरा होगा. -

(क) प्रत्येक स्थायी आदेश को समनुदांशत विंशष्ट संख्या;

(ख) औद्योगिक अधिष्ठान का नाम;

(ग) औद्योगिक अधिष्ठान की प्रकृति;

(घ) प्रत्येक अधिष्ठान या उपक्रम द्वारा प्रमाणन या समझे गये प्रमाणन की तिथि या मॉडल स्थायी आदेशों को अपनाने की तिथि,

(ङ) औद्योगिक अधिष्ठान के प्रचालन का क्षेत्र; और

(च) ऐसे अन्य विवरण जो स्थायी आदेशों को पुनः प्राप्त करने में और ऐसे सभी स्थायी आदेशों का एक डेटाबेस तैयार करने में सुसंगत और सहायक हो सकते हैं।

(2) प्रमाणनकर्ता अधिकारी उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित समझे गये स्थायी आदेशों की एक प्रति, उसके लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को, प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित समझे गये स्थायी आदेशों, यथास्थिति, को प्रति पृष्ठ दो रुपए के भुगतान पर उपलब्ध कराएगा।

(3) प्रमाणित स्थायी आदेश प्राप्त करने के लिए शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी किया जा सकता है।

स्थायी आदेशों के उपांतरण के लिए आवेदन

**38.** धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन किसी विद्यमान स्थायी आदेशों के उपांतरण के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें ऐसे स्थायी आदेशों के विवरण होंगे जिन्हें उपांतरित करने का प्रस्ताव है, साथ ही एक सारणीबद्ध विवरण भी होगा जिसमें प्रवृत्त स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंध का विवरण, और उनमें प्रस्तावित उपांतरण, उनके कारण और उनमें कार्यरत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के विवरण होंगे और ऐसे विवरण पर औद्योगिक अधिष्ठान या उपक्रम या कर्मकारों या व्यवसाय संघों या कर्मकारों के अन्य प्रतिनिधि निकाय द्वारा, जैसा भी मामला हो, के प्रधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसने उपांतरण के लिए ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया है।

### अध्याय-पाँच

#### परिवर्तन की नोटिस

प्रस्तावित परिवर्तन हेतु सूचना

**39.**(1) कोई भी नियोजक, जो इस संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में किसी कर्मकार पर लागू सेवा

शतों में कोई बदलाव करना चाहता है, तो ऐसे पारिवर्तन से प्रभावित होने वाले संभावित कर्मकारों को प्रपत्र-उन्नीस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या रसीद सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से, नोटिस भेजेगा तथा औद्योगिक अधिष्ठान के निर्दिष्ट पोर्टल, यदि कोई हो, पर भी ऐसी सूचना अपलोड करेगा। (2) उपनियम (1) में संदर्भित नोटिस नियोजक द्वारा औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा:

परन्तु यह कि जहां संबंधित औद्योगिक अधिष्ठान से संबंधित कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों या समझौता संघ या समझौता परिषद् हो, तो ऐसे नोटिस की एक प्रति उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तरीके से ऐसे व्यवसाय संघ के सचिव या ऐसे व्यवसाय संघों के प्रत्येक सचिव या समझौता संघ के सचिव या समझौता परिषद के घटक को, जैसा भी मामला हो दी जाएगी।

#### **अध्याय-छः**

#### **विवादों को स्वेच्छा से माध्यस्थता के लिये निर्दिष्ट करना**

**धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन माध्यस्थता करार और उसकी रीति का प्रपत्र**

**40.**(1) नियोजक और कर्मकार प्रपत्र- बीस यथा उपबंधित माध्यस्थता करार करके किसी औद्योगिक विवाद को माध्यस्थता को निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो सकते हैं।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट माध्यस्थता करार पर उक्त समझौते के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके साथ मध्यस्थता या मध्यस्थता की लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहमति होगी।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट माध्यस्थता करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे

(क) किसी नियोजक के मामले में, नियोजक द्वारा स्वयं किया जायेगा, या जब नियोजक कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय हो; तो अभिकर्ता, प्रबन्धक या ऐसे प्रयोजनों हेतु प्राधिकृत निगम के अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ख) कर्मकारों के मामले में, इस निमित्त प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा या ऐसे प्रयोजन के लिए आयोजित संबंधित कर्मकारों की बैठक में इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत कर्मकारों के पांच प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा, और

(ग) किसी वैयक्तिक कर्मकार के मामले में, ऐसे स्वयं

कर्मकार द्वारा या ऐसे राजस्वीकृत व्यवसाय संघ, जिसका उक्त कर्मकार सदस्य है के किसी अधिकारी द्वारा, या उसी प्रतिष्ठान में उसके द्वारा इस निमित्त विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य कर्मचारी द्वारा।

**स्पष्टीकरण-** इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "अधिकारी" शब्द का अर्थ है,-

(क) नियोजकों के संघ के मामले में, नियोजकों के ऐसे संघ का कोई अधिकारी जो ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत है; और

(ख) राजस्वीकृत व्यवसाय संघ के मामले में, ऐसे व्यवसाय संघ के निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी जो ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत है, अर्थात्-

(i) अध्यक्ष; या

(ii) उपाध्यक्ष; या

(iii) सचिव (महासचिव सहित); या

(iv) संयुक्त सचिव; या

(v) ऐसे व्यवसाय संघ का कोई अन्य अधिकारी जो ऐसे व्यवसाय संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत है।

**धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने की रीति**

**41.** जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम को निर्दिष्ट किया गया है और राज्य सरकार को यह विश्वास हो गया है कि निर्दिष्ट करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्षकार के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां वह इस निमित्त ऐसे नियोजकों और कर्मकारों, जो माध्यस्थम करार के पक्षकार न हों किन्तु उक्त विवाद से सम्बद्ध हो, की सूचना के लिए गजट में अधिसूचना प्रकाशित करेगी और वे ऐसे प्रयोजन के लिए नियुक्त मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकेंगे।

**धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन जहां कोई व्यवसाय संघ न हो, वहां कर्मकारों के प्रतिनिधियों को चुनने की रीति**

**42.** जहां कोई व्यवसाय संघ न हो, वहां धारा 42 की उपधारा (5) के खण्ड (ग) के अनुसरण में मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए कर्मकारों के प्रतिनिधि को संबंधित कर्मकारों के बहुमत द्वारा प्रपत्र-इक्कीस में पारित प्रस्ताव द्वारा चुना जाएगा, जो उन्हें मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करेगा। ऐसे कर्मकार उन प्रतिनिधियों के कार्यों से बंधे होंगे जिन्हें मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जैसा

भां मामला हो।

### अध्याय-सात

### औद्योगिक अधिकरण और औद्योगिक विवादों के समाधान के लिये तंत्र

धारा 44 की उपधारा (5) के अधीन औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति की रीति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र और सेवा की अन्य निबन्धन तथा शर्तें

43.(1) (क) औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक एवं प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा चयन समिति की संस्तुति पर की जाएगी।

(ख) औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवारत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, उच्चतर न्यायिक सेवाओं के सदस्यों तथा राज्य न्यायिक सेवाओं के सदस्यों में से की जाएगी, जो कम से कम तीन वर्ष तक जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रहे हों:

परन्तु यह कि किसी भी समय न्यायिक सदस्यों की कुल संख्या राज्य में अधिकरणों के न्यायिक एवं प्रशासनिक सदस्यों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ग) औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त सदस्यों में से की जाएगी, जिन्होंने इस सेवा में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो अथवा उत्तर प्रदेश राज्य श्रम सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त सदस्यों में से, जिन्हें न्यायिक/अर्द्ध-न्यायिक कार्य में कम से कम तीन वर्ष की अवधि का अनुभव हो तथा जो अपर/उप श्रमायुक्त रह चुके हों:

परन्तु यह कि, यदि भविष्य में राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक अधिकरणों की संख्या में वृद्धि करती है, तो रिक्तियां उपर्युक्त अनुपात में भरी जाएंगी:

परन्तु यह भी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों में से नियुक्त प्रशासनिक सदस्यों की कुल संख्या किसी भी समय राज्य में औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्यों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा प्रशासनिक सदस्यों की शेष रिक्तियां राज्य श्रम सेवा के सेवारत एवं सेवानिवृत्त समूह-क के अधिकारियों में से भरी जाएंगी।

(2) औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक एवं प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति के प्रयोजन हेतु, राज्य सरकार प्राप्त आवेदनों पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात उपयुक्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जिसमें समस्त व्यक्तियों की अर्हताओं, उनका पूर्व कार्य निष्पादन तथा औद्योगिक विवादों या न्यायिक/अर्द्ध-न्यायिक कार्यों के निस्तारण का अनुभव स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगे।

(3) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-

- (क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश- अध्यक्ष;
- (ख) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन- सदस्य;
- (ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन- सदस्य;
- (घ) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश- सदस्य;
- (ङ) विधि परामर्शी- सदस्य।

(4) चयन समिति अपनी संस्तुति करने की प्रक्रिया अवधारित करेगी और औद्योगिक अधिकरण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अर्हता, उपयुक्तता, पूर्व कार्य निष्पादन के अभिलेख सत्यनिष्ठा और साथ ही साथ न्याय निर्णायिक अनुभव पर विचार करने के पश्चात दो या तीन व्यक्तियों के पैनल की संस्तुति करेगी जैसा कि वह प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक समझे।

(5) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(6) अधिकरण के न्यायिक एवं प्रशासनिक सदस्यों के वेतन एवं भत्ते इस प्रकार होंगे-

- (क) सेवारत न्यायिक/सरकारी अधिकारी की नियुक्ति के मामलों में उसे अनुमन्य विद्यमान वेतन और भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें पूर्ववर्ती सेवा की भांति होंगे;
- (ख) सरकारी सेवा से अधिवर्षिता के पश्चात् इन नियमों के अधीन किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति, सिविल सेवा नियमावली की धारा 520 के अधीन पुनर्नियोजित माना जाएगा तथा वह पेंशन की कुल धनराशि को घटाकर अंतिम आहरित वेतन की दर से वेतन पाने का हकदार होगा।

(7) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति किरायामुक्त वास सुविधा या उस दर पर मकान किराया भत्ता के लिए हकदार होगा जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के समान वेतन वाले समूह-क के किसी अधिकारी को अनुमन्य हो।

(8) न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के पद पर नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति पेंशन में किसी भी अस्थायी या तदर्थ वृद्धि का हकदार नहीं होगा।

(9) यदि न्यायिक या प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त व्यक्ति नियुक्ति के दिनांक से एक महीने की अवधि के

भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो राज्य सरकार उसकी नियुक्ति रद्द कर सकती है और उसके बाद रिक्त पद को प्रतीक्षा सूची के व्यक्ति से भरा जाएगा।

(10) (क) यदि राज्य सरकार को कोई लिखित और सत्यापन योग्य शिकायत प्राप्त होती है, जिसमें न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य के रूप में दुर्व्यवहार या कार्यों को करने में असमर्थता का कोई निश्चित आरोप लगाया जाता है, तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगी।

(ख) यदि प्रारंभिक जांच के आधार पर राज्य सरकार की राय है कि न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य के किसी दुर्व्यवहार या अक्षमता की सच्चाई की जांच करने के लिए उचित आधार हैं, तो वह एक जांच गठित करेगी, जिसका नेतृत्व चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति करेगा:

परन्तु यह कि न्यायिक सदस्य के खिलाफ जांच के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा।

(ग) जांच अधिकारी छह महीने या चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किए गए अतिरिक्त समय के भीतर जांच पूरी करेगा।

(घ) जांच के समाप्ति के बाद, जांच अधिकारी राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें प्रत्येक आरोप पर अलग-अलग अपने निष्कर्ष और कारण बताए जाएंगे, साथ ही पूरे मामले पर ऐसी टिप्पणियां भी होंगी, जो वह उचित समझे।

(ङ) चयन समिति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) द्वारा अवधारित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगी, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी और अपनी जांच की तिथि, स्थान और समय तय करने सहित अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।

(11) राज्य सरकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक अधिकरण से किसी भी न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य को हटा सकती है।

(12) न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति किसी भी समय राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में इस आशय की नोटिस देकर अपना पद त्याग कर सकता है।

(13) राज्य सरकार, चयन समिति की संस्तुति पर, किसी भी न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य को पद से हटा सकती है, जो-

(क) दिवालिया/न्याय निर्णीत किया गया हो; या

(ख) ऐसे अपराध का सिद्धदोषी हो जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो; या

(ग) ऐसे न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या  
 (घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है, जिससे न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या  
 (ङ) अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए प्रतिकूल है:

परन्तु यह कि जहां किसी न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य को खंड (ख) से (ङ) में निर्दिष्ट किसी आधार पर हटाने का प्रस्ताव है, तो उसे उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा:

परन्तु यह भी कि न्यायिक सदस्य को हटाने के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा।

(14) सेवाओं के निबंधनों और शर्तों से संबंधित मामले, जिनके संबंध में इस नियमावली में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा चयन समिति के अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात किया जाएगा।

(15) सेवानिवृत्त न्यायिक/सरकारी अधिकारी के मामले में, कार्यभार के अंत में गृह नगर से मुख्यालय और विपर्यय रूप में औद्योगिक अधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अंतरण यात्रा भत्ता भी समान वेतन वाले समूह ए पद पर आसीन राज्य सरकार के अधिकारी की पात्रता के रूप में स्वीकार्य होगा।

(16) राज्य सरकार को औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तों के संबंध में इस नियमावली में से किसी भी उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी।

(17) न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, अपने पद ग्रहण करने से पहले प्रपत्र-बाइस में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(18) सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर इस नियमावली के तहत पद पर नियुक्त व्यक्ति वित्तीय पुस्तिका खंड-2 भाग-2 से 4 के सहायक नियम 197ए के तहत एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी को स्वीकार्य सभी प्रकार की छुट्टी का हकदार होगा।

**धारा 44 की उपधारा (9) के अधीन रिक्ति को भरने**

44.(1) यदि किसी कारणवश औद्योगिक अधिकरण में कोई रिक्ति होती है तो उसे इस नियम 43 के उपनियम (4) में विहित तरीके

## की रीति

से भरा जाएगा।

(2) राज्य सरकार यदि आवश्यक समझे तो किसी औद्योगिक अधिकरण में नियुक्त न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य को किसी अन्य औद्योगिक अधिकरण में अंतरण कर सकती है तथा किसी औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य का अतिरिक्त प्रभार किसी अन्य औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक/प्रशासनिक सदस्य को दे सकती है।

**धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन सुलह कार्यवाहियां आयोजित करने, उपधारा (4) के अधीन पूर्ण रिपोर्ट की रीति**

45. (1) जहां सुलह अधिकारी को प्राप्त कोई-

(क) नियम 48 या नियम 49 के अधीन हड़ताल या तालाबंदी की सूचना प्राप्त होती है; या

(ख) विद्यमान औद्योगिक विवाद के संबंध में आवेदन; या

(ग) आशंकित औद्योगिक विवाद के संबंध में सूचना, तो वह-

**(एक)** खंड (क) के मामले में, नाम निर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा और सुलह कार्यवाही करेगा तथा संबंधित पक्षों को ऐसे प्रयोजन के लिए बैठक की तिथि सूचित करेगा;

**(दो)** खंड (ख) के मामले में, नाम निर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा तथा आवेदन की जांच करेगा और यदि वह पाता है कि ऐसा विवाद राज्य सरकार के अधिकारिता से संबंधित है, तो आवेदन को संबंधित प्राधिकारी को अंतरित करेगा या अन्यथा आवेदन के साथ आगे बढ़ेगा और उसके संबंध में सुलह करेगा; और

**(तीन)** खंड (ग) के मामले में, नाम निर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा तथा संबंधित पक्षों को सुलह कार्यवाही शुरू करने के अपने आशय की घोषणा करते हुए एक नया नोटिस जारी करेगा।

(2) नियोजकों के प्रतिनिधि और कर्मकारों के प्रतिनिधि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस प्राप्त होने पर, सुलह कार्यवाही की पहली बैठक में उक्त विवाद के संबंध में अपने-अपने बयान प्रस्तुत करेंगे।

(3) सुलह अधिकारी बिना किसी देरी के विवाद से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाएगा और उसके गुण-दोष

और सही समाधान को प्रभावित करने वाले सभी मामलों को जांच करेगा, विवाद के पक्षकारों के बीच सुलह कार्यवाही करेगा और विवाद के निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पक्षों को प्रेरित करने के उद्देश्य से वह सभी चीजें कर सकता है जो वह उचित समझे।

(4) यदि उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सुलह कार्यवाही में कोई समझौता नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी, सुलह कार्यवाही समाप्त होने के दिनांक से सात दिनों के भीतर, निर्दिष्ट पोर्टल पर एक रिपोर्ट अपलोड करेगा और इसकी एक प्रति इलेक्ट्रॉनिक मोड या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से विवाद के पक्षों और उपयुक्त सरकार को भेजेगा। रिपोर्ट को संबंधित पक्षों को उक्त नाम निर्दिष्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) यदि सुलह कार्यवाही के दौरान विवाद या विवादित मामलों में से किसी का निपटारा हो जाता है, तो सुलह अधिकारी विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौतों के ज्ञापन के साथ समुचित सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अलावा ऐसी रिपोर्ट और समझौता ज्ञापन को नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड भी करेगा।

(6) उपनियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, विवाद में शामिल नियोजक, कर्मचारी या व्यापार संघ, जैसा भी मामला हो, के निवेदन शामिल होंगे और इसमें पक्षों को सौहार्दपूर्ण समझौते पर लाने के लिए सुलह अधिकारी द्वारा किए गए प्रयास, विवाद को हल करने से पक्षों द्वारा इनकार करने के कारण और सुलह अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी शामिल होंगे।

(7) दस्तावेजी साक्ष्य को छोड़कर, सुलह अधिकारी के समक्ष सभी साक्ष्य शपथ पत्र के रूप में दाखिल किए जाएंगे और विवाद के पक्षकार भी आवेदन या, जैसा भी मामला हो, शपथ-पत्र के रूप में उसका उत्तर या प्रत्युत्तर दायर करेंगे।

औद्योगिक अधिकरण को आवेदन तथा औद्योगिक अधिकरण द्वारा धारा 53 की उपधारा (6) के अधीन आवेदन का विनिश्चय किये जाने की रीति।

**46.** (1) यदि किसी विवाद का समझौता सुलह कार्यवाहियों के दौरान नहीं होता है तो कोई भी पक्षकार प्रपत्र में अधिकरण के समक्ष हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अथवा राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियम 45 के उपनियम (4) के अधीन रिपोर्ट के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर यथा अपेक्षित रीति से आवेदन कर सकता है।

(2) अधिकरण को किये गये आवेदन में ऐसा विवरण संलग्न होगा जिसमें विवाद के सम्पूर्ण ब्यौरे, दस्तावेज तथा उनकी

सूची और विरोधी पक्षकारों के नाम, पते, सम्पर्क सख्यायें और ई-मेल (यदि सम्भव हो) अंतर्विष्ट होंगे।

(3) आवेदक विरोधी पक्षकारों के पता सहित रजिस्ट्रीकृत लिफाफे में आवेदन की ऐसी प्रतियां दाखिल करेगा, जो विरोधी पक्षों की संख्या के बराबर हो।

(4) अधिकरण, यदि प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है कि विवाद का कारण विधिक है, तो वह विवाद का संज्ञान ले सकता है और विरोधी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए तिथि निर्धारित कर सकता है, जो यथासंभव आवेदन प्रस्तुत करने से एक माह के भीतर होगी, साथ में आवेदन और विवाद उठाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विवरण भी संलग्न करना होगा।

(5) यदि विपक्षी पक्षकार व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों का परिसंघ हो तो व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के सचिव या महासचिव को नोटिस जारी की जायेगी और ऐसे सचिव या महासचिव को दी गई सेवा को क्रमशः संघ या परिसंघ या महासंघ को दी गई सेवा माना जाएगा।

(6) यदि अधिकरण पाता है कि आवेदन नियमानुसार नहीं है, आवेदन अधूरा है या आवेदन के साथ कथन/दस्तावेज/पता लिखा लिफाफा संलग्न नहीं है, तो वह विवाद उठाने वाले व्यक्ति को नियमों के अनुसार उसे प्रस्तुत करने का निदेश दे सकता है।

(7) जहां अधिकरण यह पाता है कि उसके निदेशों के बावजूद विवाद उठाने वाले पक्षकार ने दावे के कथन या किसी अन्य दस्तावेज की प्रति विपक्षी पक्ष या पक्षों को नहीं भेजी है, तो वह संबंधित पक्षकार को कथन की प्रति विपक्षी पक्ष या पक्षों को प्रस्तुत करने का निदेश देगा और कथन दाखिल करने के लिए 15 दिन का विस्तार देगा, यदि अधिकरण को समय के भीतर दावे के कथन और अन्य दस्तावेज दाखिल न करने का पर्याप्त कारण मिलता है।

(8) यदि विवाद उठाने वाला पक्ष शपथ-पत्र पर आवेदन दायर करता है तो विरोधी पक्ष को शपथ-पत्र पर लिखित बयान दायर करना होगा, और यदि विरोधी पक्ष लिखित बयान दायर नहीं करता है, तो अधिकरण आवेदन में दी गई सामग्री को सत्य मान सकता है।

(9) विरोधी पक्ष या पक्ष जहां तक संभव हो, पहली सुनवाई की तारीख से तीस दिनों के भीतर दस्तावेजों और दस्तावेजों की सूची, गवाहों की सूची के साथ एक लिखित बयान दायर करेंगे और अन्य पक्षों को प्रतियां प्रदान करेंगे।

(10) लिखित बयान प्रस्तुत करने के दो सप्ताह के भीतर, अन्य पक्ष अपना प्रत्युत्तर दायर करेंगे और उनकी प्रतियां अन्य पक्षों

को भेजेगे।

(11) अधिकरण लिखित बयानों और दायर दस्तावेजों के आधार पर विवाद में निर्णय के लिए मुद्दे तैयार करेगा।

(12) साक्ष्य अधिकरण में दर्ज किए जाएंगे या शपथ-पत्र पर दायर किए जा सकते हैं और विरोधी पक्ष को शपथ-पत्र दायर करने वाले प्रत्येक अभिसाक्षी या गवाहों से जिरह करने का अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो। जहां प्रत्येक गवाह की मौखिक परीक्षा आगे बढ़ती है, अधिकरण, जो बयान किया जा रहा है उसके सार का एक ज्ञापन तैयार करेगा। मौखिक साक्ष्य दर्ज करते समय अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या-5 सन् 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेश अड्डाइस के नियम 5 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(13) सभी पक्ष अधिकरण की पूर्व अनुज्ञा से अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।

(14) साक्ष्य पूर्ण कर लिये जाने पर तत्काल सुनवाई की जा सकती है, या ऐसा कोई दिनांक तर्कों के लिए नियत किया जा सकता है, जो साक्ष्य पूर्ण होने से पंद्रह दिनों की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(15) अधिकरण समान्यतः एक समय में एक सप्ताह से अधिक अवधि के लिए स्थगन स्वीकृत नहीं करेगा किन्तु किसी भी स्थिति में विवाद हेतु पक्षकारों के अनुरोध पर कुल तीन स्थगन से अधिक स्थगन स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।

परन्तु यह कि लिखित रूप से अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अधिकरण एक समय में एक सप्ताह से अधिक समय के लिये एक स्थगन किन्तु किसी भी स्थिति में विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के अनुरोध पर तीन से अधिक स्थगन स्वीकृत नहीं कर सकता है।

(16) यदि कोई पक्षकार किसी भी प्रक्रम में उपस्थित होने में व्यतिक्रम करता है या उसमें विफल रहता है, तो अधिकरण उक्त मामले में एकपक्षीय कार्यवाही कर सकता है, और व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार की अनुपस्थिति में आवेदन पर विनिश्चय कर सकता है,

परन्तु यह कि अधिकरण किसी भी पक्षकार के आवेदन पर, अधिनिर्णय प्रस्तुत करने से पूर्व एकपक्षीय कार्यवाही करने के लिये आदेश को प्रतिसंहत कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पक्षकार की अनुपस्थिति होने का आधार न्याय संगत था तो वह यथा प्रतिवादकृत मामलों में विनिश्चय करने के लिये अग्रतर कार्यवाही करेगा।

(17) अधिकरण अपने अधिनिर्णय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या

अन्यथा संबंधित पक्षों और राज्य सरकार या इस संबंध में अधिसूचित अधिकारी को अधिनिर्णय की घोषणा की तारीख से एक महीने के भीतर संसूचित करेगा।

(18) अधिकरण ऐसे किसी व्यक्ति को समन कर सकता है और उसका परिक्षण कर सकता है, जिसका साक्ष्य उसे उक्त मामले का विनिश्चय करने के लिए सारभूत प्रतीत हो और उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 384, 385 और 387 के अर्थान्तगत सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(19) अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षों के प्रतिनिधियों को जांच, जिरह और साक्ष्य बुलाए जाने पर अधिकरण को संबोधित करने का अधिकार होगा।

(20) अधिकरण के समक्ष कार्यवाही खुली अदालत में आयोजित की जाएगी। परन्तु यह कि अधिकरण अपने समक्ष किसी भी कार्यवाही को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का निदेश दे सकता है।

परन्तु अग्रतर यह कि अधिकरण किसी भी स्तर पर निदेश दे सकता है कि किसी भी गवाह की जांच की जाएगी, या इसकी कार्यवाही बंद कमरे में आयोजित की जाएगी।

(21) जहां अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के संबंध में धारा 49 की उप-धारा (5) के अधिकरण को परामर्श देने के लिये निर्धारक/आयुक्त नियुक्त किये जायें, वहाँ अधिकरण ऐसे निर्धारकों का परामर्श प्राप्त करेगा, किन्तु ऐसा परामर्श ऐसे अधिकरणों पर बाध्यकारी नहीं होगा।

(22) किसी अधिनिर्णय का कोई पक्षकार जो अधिनिर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रति प्राप्त करना चाहें, अधिकरण में हस्तकृत रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से न्यायालय स्टाम्प शुल्क के माध्यम से शुल्क निम्नलिखित रीति से जमा करने के पश्चात अधिनिर्णय या अन्य दस्तावेज की प्रति प्राप्त कर सकता है

अर्थात:-

(क) अधिकरण के किसी अधिनिर्णय या उसकी किसी कार्यवाहियों में दाखिल दस्तावेज या न्यायनिर्णयन के दौरान अधिकरण द्वारा दर्ज की गई किसी कार्यवाही की प्रति प्राप्त करने के लिए शुल्क, प्रति पृष्ठ दो रुपए की दर से प्रभारित किया जायेगा;

(ख) ऐसे किसी अधिनिर्णय आदेश या दस्तावेज की एक प्रति प्रमाणित करने के लिए दो रुपए प्रति पृष्ठ की दर से अतिरिक्त शुल्क देय होगा;

(ग) जहां कोई पक्षकार ऐसे किसी अधिनिर्णय या दस्तावेज की प्रति की तत्काल परिदान के लिए आवेदन करता है, वहां इस नियम के तहत लगाए जाने वाले शुल्क के आधे के बराबर अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

(23) कोई भी व्यक्ति जो विवाद का पक्षकार न हो, इस नियम के उप-नियम (22) में यथा विहित शुल्क का संदाय करने के पश्चात अधिनिर्णय या दस्तावेज की प्रतियां प्राप्त कर सकता है।

**धारा 59 के अधीन नियोजक से देय धनराशि की वसूली हेतु आवेदन**

**47.**(1) जहां किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मकार या कर्मकारों के समूह को किसी समझौते या अधिनिर्णय के अधीन या संहिता के अध्याय नौ या अध्याय दस के उपबंधों के अधीन कोई धनराशि बकाया है, तो कर्मकार या कर्मकारों का समूह, जैसा भी मामला हो, ऐसे देय धन की वसूली के लिए **प्रपत्र-चौबीस** में आवेदन कर सकता है

परन्तु यह कि कर्मकार द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के मामले में, या कर्मकार की मृत्यु के मामले में, मृतक कर्मकार का समनुदेशिती या उत्तराधिकारी **प्रपत्र-पच्चीस** में आवेदन करेगा।

(2) जहां कोई कर्मकार या कर्मकारों का समूह नियोजक से कोई धन या कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार है, जिसकी गणना धन के रूप में की जा सकती है, वहां कर्मकार या कर्मकारों का समूह, जैसा भी मामला हो, देय राशि या, जैसा भी मामला हो, वह राशि जिस पर ऐसे लाभ की गणना की जानी चाहिए, के अवधारण के लिए अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को **प्रपत्र-छब्बीस** में आवेदन कर सकता है, और ऐसा अधिकरण आवेदन दाखिल किए जाने की तारीख से तीन महीने से अधिक की अवधि के भीतर आवेदन पर निर्णय करेगा;

परन्तु यह कि इस उप-नियम में निर्दिष्ट कर्मकार की मृत्यु के मामले में, आवेदन मृतक कर्मकार के समनुदेशिती या उत्तराधिकारी द्वारा **प्रपत्र-सत्ताईस** में किया जाएगा।

### अध्याय-आठ

#### हड़ताल और तालाबंदी

व्यक्तियों की संख्या जिनके द्वारा हड़ताल की सूचना दी जाएगी, वह व्यक्ति या व्यक्तिगण जिन्हें ऐसी

**48.**(1) धारा 62 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल की नोटिस औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक को **प्रपत्र-अठ्ठाईस** में दी जाएगी, जिस पर सचिव और समझौताकारी संघ के पांच निर्वाचित प्रतिनिधि या सचिव और ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान से

नोटिस दी जाएगी और धारा 62 की उपधारा (4) के अधीन ऐसी नोटिस दिये जाने की रीति

संबंधित समझौताकारों पारषद में व्यवसाय संघ के पांच निर्वाचित प्रतिनिधि विधिवत् हस्ताक्षर करेंगे तथा उसकी प्रतिलिपि संबंधित सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा पृष्ठांकित करेंगे।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति की तारीख नियम 45 के उपनियम (1) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए नोटिस प्राप्त करने की तारीख होगी।

(3) यदि किसी औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक को उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से धारा 62 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हड़ताल की कोई नोटिस प्राप्त होती है, तो वह ऐसी नोटिस प्राप्त होने की तारीख से पांच दिन के भीतर संबंधित सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी सूचना देगा।

धारा 62 की उपधारा (5) के अधीन तालाबंदी की नोटिस और उपधारा (6) के अधीन प्राधिकार दिये जाने की रीति।

49. (1) धारा 62 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट तालाबंदी की सूचना औद्योगिक अधिष्ठान के नियोजक द्वारा प्रपत्र-उन्तीस में ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान से संबंधित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सचिव को रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी, तथा उसकी एक प्रति संबंधित सुलह अधिकारी, श्रम आयुक्त और राज्य सरकार को पृष्ठांकित की जाएगी।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना नियोजक द्वारा औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी और उक्त सूचना की एक प्रति ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान के नामनिर्दिष्ट पोर्टल, यदि कोई हो, पर भी पोस्ट की जा सकेगी और सुलह अधिकारी द्वारा ऐसी नोटिस की प्राप्ति की तारीख नियम 45 के उपनियम (1) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए सूचना प्राप्त करने की तारीख होगी।

(3) यदि नियोजक अपने द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी की नोटिस देता है, तो वह ऐसी नोटिस की तारीख से पांच दिन के भीतर संबंधित सुलह अधिकारी और श्रम आयुक्त को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी सूचना देगा।

### अध्याय-नौ

#### कामबंदी, छंटनी और बन्दी

धारा 70 के खंड (ग) के अधीन कर्मकार की छंटनी

50. यदि कोई नियोजक अपने औद्योगिक अधिष्ठान में नियोजित किसी कर्मकार, जो अन्यून एक वर्ष तक उसके अधीन

से पूरे नोटिस तामील किये जाने की रीति

निरंतर सेवा में रहा हो, को छंटनी करना चाहता हो तो ऐसे नियोजक को ऐसी छंटनी के सम्बन्ध में नोटिस प्रपत्र-तीस में राज्य सरकार को तथा संबंधित क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त को ई-मेल के माध्यम से अथवा पंजीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा निम्नलिखित तरीके से देगा, अर्थात्-

(क) जहां किसी कर्मकार को नोटिस दिया जाता है, वहां छंटनी की सूचना उस तारीख से तीन दिन के भीतर भेजी जाएगी, जिस दिन श्रमिक को नोटिस दिया गया था;

(ख) जहां कर्मकार को कोई नोटिस नहीं दिया गया है तथा उसे इसके बदले में एक माह का वेतन दिया गया है, वहां छंटनी की सूचना उस तारीख से तीन दिन के भीतर भेजी जाएगी, जिस दिन ऐसा वेतन दिया गया था; और

(ग) जहां छंटनी किसी ऐसे समझौते के तहत की जाती है, जिसमें सेवा समाप्ति की तारीख विनिर्दिष्ट की जाती है, वहां छंटनी की सूचना राज्य सरकार को भेजी जाएगी और उसकी एक प्रति ऐसी तारीख से कम से कम एक माह पहले क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को भेजी जाएगी:

परन्तु यह कि यदि सेवा समाप्ति की सहमत तारीख समझौते के तीस दिनों के भीतर है, तो छंटनी की सूचना राज्य सरकार को उसकी एक प्रति के साथ समझौते के तीन दिनों के भीतर संबंधित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को भेजी जाएगी।

धारा 72 के अधीन छंटनीशुदा कर्मकारों को पुनर्नियोजन का अवसर प्रदान किये जाने की रीति

51.(1) नियोजक उस विशेष श्रेणी के सभी कर्मकारों की सूची तैयार करेगा, जिसमें से छंटनी की जानी है, तथा उस श्रेणी में उनकी सेवा की वरिष्ठता के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करेगा तथा छंटनी की वास्तविक तिथि से कम से कम सात दिन पूर्व औद्योगिक अधिष्ठान के परिसर में एक सुस्पष्ट स्थान पर नोटिस बोर्ड पर उसकी एक प्रति चिपकाएगा।

(2) जब किसी औद्योगिक अधिष्ठान में कोई रिक्ति होती है तथा ऐसी रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव से एक वर्ष के भीतर ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मकारों की छंटनी की गई हो, तो ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान का नियोजक, यदि ऐसे कर्मकार भारत के नागरिक हैं तथा उन्होंने नियोजन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है, तो उनकी सेवा वरिष्ठता के आधार पर उन्हें अन्य पर अधिमानी वरीयता देगा।

(3) नियोजक औद्योगिक अधिष्ठान के परिसर में एक प्रमुख

स्थान पर एक नोटिस बोर्ड पर रिक्तियों का विवरण प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा, जिस तिथि से ऐसी रिक्तियां भरी जानी हैं, कम से कम पंद्रह दिन पहले और उन रिक्तियों की सूचना रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या ई-मेल के माध्यम से उन सभी छंटनी किए गए कर्मकारों में से प्रत्येक को देगा, जो छंटनी के समय या उसके बाद किसी भी समय उनमें से प्रत्येक द्वारा दिए गए नवीनतम पते या ई-मेल पर विचार किए जाने के पात्र हैं:

परन्तु यह कि जब ऐसी रिक्तियों की संख्या छंटनी किए गए कर्मकारों की संख्या से कम हो, तो यह पर्याप्त होगा कि नियोजक द्वारा उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूची में सबसे वरिष्ठ छंटनी किए गए कर्मकारों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जाए और ऐसे वरिष्ठतम कर्मकारों की संख्या ऐसी रिक्तियों की संख्या से दोगुनी हो:

परन्तु अग्रतर यह भी कि जहां रिक्ति एक महीने से कम अवधि की है, वहां नियोजक पर ऐसी रिक्ति की सूचना व्यक्तिगत छंटनी किए गए कर्मकारों को भेजने का कोई दायित्व नहीं होगा:

परन्तु यह भी कि यदि कोई छंटनी किया गया कर्मचारी, नियोजक को लिखित रूप में पर्याप्त कारण बताए बिना, इस उप-नियम के तहत नियोजक द्वारा उसे भेजी गई नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख या तारीखों पर पुनः नियोजक के लिए खुद को पेश नहीं करता है, तो नियोजक उसे किसी भी बाद के अवसर पर भरी जा सकने वाली रिक्तियों के बारे में सूचित नहीं कर सकता है।

(4) उप-नियम (3) के उपबंधों का अनुपालन करने के तत्काल बाद, नियोजक समझौता संघ या समझौता परिषद के घटक या औद्योगिक अधिष्ठान से जुड़े व्यवसाय संघों को, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और छंटनी किए गए कर्मकारों के नाम, जिन्हें उस उप-नियम के तहत सूचना भेजी गई है, की भी सूचना देगा:

परन्तु यह कि इस उप-नियम के उपबंधों का नियोजक द्वारा किसी भी मामले में अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है, जहां उप-नियम (1) के तहत तैयार की गई सूची में उल्लिखित प्रत्येक कर्मकार को सूचना भेजी जाती है।

**धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन आशयित बंदी के लिए नियोजक द्वारा नोटिस तामील किये जाने की रीति**

**52.** (1) यदि कोई नियोजक किसी औद्योगिक अधिष्ठान को बंद करना चाहें तो उसे प्रपत्र-तीस में ऐसी बंदी की नोटिस राज्य सरकार को देनी होगी और उसकी एक प्रति श्रम आयुक्त और संबंधित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से प्रेषित करनी होगी।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना की एक प्रति औद्योगिक अधिष्ठानों में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों या कर्मकारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भी प्रेषित की जायेगी।

### अध्याय-दस

#### कतिपय अधिष्ठानों में कामबंदी, छंटनी एवं बंदी के संबंध में विशेष उपबंध

धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन नियोजक द्वारा राज्य सरकार को आशयित कामबंदी के लिए आवेदन किये जाने की रीति और ऐसे आवेदन पत्र की प्रति कर्मकारों को तामील किये जाने रीति

धारा 78 की उपधारा (7) के अधीन समीक्षा की समय-सीमा

धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन नियोजक द्वारा आशयित छंटनी के लिए राज्य सरकार को आवेदन करने की रीति तथा ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों

53.(1) धारा 78 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आशयित बंदी के कारणों को उल्लिखित करते हुए आवेदन नियोजक द्वारा प्रपत्र-इकतीस में किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन की एक प्रति राज्य सरकार तथा संबंधित कर्मकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या व्यक्तिगत रूप से, या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा एक साथ प्रेषित जाएगी।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आवेदन को नियोजक द्वारा औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भी सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

54.(1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 78 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने वाले अपने आदेश की समीक्षा कर सकेगी।

(2) नियोजक या संबंधित कोई कर्मकार, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आदेश के साथ, आदेश किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, आदेश की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा और वह सरकार, आवेदन किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उसका निपटारा करेगी।

(3) जहां राज्य सरकार, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आदेश की अपनी ओर से समीक्षा करने का निर्णय लेती है, वहां वह आदेश किए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकेगी।

55.(1) धारा 79 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन नियोजक द्वारा राज्य सरकार को प्रपत्र-इकतीस में किया जाएगा, जिसमें इच्छित छंटनी के कारणों को स्पष्ट रूप से हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से बताया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति श्रमिकों को हस्तकृत या इलेक्ट्रॉनिक रूप से और रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा भी भेजी जाएगी।

को तामील किये जाने की रीति

धारा 79 की उपधारा (6) के अधीन समीक्षा की समय-सीमा

धारा 80 की उपधारा (1) के अधीन नियोजक द्वारा किसी औद्योगिक अधिष्ठान की आशयित बंदी हेतु राज्य सरकार को आवेदन किये जाने की रीति और ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों के प्रतिनिधियों को तामील किये जाने की रीति

धारा 80 की उपधारा (5) के अधीन समीक्षा की समय-सीमा

(2) नियोजक द्वारा ऐसे आवेदन को औद्योगिक अधिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक नोटिस बोर्ड पर भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

56. (1) राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, धारा 79 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा स्वीकृत करते हुए या उसे अस्वीकृत करते हुए आदेश की समीक्षा कर सकेगी।

(2) नियोक्ता या संबंधित कोई कर्मकार, उपनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, ऐसे आदेश के किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर उस आदेश की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा और वह सरकार ऐसे आवेदन किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात आवेदन का निपटारा करेगी।

(3) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की समीक्षा करने का निर्णय लेती है, वहां वह अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, ऐसे आदेश के किए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसे निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकेगी।

57. ऐसे किसी नियोजक जो औद्योगिक अधिष्ठान बंद करना चाहता हो जिसके लिए संहिता का अध्याय-दस लागू होता है, को आशयित बंदी के प्रभावी होने के दिनांक से कम से कम नब्बे दिन पूर्व, राज्य सरकार को पूर्व अनुज्ञा हेतु औद्योगिक अधिष्ठान के आशयित बंदी के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, हस्तकृत रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र-इकतीस में आवेदन करना होगा और साथ ही साथ ऐसे आवेदन की एक प्रति औद्योगिक अधिष्ठान में प्रचलित रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को भी हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से प्रेषित की जायेगी।

58. (1) राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा आवेदन किये जाने पर, धारा 80 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा स्वीकृत करते हुए या उसे अस्वीकृत करते हुए अपने आदेश की समीक्षा कर सकेगी।

(2) नियोजक या संबंधित कोई कर्मकार उपनियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, ऐसे आदेश के किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस आदेश की समीक्षा के लिए राज्य सरकार को आवेदन कर सकेगा और वह सरकार, ऐसे आवेदन किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात उस आवेदन का निपटारा करेगी।

(3) जहां राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की अपनी ओर से समीक्षा करने का निर्णय लेती है, वहां वह आदेश किए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसे निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकेगी।

### अध्याय-ग्यारह

#### कर्मकार पुनः कौशलकरण निधि

**83** की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन कर्मकार पुनः कौशलकरण निधि का गठन और उसके संसाधन

**59.** (1) धारा 83 की उपधारा (1) के अधीन गठित पुनः कौशलकरण निधि तथा संहिता की धारा 83 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अंशदान के साथ मिलकर बनेगी-

(क) केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी व्यक्ति या प्राधिकरण या उपक्रम से प्राप्त अंशदान;

(ख) राज्य सरकार या किसी व्यक्ति या प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या उपक्रम या किसी विधि द्वारा गठित और राज्य सरकार के नियंत्रण में प्रचालनरत किसी अन्य निकाय से प्राप्त अंशदान;

(ग) उप-नियम (3) के अनुसार इस संहिता के अधीन किसी कर्मकार या कर्मकारों की छंटनी करने वाले नियोजक से प्राप्त अंशदान।

(2) प्रत्येक नियोजक जिसने इस संहिता के अधीन किसी कर्मकार या कर्मकारों की छंटनी की है, छंटनी के समय दस दिन के अन्दर ऐसे छंटनी किये गये कर्मकार या कर्मकारों के अन्तिम आहरित वेतन के पन्द्रह दिन के बराबर धनराशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे बोर्ड की निधि में अन्तरित करेगा।

**धारा 83** की उपधारा (3) के अधीन उत्तर प्रदेश कर्मकार पुनः कौशलकरण निधि के उपयोग किये जाने की रीति

**60.** (1) निधि का नाम एवं अन्य विवरण विभागीय वेबसाइट तथा श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) इस निधि का प्रशासन एवं संचालन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विधिवत् नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) नियम 59 के उप-नियम (2) के अधीन इस प्रकार प्राप्त निधि

को राज्य सरकार या श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश या इस निमित्त उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा नियोजक से निधि प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर प्रत्येक कर्मकार या कर्मकार के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतरित किया जाएगा, ताकि वह कर्मकार उस धनराशि का उपयोग अपने पुनः कौशलकरण विकास के लिए कर सके।

(4) नियोजक प्रत्येक छंटनी किए गए कर्मकार का नाम, प्रत्येक कर्मकार के संबंध में अंतिम आहरित पन्द्रह दिन के वेतन के समतुल्य धनराशि तथा उनके बैंक खाते का विवरण सहित सूची भी प्रस्तुत करेगा, ताकि राज्य सरकार उनके संबंधित खातों में धनराशि अंतरित कर सके।

(5) राज्य सरकार पुनः कौशलकरण निधि के पर्यवेक्षण के लिये नया पोर्टल विकसित कर सकती है।

### अध्याय-बारह

#### अपराध और शास्तियां

राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराध के प्रशमन की रीति और किसी अपराध के प्रशमन के लिए आवेदन करने की रीति- धारा 89 की उपधारा (1) और (4) के अधीन

61. (1) धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के प्रशमन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी (जिसे आगे प्रशमन अधिकारी कहा जाएगा) की यह राय है कि संहिता के अधीन कोई अपराध जिसके लिए उक्त धारा के अधीन शमनीय है और जिसके संबंध में अभियोजन संस्थित नहीं है, अभियुक्त को नामनिर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से तीन भागों वाले प्रपत्र-बत्तीस में नोटिस भेजेगा।

(2) प्रपत्र- बत्तीस के भाग एक में प्रशमन अधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्दिष्ट करेगा-

(क) अपराधी का नाम और उसके अन्य विवरण;

(ख) अपराध का विवरण और वह धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है; और

(ग) ऐसे अपराध के प्रशमन के लिए भुगतान की जाने वाली प्रशमन राशि।

(3) प्रपत्र-बत्तीस के भाग दो में, प्रशमन अधिकारी अपराध का प्रशमन न किए जाने पर परिणामों को निर्दिष्ट करेगा, तथा उक्त प्रपत्र के भाग तीन में अभियुक्त द्वारा दायर किया जाने वाला आवेदन होगा, यदि वह अपराध का प्रशमन करना चाहता है।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक नोटिस में एक सतत विशिष्ट संख्या होगी, जिसमें अक्षर या अंक होंगे तथा अन्य विवरण जैसे कि संबंधित प्रशमन अधिकारी, औद्योगिक अधिष्ठान, वर्ष, स्थान

तथा निरोक्षण का प्रकार आसान पहचान के उद्देश्य से होगा।

(5) अभियुक्त, जिसे उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस दिया गया है, वह प्रपत्र-बत्तीस के भाग तीन में विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रशमन अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज सकता है तथा प्रशमन राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या नकद, या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, नोटिस में प्रशमन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में जमा कर सकता है।

(6) जहां अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में अभियोजन पहले ही संस्थित किया जा चुका है, अभियुक्त ऐसे न्यायालय में अपने विरुद्ध अपराध का प्रशमन करने के लिए आवेदन कर सकता है और वह न्यायालय आवेदन पर विचार करने के पश्चात धारा 89 के उपबंधों तथा इस नियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रशमन अधिकारी द्वारा अपराध का प्रशमन करने की अनुमति दे सकता है।

(7) यदि अभियुक्त उपनियम (5) की अपेक्षा का अनुपालन करता है, तो प्रशमन अधिकारी अभियुक्त द्वारा जमा की गई धनराशि के लिए अपराध का प्रशमन करेगा और-

(क) यदि अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व अपराध का प्रशमन किया जाता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन के लिए कोई परिवाद संस्थित नहीं किया जाएगा;

(ख) यदि अपराध का प्रशमन धारा 85 के अधीन कार्यवाही लंबित रहने तक किया जाता है, तो प्रशमन अधिकारी उस धारा में निर्दिष्ट अधिकारी को प्रशमन की सूचना देगा, जो सूचना दिए जाने के पश्चात ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही बंद कर देगा; और

(ग) यदि उपनियम (6) के अधीन अभियोजन संस्थित करने के पश्चात न्यायालय की अनुमति से अपराध का प्रशमन किया जाता है, तो प्रशमन अधिकारी मामले को बंद मानेगा तथा अपराध के प्रशमन की सूचना उस सक्षम न्यायालय को देगा, जिसके द्वारा ऐसा प्रशमन अनुज्ञात किया गया था तथा ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात न्यायालय अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा तथा अभियोजन को बंद कर देगा।

(8) प्रशमन अधिकारी राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए इस नियम के अधीन अपराध का प्रशमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

## अध्याय-तेरह

### प्रकीर्ण

#### धारा 90(4) के अधीन संरक्षित कर्मकार

62.(1) किसी औद्योगिक अधिष्ठान से जुड़ा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, जिस पर संहिता के उपबंध लागू होते हैं, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पहले नियोजक को ऐसे व्यवसाय संघ के ऐसे अधिकारियों के नाम और पते बताएगा जो उस अधिष्ठान में कार्यरत हैं और जिन्हें ऐसे व्यवसाय संघ की राय में संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ के किसी अधिकारी की पदवी में कोई परिवर्तन ऐसे व्यवसाय संघ द्वारा ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर नियोजक को सूचित किया जाएगा।

(3) नियोजक उप-नियम (1) के तहत व्यवसाय संघ से नाम और पते प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर और धारा 90 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के उपबंधों के अधीन, ऐसे श्रमिकों को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता देगा और ऐसे व्यवसाय संघ को, लिखित रूप में, ऐसे संचार की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता प्राप्त कर्मकारों की सूची बताएगा।

(4) जहां उप-नियम (1) के तहत नियोजक द्वारा प्राप्त नामों की कुल संख्या धारा 90 की उप-धारा (4) के तहत औद्योगिक अधिष्ठान के लिए स्वीकार्य संरक्षित कर्मकारों की अधिकतम संख्या से अधिक है, नियोजक केवल ऐसे अधिकतम संख्या के कर्मकारों को संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता देगा:

परन्तु यह कि जहां औद्योगिक अधिष्ठान में एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ हैं, नियोजक द्वारा अधिकतम संख्या को व्यवसाय संघ के बीच इस तरह वितरित किया जाएगा कि व्यक्तिगत व्यवसाय संघों में मान्यता प्राप्त संरक्षित कर्मकारों की संख्या व्यावहारिक रूप से व्यवसाय संघों की सदस्यता के आंकड़ों के समान अनुपात में होगी; और नियोजक उस मामले में प्रत्येक संबंधित व्यवसाय संघ के अध्यक्ष या सचिव को लिखित रूप से उसे आवंटित संरक्षित कर्मकारों की संख्या की सूचना देगा:

परन्तु अग्रतर यह भी कि जहां इस उप-नियम के तहत ऐसे व्यवसाय संघ को आवंटित संरक्षित कर्मकारों की संख्या संरक्षण चाहने वाले ऐसे व्यापार संघ के अधिकारियों की संख्या से कम है, तो वह व्यापार संघ संरक्षित कर्मकारों के रूप में

मान्यता दिए जाने वाले अधिकारियों का चयन करने का हकदार होगा; और ऐसा चयन उस व्यवसाय संघ द्वारा किया जाएगा तथा इस संबंध में नियोजक की लिखित सूचना प्राप्त होने के पांच दिन के भीतर नियोजक को सूचित किया जाएगा।

(5) जहां इस नियम के तहत संरक्षित कर्मकारों की मान्यता से संबंधित किसी भी मामले में नियोजक और किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, ऐसे विवाद को संबंधित अपर/उप श्रम आयुक्त को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

**धारा 91 के अधीन किसी क्षुब्ध कर्मकार द्वारा शिकायत किये जाने की रीति**

**63.** (1) संहिता की धारा 91 के अधीन प्रत्येक शिकायत हस्तकृत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से तथा रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रपत्र-तैतीस में की जाएगी तथा उसके साथ उतनी प्रतियां संलग्न की जाएंगी, जितनी शिकायत में उल्लिखित विपरीत पक्षों की हैं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक शिकायत को शिकायत करने वाले कर्मचारी द्वारा या कर्मचारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो मामले के तथ्यों से परिचित होने के लिए, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ या अधिकरण की संतुष्टि के लिए सिद्ध हो।

**धारा 94 की उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कर्मकार को प्राधिकृत किये जाने की रीति**

**64.** जहां कर्मकार किसी व्यवसाय संघ का सदस्य न हो, वहां उद्योग में नियोजित किसी अन्य कर्मकार से या द्वारा सम्बद्ध किसी व्यवसाय संघ जिसमें वह नियोजित हो, के कार्यकारी सदस्य या अन्य पदाधिकारी को संहिता के अधीन ऐसे विवाद, जिसमें कर्मकार एक पक्षकार हो, से सम्बन्धित किसी कार्यवाही में अपना प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रपत्र-चौतीस में प्राधिकृत किया जा सकता है।

**धारा 94 की उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कर्मकार को प्राधिकृत किये जाने की रीति**

**65.** जहां नियोजक किसी नियोजक संघ का सदस्य नहीं है, वहां वह प्रपत्र- चौतीस में किसी नियोजक संघ के किसी अधिकारी को, जो उस उद्योग से संबंधित है या किसी अन्य नियोजक द्वारा, जिसमें नियोजक लगा हुआ है, संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में, जिसमें नियोजक एक पक्ष है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

**धारा 99 की उपधारा (2) के खंड (य य च) के अधीन महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के कार्यालय में कतिपय प्रपत्र की प्रति**

**66.** प्रपत्र-तैतीस (हड़ताल की नोटिस), प्रपत्र-उन्तीस (तालाबंदी की नोटिस), प्रपत्र- तीस (छंटनी या बंद करने की नोटिस के लिए राज्य सरकार को सूचना), प्रपत्र-इकतीस (छंटनी या बंद करने की अनुमति के लिए आवेदन) और प्रपत्र-बत्तीस (अपराधों का प्रशमन) की एक-एक प्रति स्वचालित मोड में

प्रस्तुत करना।

महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा की जाएगी।

संसूचना के लिए प्रकाशन

67. इस नियमावली के अधीन संदेशों और दस्तावेजों की तामील के लिए संसूचना के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार, अधिकरण, प्रत्येक नियोजक जिसके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है, प्रत्येक व्यवसाय संघ, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के घटक और इस नियमावली में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी, अपने-अपने लेटर हेड में, यथास्थिति, अपना ई-मेल आईडी या वेबसाइट या पोर्टल या उनमें से कोई या सभी को विनिर्दिष्ट करेंगे।

अभिलेखों, रजिस्ट्रों, प्रपत्रों, नोटिस और डिस्प्ले बोर्ड का अनुरक्षण

68. (1) सभी अभिलेख, रजिस्टर, प्रपत्र, नोटिस, डिस्प्ले बोर्ड और अन्य दस्तावेज जिन्हें संहिता और इस नियमावली के अधीन अनुरक्षित किया जाना आवश्यक है, उन्हें भी यथा अपेक्षित प्रारूप में या अपेक्षित जानकारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक रीति से अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख, रजिस्टर, प्रपत्र, नोटिस, डिस्प्ले बोर्ड और अन्य दस्तावेज अभिलेखों के प्रतिधारण की आवश्यकता का अनुपालन करेंगे और निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता या संहिता या इस नियमावली के अधीन निमित्त विनिर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित होने पर प्रस्तुत या दिखाए जाएंगे।

आयुक्त की नियुक्ति

69. जहां धारा 59 की उपधारा (3) के अधीन उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट लाभ के मुद्रा मूल्य की गणना करने के प्रयोजनार्थ आयुक्त की नियुक्ति करना आवश्यक है, वहां अधिकरण निम्नलिखित को नियुक्त कर सकता है -

(क) उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रश्न को समाविष्ट करने वाले विशिष्ट उद्योग, व्यवसाय, कारबार या क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति; या

(ख) ऐसा व्यक्ति जो किसी सिविल न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो; या

(ग) वैतनिक मजिस्ट्रेट; या

(घ) किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन गठित अधिकरण या संहिता के अधीन गठित अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का रजिस्ट्रार या सचिव।

आयुक्त आदि के लिए  
फीस

**70.** (1) अधिकरण, पक्षों से परामर्श के पश्चात नियम 69 में निर्दिष्ट आयुक्त द्वारा जांच की संभावित अवधि का अनुमान लगाएगा तथा उसके द्वारा उपगत फीस और अन्य आनुषंगिक व्यय की राशि निर्धारित करेगा।

(2) अधिकरण, आयुक्त को फीस और अन्य आनुषंगिक व्यय का भुगतान, विनिर्दिष्ट समय के भीतर, ऐसे पक्ष या पक्षों द्वारा और ऐसे अनुपात में, जैसा वह उचित समझे, निकटतम कोषागार में करने का निदेश देगा।

(3) आयुक्त तब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करेगा, जब तक कि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट राशि के कोषागार में जमा होने की रसीद अधिकरण के समक्ष दाखिल नहीं कर दी जाती है।

परन्तु यह कि अधिकरण, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, निदेश दे सकता है कि कोई अतिरिक्त राशि या राशियां ऐसे समय के भीतर और ऐसे पक्षों द्वारा कोषागार में जमा की जाएं, जैसा वह उचित समझे।

परन्तु यह और कि अधिकरण अपने विवेकानुसार, कोषागार में ऐसी राशि जमा करने के लिए समय बढ़ा सकता है।

(4) अधिकरण किसी भी समय, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, पक्षकारों के परामर्श से आयुक्त की फीस की राशि में परिवर्तन कर सकता है।

(5) अधिकरण निदेश दे सकता है कि फीस आयुक्त को ऐसी किस्तों में और ऐसे दिनांक को वितरित की जाएगी, जैसा वह उचित समझे।

(6) इस नियम के तहत जमा की गई राशि का वितरित न किया गया शेष, यदि कोई हो, संबंधित पक्ष या पक्षों को उसी अनुपात में प्रतिदाय किया जाएगा, जिस अनुपात में वह राशि जमा की गई थी।

रिपोर्ट प्रस्तुत करने का  
समय

**71** (1) धारा 59 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रत्येक आदेश में आयुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए एक तिथि दर्शाई जाएगी।

(2) यदि किसी कारण से आयुक्त को यह अनुमान हो कि उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पार हो जाने की संभावना है, तो वह उक्त तिथि की समाप्ति से पूर्व, इसके आधार बताते हुए समय विस्तार के लिए आवेदन करेगा और अधिकरण, विचार करने के पश्चात, ऐसे आवेदन पर उपयुक्त आदेश पारित करेगा:

परन्तु यह कि अधिकरण, यदि वह पर्याप्त कारण से उचित समझे, समय विस्तार प्रदान कर सकता है, भले ही उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञात समय सीमा के भीतर आयुक्त से ऐसे विस्तार के लिए कोई आवेदन प्राप्त न हुआ हो।

Digitally signed by  
SHANMUGA SUNDARAM  
Date: 10-03-2026  
17:01:06

आज्ञा से,  
(डॉ० एम०के० शन्मुगा सुन्दरम)  
प्रमुख सचिव।

**संख्या- 251 (1)/36-2-2026-14(जी)/2020, तददिनांक,**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना दिनांक 10-03-2026 को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4 (खण्ड-ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रतियाँ श्रम अनुभाग-02, 8वां तल, बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन एवं 150 प्रतियाँ श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर पेटी संख्या-220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
3. गार्ड फाइल।

Digitally signed by  
AVANINDRA KUMAR SHUKLA  
Date: 10-03-2026 17:37:03

आज्ञा से  
(अवनीन्द्र कुमार शुक्ल)  
संयुक्त सचिव

अनुसूची-1  
पदाधिकारियों की सूची

| क्रम संख्या | पद | नाम | उम्र | पता | पेशा |
|-------------|----|-----|------|-----|------|
| 1.          |    |     |      |     |      |
| 2.          |    |     |      |     |      |

नोट: अनुसूची में संघ की कार्यकारिणी के सभी सदस्यों (सभी मानद या अस्थायी सदस्यों सहित) के नाम दर्ज करें, जैसा कि कॉलम III में दर्शाया गया है, कार्यकारिणी के सदस्यों के रूप में उनके पदों के अलावा उनके द्वारा धारित किसी भी पद (जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष आदि) के नाम दर्ज करें।

अनुसूची-11  
नियमों का संदर्भ

विभिन्न मामलों के लिए प्रावधान करने वाले नियमों की संख्या नीचे कॉलम-1 में दी गई है:-

| मामला   | नियम संख्या |
|---|-------------|
| 1   | 2           |
| संघ का नाम  |             |
| जिन उद्देश्यों के लिए संघ की स्थापना की गई है   |             |
| वे उद्देश्य जिनके लिए संघ की सामान्य निधि लागू होगी                                       |             |
| वे उद्देश्य जिनके लिए संघ की नागरिक और राजनीतिक निधि (यदि कोई हो) लागू होगी               |             |
| सदस्यों की सूची का रखरखाव   |             |
| अधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा सदस्यों की सूची के निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी सुविधाएँ  |             |
| सामान्य सदस्यों का प्रवेश   |             |
| मानद या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश   |             |
| वे शर्तें जिनके तहत सदस्य नियमों द्वारा सुनिश्चित लाभों के हकदार हैं                      |             |
| वे स्थितियाँ जिनके अंतर्गत जुर्माना या ज़ब्ती लगाई या भिन्न की जा सकती है                 |             |
| वह तरीका जिससे नियमों में संशोधन, परिवर्तन या रद्द किया जाएगा                             |             |
| जिस प्रकार कार्यकारिणी के सदस्यों तथा संघ के अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति व हटायी जायेगी |             |
| निधि की सुरक्षित अभिरक्षा   |             |

|   |  |
|---|--|
| खातों का वार्षिक ऑडिट   |  |
| अधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा खाता बहियों के निरीक्षण की सुविधाएँ |  |
| जिस तरीके से संघ को भंग किया जा सकता है                           |  |

अनुसूची-III

(यदि पंजीकरण के लिए आवेदन की तारीख से एक वर्ष से कम समय पहले संघ अस्तित्व में आया हो तो इसे भरने की आवश्यकता नहीं है)

देनदारियों और परिसम्पत्ति का विवरण.....दिन.....माह.....वर्ष

| देयताएं                   | रू०   | सम्पत्ति                  | रू०   |
|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
| सामान्य निधि की राशि      | ..... | नकद                       | ..... |
| राजनीतिक निधि की राशि     | ..... | कोषाध्यक्ष के पास.....    |       |
| लिए गये ऋण                | ..... | सचिव के हाथों में.....    |       |
|                           |       | ..... बैंक में            |       |
|                           |       | ..... बैंक में            |       |
|                           |       | प्रतिभूतियों की सूची      | ..... |
|                           |       | अदत्त सदस्यता देय         | ..... |
|                           |       | ऋण                        | ..... |
| देय ऋण.....               |       |                           |       |
| अन्य देयताएं              |       | अचल सम्पत्ति              | ..... |
| (स्पष्ट उल्लेख किया जाये) |       |                           |       |
|                           |       | सामान व फर्नीचर           | ..... |
|                           |       | अन्य परिसम्पत्तियां       | ..... |
|                           |       | (स्पष्ट उल्लेख किया जाये) |       |

कुल देयताएं .....

कुल परिसम्पत्ति .....

प्रतिभूतियों की सूची

| विवरण | अंकित मूल्य | बाजार मूल्य | के हाथों में |
|-------|-------------|-------------|--------------|
|       |             |             |              |
|       |             |             |              |
|       |             |             |              |
|       |             |             |              |

हस्ताक्षर

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....

अनुसूची-IV

एतद्वारा ..... (व्यवसाय संघ का नाम) के पदाधिकारी चुने जाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।

---

|                   | हस्ताक्षर | पद का नाम |
|-------------------|-----------|-----------|
| पर हस्ताक्षर किये |           |           |
| 1. ....           |           |           |
| 2. ....           |           |           |
| 3. ....           |           |           |
| 4. ....           |           |           |
| 5. ....           |           |           |
| 6. ....           |           |           |
| 7. ....           |           |           |
| 8. ....           |           |           |
| 9. ....           |           |           |
| 10. ....          |           |           |

प्रपत्र- I

(धारा-2(zi)) (नियम -3)

(सुलह के दौरान हुए समझौते का ज्ञापन या नियोजक और उसके कर्मकारों के बीच सुलह कार्यवाही के अलावा किसी अन्य तरीके से हुआ समझौता)

पक्षकारों का नाम- .....

नियोजक(कों) का प्रतिनिधित्व- .....

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व- .....

मामले का संक्षिप्त विवरण

.....  
.....

## समझौते की शर्तें

1. ....
2. ....
3. ....

गवाहों के हस्ताक्षर

1. ....  
(नाम और पदनाम)
2. ....  
(नाम और पदनाम)

पक्षों के हस्ताक्षर

1. ....  
(नाम और पदनाम)
2. ....  
(नाम और पदनाम)

\*सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि :

- (1) क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश
- (2) सुलह अधिकारी, उत्तर प्रदेश

\*यदि नियोजक और उसके कर्मकारों के मध्य समझौता, संराधन कार्यवाही के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से होता है तो समझौता की ज्ञापन सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त एवं संराधन अधिकारी को भेजा जायेगा।

प्रपत्र- II

(धारा-7(j)) [नियम 9 का उप-नियम 7]  
लेखा परीक्षक की घोषणा

अधोहस्ताक्षरी को ..... (संघ) की सभी पुस्तकों और खातों तक पहुंच प्राप्त हो गई है और पूर्वगामी कथन की जांच की है और उससे संबंधित खाता वाउचरों के साथ उसका सत्यापन किया है, अब इसे सही, विधिवत् प्रमाणित और कानून के अनुसार, टिप्पणियों के अधीन, यदि कोई हो, तो इसके साथ संलग्न पाया गया है और यह भी प्रमाणित करता हूं कि ..... (संघ) ने अपने सदस्यता रजिस्टर और खातों को उचित रूप से बनाए रखा है और सदस्य ने ..... (संघ) को अपनी सदस्यता शुल्क का भुगतान किया है जैसा कि संघ के सामान्य निधि खाते के पूर्वगामी विवरण में दिखाया गया है, टिप्पणियों के अधीन, यदि कोई हो, तो इसके साथ संलग्न।

(1) लेखा परीक्षक

(2) लेखा परीक्षक

नोट: - प्रत्येक लेखा परीक्षक को अपने हस्ताक्षर से पहले यह बताना होगा कि नियम-28 के संदर्भ में वह किस हैसियत से ट्रेड यूनियन के लेखों का लेखा परीक्षण करने के लिए योग्य है।

प्रपत्र - III

(See Rule - 9)

(ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश के समक्ष ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए शपथ पत्र का मानक प्रारूप)

साक्षीगण प्रस्तुत करते हैं:

1. कि हमने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 की धारा 6 की उपधारा (1) सहपठित नियम 12 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन के पंजीकरण हेतु .....(ट्रेड यूनियन का प्रस्तावित नाम) नाम से आवेदन किया है।
2. कि हम उक्त यूनियन के पंजीकरण हेतु आवेदन करने हेतु विधिवत् प्राधिकृत हैं।
3. कि आवेदन की विषय-वस्तु तथा आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज सत्य एवं सही हैं तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
4. कि यूनियन के नाम के किसी वैध दावेदार के मामले में, हम रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, उ.प्र. के निर्देशानुसार प्रमाण-पत्र समर्पित कर देंगे तथा यूनियन का नाम बदल देंगे।
5. कि किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी को कभी भी भारतीय न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है तथा कारावास की सजा नहीं दी गई है।
6. कि प्रपत्रों एवं अनुसूचियों तथा अन्य दस्तावेजों के अनुसार दिए गए सभी विवरण सत्य हैं।
7. कि संघ का दायरा \_\_\_\_\_ (प्रतिष्ठान का नाम) के कर्मचारियों के लिए होगा।
8. कि \_\_\_\_\_ (प्रतिष्ठान का नाम) में \_\_\_\_\_ कर्मचारी काम कर रहे हैं और जिनमें से \_\_\_\_\_ कर्मचारी हमारे संघ के सदस्य हैं।
9. कि मैं इस आवेदन के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा अपेक्षित अन्य दस्तावेज और/या सूचना प्रस्तुत करूंगा।
10. कि यह मेरा सच्चा कथन है और इसमें कुछ भी नहीं छिपा है और इसका कोई भी हिस्सा झूठा नहीं है।
11. कि यदि प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना/दस्तावेज झूठा, तुच्छ या गलत पाया जाता है तो प्राधिकारी मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
12. कि सत्यापन के लिए ट्रेड यूनियन सदस्यों की सूची सत्यापित आधार संख्या के साथ हलफनामे के साथ संलग्न है और किसी भी सदस्य को आधार साझा करने के लिए मजबूर नहीं किया गया है।

| क्रम संख्या | नाम | पदनाम | पेशा | पता | सम्पर्क सूत्र |
|-------------|-----|-------|------|-----|---------------|
| 1.          |     |       |      |     |               |
| 2.          |     |       |      |     |               |
| 3.          |     |       |      |     |               |
| 4.          |     |       |      |     |               |
| 5.          |     |       |      |     |               |
| 6.          |     |       |      |     |               |
| 7.          |     |       |      |     |               |

सत्यापन

यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त हलफनामे की विषय-वस्तु मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

दिनांक ...../...../.....(दिन/ माह/ वर्ष)

आवेदक(ओं) के हस्ताक्षर

प्रपत्र IV

(Section-9 (1)) (Rule 12)

ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन

.....दिनांक ..... दिन ..... 20.....

1. हम ..... के नाम से एक ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं।
2. यूनियन के मुख्य कार्यालय का पता ..... है।
3. यूनियन दिनांक ..... को अस्तित्व में आई और इस आवेदन की तारीख को इसके नाम पर ..... सदस्य हैं।
4. यूनियन ..... उद्योग (या पेशे) में लगे नियोक्ता/श्रमिकों का संघ है।
5. सदस्यों के प्रस्ताव द्वारा हमें यह आवेदन करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है

| आवेदनकर्ता का नाम | हस्ताक्षर | पेशा | पता | सम्पर्क सूत्र |
|-------------------|-----------|------|-----|---------------|
| 1.....            |           |      |     |               |
| 2.....            |           |      |     |               |
| 3.....            |           |      |     |               |
| 4.....            |           |      |     |               |
| 5.....            |           |      |     |               |
| 6.....            |           |      |     |               |
| 7.....            |           |      |     |               |

अनुलग्नक-

1. अनुसूची I: पदाधिकारियों की सूची
2. अनुसूची II: नियमों का संदर्भ
3. अनुसूची III: संपत्ति और देयताएं
4. अनुसूची IV: पदाधिकारियों की सहमति
5. आवेदक द्वारा हलफनामा
6. ट्रेड यूनियन के संविधान या उपनियमों की प्रति, साथ ही ऐसे संविधान या उपनियमों को अपनाने वाले प्रस्ताव की प्रति।
7. आवेदक को आवेदन करने के लिए अधिकृत करने वाले प्रस्ताव की प्रति।
8. ट्रेड यूनियन के महासंघ या केंद्रीय संगठन के मामले में, प्रत्येक सदस्य यूनियन के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव की प्रति।

सेवा में,  
रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन  
उत्तर प्रदेश

प्रपत्र- V

(Section-9(2)) (Rule 13)

ट्रेड यूनियन के पंजीकरण का प्रमाण पत्र

पंजीयन संख्या -

यह प्रमाणित किया जाता है कि .....को औद्योगिक संबंध  
संहिता, 2020 के तहत ट्रेड यूनियन के रूप में आज  
.....दिनांक.....माह.....वर्ष को पंजीकृत किया गया है।

रजिस्ट्रार की मुहर

-----

रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन्स, उत्तर प्रदेश ।

प्रपत्र VI

(Section-9(3)) (Rule 14)

ट्रेड यूनियनों का रजिस्टर

|  |                             |     |                    |     |      |                          |  |
|--|-----------------------------|-----|--------------------|-----|------|--------------------------|--|
| 1. क्रम संख्या                             |                             |     |                    |     |      |                          |  |
| 2. संघ का नाम                              |                             |     |                    |     |      |                          |  |
| 3. प्रधान कार्यालय का पता                  |                             |     |                    |     |      |                          |  |
| 4. पंजीकरण की तिथि                         |                             |     |                    |     |      |                          |  |
| 5. आवेदन प्रपत्र की संख्या                 |                             |     |                    |     |      |                          |  |
| 6. आवेदन करने वाले सदस्यों की सूची पंजीकरण |                             |     |                    |     |      |                          |  |
| 7.   | संघ के पदाधिकारी            |     |                    |     |      |                          |  |
| संघ के पदाधिकारियों का नाम                 | कार्यालय में प्रवेश का वर्ष | नाम | प्रवेश के समय उम्र | पता | पेशा | कार्यालय त्यागने का वर्ष | कार्यकारिणी की सदस्यता के अतिरिक्त अन्य पद दिनांक सहित |
|  | 1                           | 2   | 3                  | 4   | 5    | 6                        | 7  |

|     |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  |  |  |  |  |  |  |
| (5) |  |  |  |  |  |  |  |
| (6) |  |  |  |  |  |  |  |
| (7) |  |  |  |  |  |  |  |

प्रपत्र VII

(Section-9(5)) (Rule 15)

पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस लेने या निरस्त करने के लिये आवेदन  
 ट्रेड यूनियन का नाम.....  
 पता.....  
 पंजीयन संख्या.....  
 पंजीयन दिनांक.....दिन.....माह.....वर्ष

सेवा में,  
 ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार, उ०प्र०।

उपर्युक्त ट्रेड यूनियन चाहता है कि ट्रेड यूनियन अधिनियम-1926/औद्योगिक संबंध संहिता-2020 के तहत उसका पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस लिया जाये या रद्द किया जाये। दिनांक.....माह.....वर्ष..... को विधिवत रूप से आयोजित एक आम सभा\* में पारित प्रस्ताव इस प्रकार है।  
 (यहाँ प्रस्ताव की सटीक एवं सच्ची प्रति दी गयी है।)

(हस्ताक्षरित)  
 अध्यक्ष/महासचिव

\*यदि आमसभा की बैठक में नहीं, तो बतायें कि अनुरोध पर किस प्रकार निर्णय लिया गया है।

प्रपत्र- VIII

(Section-11(1) (3)) [sub-rule (1) of Rule 18]

ट्रेड यूनियन में परिवर्तन के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन, उ०प्र० को सूचना

1. पहले से पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम और पता

2. पंजीयन की संख्या व दिनांक .....

3. दिनांक.....पर स्थान.....पर श्री/सुश्री.....की अध्यक्षता में आयोजित साधारण सभा में कार्यकारिणी में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। इस तिथि को संघ की कुल सदस्यता.....थी, जिसमें से .....सदस्यों ने उक्त बैठक में भाग लिया। इस बैठक में इन परिवर्तनों को सर्वसम्मति/बहुमत से पारित किया गया।

(A) पदाधिकारियों में परिवर्तन

| पद | नाम | आयु | पता | व्यवसाय |
|----|-----|-----|-----|---------|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5       |
|    |     |     |     |         |

(B) संघ के नाम में परिवर्तन

(i) संघ का वर्तमान नाम-

(ii) संघ का प्रस्तावित नाम-

(C) संघ के संविधान या उपनियमों में किया गया परिवर्तन

| विद्यमान नियम या उपनियमों की क्रम संख्या | मौजूदा नियम या उपनियम | प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियम या उपनियम |
|--|-----------------------|--|
|  |                       |  |

| हस्ताक्षर            |           |
|----------------------|-----------|
| हस्ताक्षर            |           |
| पूर्व अध्यक्ष/सभापति | निर्वाचित |
| अध्यक्ष/सभापति       |           |
| पूर्व महासचिव/सचिव   | निर्वाचित |
| महासचिव/सचिव         |           |

नोट:-

(1) यदि अध्यक्ष/सभापति एवं महासचिव/सचिव के हस्ताक्षर प्राप्त न हो सकें तो इसका पर्याप्त कारण बताया जायेगा।

(2) यदि किसी पदाधिकारी के त्यागपत्र के कारण कार्यकारिणी में परिवर्तन हुआ है तो ऐसे त्यागपत्र की प्रमाणित प्रति इस प्रपत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

(3) संघ द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जायेगी।

#### प्रपत्र IX

(Section-11(1) (3)) [sub-rule (1) of rule 18]

ट्रेड यूनियन के पंजीकरण विवरण में परिवर्तन का रजिस्टर

1. यूनियन का नाम- .....

2. पंजीकरण संख्या व दिनांक- .....

3. बैठक की तारीख, जिसमें परिवर्तन का प्रस्ताव पारित किया गया है- .....

4. पदाधिकारियों का नाम- .....

| क्रम संख्या | पद का नाम | पदाधिकारी का नाम | उम्र | पता | पेशा/पदनाम औद्योगिक स्थापना |
|-------------|-----------|------------------|------|-----|-----------------------------|
| 1           | 2         | 3                | 4    | 5   | 6                           |

5. परिवर्तन-

हस्ताक्षर/मुहर  
अपर/उप रजिस्ट्रार

प्रपत्र- X

(Section-14(3)(4) (sub rule-3(a) of rule-21)

ट्रेड यूनियन को वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद का सदस्य घोषित करने के लिये आवेदन

यूनियन का नाम .....

पता .....

दिनांक .....दिन.....माह.....वर्ष

सेवा में,

रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स,  
उत्तर प्रदेश।

प्रिय महोदय,

मैं सविनय निवेदन करता हूँ कि उपर्युक्त ट्रेड यूनियन को वार्ताकार संघ/औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिये वार्ताकार परिषद के सदस्य के रूप में घोषित किया जाना है, अर्थात्.....औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 14 की उपधारा (3)/(4) के तहत, पता....., और मेरा अनुरोध है कि इसे रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में तदनुसार पंजीकृत किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित विवरण और अन्य दस्तावेज की एक प्रति संलग्न है।

2. यूनियन को उत्तर प्रदेश के ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या.....के तहत दिनांक.....को पंजीकृत किया गया था।

3. संघ के नियमों की प्रति संलग्न है।

4. संघ के प्रधान कार्यालय का पता, जहाँ सभी पत्र व्यवहार किये जा सकते हैं, वह है

.....

5. उक्त संघ में नामिक प्रतिष्ठान में .....सदस्य है और यह नामित औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या का .....प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है।

आपका विश्वासी  
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता।

प्रपत्र- XI

(Section-14(3)(4) (sub rule-4(g) of rule-21)  
वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के सदस्य का रजिस्टर

| क्र० सं० /<br>प्रवेश सं० | वार्ताकार संघ<br>का नाम | वार्ताकार परिषद के<br>सदस्य संघ का नाम<br>वार्ताकार संघ | कार्यालय<br>का पता | पंजीकरण<br>की तिथि | वर्तमान<br>पदाधिकारियों के<br>नाम | सदस्यों की<br>संख्या |
|--------------------------|-------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1                        | 2                       | 3   | 4                  | 5                  | 6                                 | 7                    |
|                          |                         |   |                    |                    |                                   |                      |

| औद्योगिक<br>प्रतिष्ठान का<br>नाम | औद्योगिक<br>प्रतिष्ठान का<br>पता | श्रमिकों की कुल<br>संख्या, जो ट्रेड<br>यूनियन के<br>सदस्य है। | श्रमिकों का प्रतिशत, जो<br>वार्ताकार संघ/वार्ताकार<br>परिषद के सदस्य है। | रजिस्टर<br>द्वारा घोषण<br>की तिथि | अन्य कोई<br>जानकारी | टिप्पणी |
|----------------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|---------|
| 8                                | 9                                | 10  | 11   | 12                                | 13                  | 14      |
|                                  |                                  |   |  |                                   |                     |         |

रजिस्टर ट्रेड यूनियन के  
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र- XII

(Section-22(a)) [sub-rule (1) of rule 25]  
ट्रेड यूनियन विवादों के निर्णय के लिये आवेदन का प्रारूप

औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष.....

बनाम

(आवेदक का नाम एवं पदनाम)

और

(विपक्षी पक्ष/पक्षों का नाम एवं पदनाम)

ट्रेड यूनियन विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

यह सत्यापित किया जाता है कि आवेदन की विषय वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रपत्र- XIII

(Section-24(2)(3)) [See sub-rule (1) of rule 26]

ट्रेड यूनियनों के समामेलन की सूचना

(a) पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम.....पंजीकरण की संख्या.....

(b) पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम.....पंजीकरण की संख्या..... (इसी प्रकार यदि दो या दो से अधिक हो)।

(पता) .....

दिनांक.....दिन.....माह.....वर्ष

सेवा में,

रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स, 30प्र0।

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा-24 की उप धारा (3) की आवश्यकताओं के अनुसार, उपर्युक्त ट्रेड यूनियनों में से प्रत्येक के सदस्यों ने एक ट्रेड यूनियन के रूप में एक साथ एकीकृत होने का संकल्प लिया है।

और उक्त समामेलन की शर्तें निम्नलिखित हैं। (शर्तें बताएं) ।

और यह इरादा है कि ट्रेड यूनियन को अब से .....कहा जायेगा।

इस नोटिस के साथ एकीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों की एक प्रति संलग्न है, जो कि ..... के नियम (यदि हों) है।

(सात सदस्यों और प्रत्येक ट्रेड यूनियन के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित)

(हस्ताक्षर)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

सचिव

सदस्य

प्रपत्र- XIV

(Section-26(1)(a)( Rule 28)

31 दिसम्बर, 20....को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वार्षिक रिटर्न (औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 26 के तहत निर्धारित)

संघ/महासंघ का नाम.....

पंजीकृत प्रधान कार्यालय का पता.....

पंजीकरण प्रमाण पत्र की संख्या.....

1. ट्रेड यूनियन फेडरेशन द्वारा किया जाने वाला रिटर्न.

\*A. वर्ष के आरंभ में संबद्ध यूनियनों की संख्या .....

\*B वर्ष के दौरान शामिल होने वाली यूनियनों की संख्या

.....

\*C वर्ष के दौरान असंबद्ध यूनियनों की संख्या .....

D वर्ष के अन्त में संबद्ध यूनियनों की संख्या .....

2. केवल ट्रेड यूनियन द्वारा किया जाने वाला रिटर्न

A. वर्ष के आरंभ में पुस्तकों पर सदस्यों की संख्या .....

B. वर्ष के दौरान शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या .....

.....(एक साथ जोड़ें)

C. वर्ष के दौरान छोड़ने वाले सदस्यों की संख्या .....

.....(घटाना)

D. वर्ष के अन्त में रजिस्टर में दर्ज सदस्यों की कुल संख्या

.....

पुरुष .....

स्त्री .....

ट्रांसजेंडर .....

(संबद्ध और असंबद्ध यूनियनों का नाम अलग-अलग विवरण में दिया जाना चाहिए "ए", "बी" और "सी")

राजनीतिक योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या .....

धनराशि .....

इस रिटर्न के प्रेषण की तारीख तक सही किए गए ट्रेड यूनियन के नियमों की एक प्रति संलग्न है।

दिनांक.....

सचिव

देनदारियों और परिसंपत्तियों का विवरण .....दिन .....20.....

देयतायें

सम्पत्ति

|                                     | धनराशि |                                      | धनराशि |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| सामान्य निधि की राशि                | .....  | नकद                                  | .....  |
| राजनीतिक निधि की राशि               | .....  | कोषाध्यक्ष के हाथ में.....           |        |
| लिया गया ऋण                         | .....  | सचिव के हाथ में.....                 |        |
| अन्य देनदारियां (निर्दिष्ट की जाएं) | .....  | बैंक के हाथ में.....                 |        |
|                                     |        | प्रतिभूतियाँ निम्न सूची के अनुसार:   | .....  |
|                                     |        | अवैतनिक सदस्यता देय.....             |        |
|                                     |        | देय ऋण.....                          |        |
|                                     |        | अचल सम्पत्ति                         | .....  |
|                                     |        | सामान और फर्नीचर                     | .....  |
|                                     |        | अन्य सम्पत्तियाँ (निर्दिष्ट की जाएं) | .....  |
| कुल देयतायें                        | .....  | कुल सम्पत्ति                         | .....  |

### प्रतिभूतियों की सूची

|       |             |            |                              |            |
|-------|-------------|------------|------------------------------|------------|
| विवरण | अंकित मूल्य | खरीद मूल्य | जिस तारीख को खाता बनाया गया, | के हाथ में |
|       |             |            | उस दिन बाजार मूल्य           |            |

-----  
-----

कोषाध्यक्ष

### सामान्य निधि खाते

| आय  | व्यय                                  |
|---|---------------------------------------|
| धनराशि  | धनराशि                                |
| वर्ष के आरम्भ में अधिकारियों के वेतन, भत्ते और व्यय का शेष..... |                                       |
| सदस्यों से अंशदान.....  | प्रति सदस्य वेतन, भत्ते और व्यय.....  |
| प्रतिष्ठान.....   |                                       |
| दान.....  | ऑडिटर शुल्क.....                      |
| पत्रिकाओं, पुस्तकों नियमों आदि की बिक्री कानूनी खर्च.....       |                                       |
| निवेश पर ब्याज व्यापार संचालन में व्यय.....                     |                                       |
| विवाद.....  |                                       |
| विविध श्रोत से आय (निर्दिष्ट की जाये)                           | राज्य विवादों से उत्पन्न हानि के लिये |
| सदस्यों   |                                       |
| .....   | को दिया जाने वाला मुआवजा.....         |
| अंतिम संस्कार, वृद्धावस्था, बीमारी, बेरोजगारी लाभ आदि           |                                       |
| शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक लाभ.....                            |                                       |
| पत्रिकाओं के प्रकाशन की लागत.....                               |                                       |

किराया, दरें और कर, स्टेशनरी, मुद्रण और डाक.....  
अन्य व्यय (निर्दिष्ट की जाये).....  
वर्ष के अन्त में शेष धनराशि.....

कुल

कुल

### राजनीतिक निधि खाते

आय-व्यय

धनराशि (रू०)

वर्ष के आरम्भ में शेष राशि ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा 16(2) में निर्दिष्ट वस्तु पर किया गया भुगतान (निर्दिष्ट किया जाना है)

सदस्यों से योगदान

प्रबंधन का व्यय (निर्दिष्ट किया जाना है)

.....प्रति सदस्य

वर्ष के अन्त में शेष धनराशि.....

कुल

कुल

कोषाध्यक्ष

### लेखा परीक्षक की घोषणा

अधोहस्ताक्षरी को ..... (संघ) की सभी पुस्तकों और खातों तक पहुंच प्राप्त हो गई है और पूर्वगामी कथन की जांच की है और उससे संबंधित खाता वाउचरों के साथ उसका सत्यापन किया है, अब इसे सही, विधिवत् प्रमाणित और कानून के अनुसार, टिप्पणियों के अधीन, यदि कोई हो, तो इसके साथ संलग्न पाया गया है और यह भी प्रमाणित करता हूं कि ..... (संघ) ने अपने सदस्यता रजिस्टर और खातों को उचित रूप से बनाए रखा है और सदस्य ने ..... (संघ) को अपनी सदस्यता शुल्क का भुगतान किया है जैसा कि संघ के सामान्य निधि खाते के पूर्वगामी विवरण में दिखाया गया है, टिप्पणियों के अधीन, यदि कोई हो, तो इसके साथ संलग्न।

(1) लेखा परीक्षक।

(2) लेखा परीक्षक।

नोट: प्रत्येक लेखा परीक्षक को अपने हस्ताक्षर से पहले यह बताना होगा कि नियम-28 के संदर्भ में वह किस हैसियत से ट्रेड यूनियन के खातों का लेखा परीक्षण करने के लिये योग्य है।

पद छोड़ने वाले अधिकारी

वर्ष के दौरान अधिकारियों के निम्नलिखित परिवर्तन किये गये है:-

| नाम | कार्यालय | पद | छोड़ने की तिथि |
|-----|----------|----|----------------|
|-----|----------|----|----------------|

अधिकारी नियुक्त किये गये

| नाम | जन्मतिथि | निजी पता | व्यक्तिगत व्यवसाय | संघ में पद का नाम | वह तिथि जब पद का नाम कॉलम 5 में नियुक्ति की गयी | कार्यकारिणी की सदस्यता के अतिरिक्त अन्य पदों की सूची तथा तिथिया |
|-----|----------|----------|-------------------|-------------------|---|---|
| 1   | 2        | 3        | 4                 | 5                 | 6   | 7   |
|     |          |          |                   |                   |   |   |

संघ के सचिव

प्रपत्र- XV

(Section 27/2) (Sub rule 2 of Rule 29)

(Registration of state T.U. U/27(2)

मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/महासंघ के अनुमोदन हेतु आवेदन

सेवा में,

श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश

जी0टी0 रोड, कानपुर।

महोदय,

- हम उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध संहिता नियमावली, 2020 के नियम 29 के उपनियम (1) के अधीन.....नाम से मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ या महासंघ के लिये आवेदन करते है।
- महासंघ के प्रधान कार्यालय का पता.....है।
- महासंघ दिनांक .....को आयोजित घटक संघों के प्रतिनिधियों की आम बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार अस्तित्व में आया। (प्रतिलिपि संलग्न)
- उपरोक्त आम बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची नीचे दी गयी है।

| क्रम संख्या | प्रतिभागियों के नाम | उस स्थायी संघ का नाम, जिसके वे सदस्य हैं। | निवास का पता | अन्य विवरण |
|-------------|---------------------|---|--------------|------------|
|-------------|---------------------|---|--------------|------------|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

5. मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/महासंघ के पदाधिकारियों सहित कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची भी नीचे दी गयी है।

| क्र० | नाम | कार्यकारिणी में पदनाम | उम्र | पता | व्यवसाय | नियुक्ति की तिथि | अन्य विवरण |
|------|-----|-----------------------|------|-----|---------|------------------|------------|
|      |     |                       |      |     |         |                  |            |

6. मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/महासंघ से सम्बद्ध पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की सूची भी नीचे दी गयी है।

| क्र० | यूनियन का नाम | पंजीकरण संख्या | पंजीकरण की तिथि | अध्यक्ष का नाम | सचिव का नाम | सम्बद्धता संख्या | सम्बद्धता का दिनांक | अन्य विवरण |
|------|---------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|---------------------|------------|
|      |               |                |                 |                |             |                  |                     |            |

7. \*संघ के संविधान/नियमों की दो साफ-सुथरी टाइप की हुई मुद्रित प्रतियाँ भी संलग्न है।

8. राज्य में ट्रेड यूनियन/फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स के कुल.....सदस्य है। (जिलावार और ट्रेड यूनियनवार सदस्यता)

आपका विश्वासी,

अध्यक्ष के हस्ताक्षर.....

सचिव के हस्ताक्षर.....

\*सभी संलग्नकों पर मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/फेडरेशन के सचिव द्वारा उसकी आधिकारिक मुहर के साथ हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

प्रपत्र- XVI (PART A & B)

(Section-27(2)) [clause (a) of sub-rule (4) of rule 29]

मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ के मुख्यालय में परिवर्तन की सूचना

भाग-ए

मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/फेडरेशन के पते में परिवर्तन की सूचना

अधिसूचना की संख्या और तारीख जिसके तहत अनुमोदन किया गया.....

पता.....

दिनांक.....

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उपर्युक्त मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/महासंघ का मुख्यालय.....से हटा दिया गया है तथा अब.....(शहर या कस्बा या जिला) में स्थित है।

दिनांक.....

सचिव के हस्ताक्षर.....

### भाग-बी

मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/फेडरेशन के पते में परिवर्तन की सूचना उपर्युक्त मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ/महासंघ की कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये है-

पद छोड़ने वाले कार्यकारी समिति सदस्यों का विवरण

| नाम | कार्यालय का पता | पद त्यागने की तिथि | कार्यालय | अन्य विवरण |
|-----|-----------------|--------------------|----------|------------|
|     |                 |                    |          |            |

नियुक्त नये कार्यकारी समिति सदस्यों का विवरण

| नाम | उम्र | कार्यकारिणी में पदनाम | पता | व्यवसाय | नियुक्त की तिथि | अन्य विवरण |
|-----|------|-----------------------|-----|---------|-----------------|------------|
|     |      |                       |     |         |                 |            |

सचिव के हस्ताक्षर.....

सेवा में,

1. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश  
जी0टी0 रोड, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।

प्रपत्र-XVII

(धारा-27(2) (नियम 27 के उपनियम (2) का खण्ड (ख))  
राज्य स्तरीय संघ/ महासंघ से सम्बद्ध/ मान्यता प्राप्त संघों की सूची

फेडरेशन का नाम.....

उत्तर प्रदेश औद्योगिक संबंध संहिता नियम, 2020 के नियम 30 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) की अपेक्षा के अनुसार, 31 दिसम्बर 20.....की स्थिति में उपर्युक्त/मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय संघ महासंघ से सम्बद्ध संघों के नाम नीचे दिये गये हैं:-

| क्रं0 | यूनियन का नाम | पंजीकरण संख्या | पंजीकरण की तिथि | नाम     |      |            | सम्बद्धता की संख्या | सम्बद्धता का दिनांक | अन्य विवरण |
|-------|---------------|----------------|-----------------|---------|------|------------|---------------------|---------------------|------------|
|       |               |                |                 | अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष |                     |                     |            |
|       |               |                |                 |         |      |            |                     |                     |            |

सचिव के हस्ताक्षर व मुहर

सेवा में,

1. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
2. रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन्स, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर।

प्रपत्र- XVIII

(धारा-30(8) (नियम 32 देखें))

(प्रमाणित स्थायी आदेश के लिये पंजीकरण रजिस्टर)

भाग- 1

औद्योगिक प्रतिष्ठान

| अद्वितीय एवं सतत संख्या | औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम | औद्योगिक प्रतिष्ठान की प्रकृति | क्या स्थायी आदेश (क) मॉडल स्थायी आदेश है, या (ख) माना गया स्थायी आदेश है या (ग) प्रमाणित स्थायी आदेश अपील दायर करने की तिथि है | स्थायी आदेश को अपनाने की तिथि या मान्य प्रमाणीकरण की तिथि या प्रमाणीकरण /प्रमाणीकरण की तिथि |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| 1                       | 2                          | 3                              | 4  | 5   |
|                         |                            |                                |  |   |

| अपील दायर करने की तिथि | निर्णय की तिथि और प्रकृति | अपील पर संशोधन किया गया, यदि कोई हो | अपील पर निपटाए गये स्थायी आदेशों की प्रति भेजने की तिथि | कोई अन्य प्रासंगिक विवरण |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| 6                      | 7                         | 8                                   | 9   | 10                       |
|                        |                           |                                     |   |                          |

भाग- 2

इसमें इलेक्ट्रानिक रूप से प्रमाणित स्थायी आदेश की प्रतिलिपि होनी चाहिए।

प्रपत्र- XIX

(धारा-40(प) (नियम 39 देखें))

नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित सेवाशर्त में परिवर्तन की सूचना

सेवायोजक का नाम.....

पता.....

दिनांक.....

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 40 के अनुसार, मैं/हम सभी संबंधितों को नोटिस देते हैं कि उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में कामगारों पर लागू इस नोटिस के साथ संलग्न सेवा की शर्तों में ..... से प्रभावी होने का मेरा/हमारा इरादा है।

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

अनुलग्नक

यहाँ लागू किए जाने वाले परिवर्तन/परिवर्तनों का उल्लेख करें।

प्रति अग्रेषित की गयी:

1. पंजीकृत ट्रेड यूनियन/वार्ता संघ/वार्ता परिषद के सचिव
2. सम्बन्धित सुलह अधिकारी
3. सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उ0प्र0।
4. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. प्रतिष्ठान के नोटिस बोर्ड हेतु।

प्रपत्र-XX

(धारा-42(3) (नियम 40 का उपनियम (3) देखें))

स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिये समझौता

नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व.....

कामगारों/कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व.....

पक्षों के बीच निम्नलिखित विवाद को .....की मध्यस्थता के लिये संदर्भित करने पर सहमति हुई है। (यहाँ मध्यस्थ का नाम और पता निर्दिष्ट करें):

(1) विवाद में विशिष्ट मामले।

(2) विवाद में शामिल पक्षों का विवरण, जिसमें शामिल प्रतिष्ठान या उपक्रम का नाम और पता शामिल है।

(3) यदि कर्मचारी स्वयं विवाद में शामिल है तो उसका नाम या संबंधित कर्मचारी या कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन का नाम।

(4) प्रभावित उपक्रम में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या।

(5) विवाद से प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना वाले कर्मचारियों की अनुमानित संख्या।

\*हम इस बात पर भी सहमत हैं कि मध्यस्थों के बहुमत के निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी होंगे/यदि मध्यस्थों की राय समान रूप से विभाजित है, तो वे किसी अन्य व्यक्ति को निर्णायक के रूप में नियुक्त करेंगे जिसका निर्णय हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

मध्यस्थ (मध्यस्थ) राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस समझौते के प्रकाशन की तिथि से ..... (यहां पार्टियों द्वारा सहमत अवधि निर्दिष्ट करें) की अवधि के भीतर या लिखित रूप में हमारे बीच आपसी समझौते द्वारा बढ़ाए गए ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर अपना निर्णय देंगे। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर निर्णय नहीं दिया जाता है, तो मध्यस्थता का संदर्भ स्वतः ही रद्द हो जाएगा और हम नए मध्यस्थता के लिए बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

गवाहन,

1. ....
2. पक्षों के हस्ताक्षर.....  
नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व.....  
कामगारों/कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व.....

प्रति अग्रेषित की गयी:

1. सम्बन्धित सुलह अधिकारी, उ0प्र0।
2. सम्बन्धित क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उ0प्र0।
3. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, उ0प्र0 सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लखनऊ।

\*जहाँ लागू हो-

1. पक्षों के हस्ताक्षर.....
2. नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व.....
3. कामगारों/कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व.....

प्रपत्र- XXI

(धारा-42(5)(सी) (नियम 42 देखें))

ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मध्यस्थ/मध्यस्थों के समक्ष श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने का प्रस्ताव,  
जहाँ कोई ट्रेड यूनियन नहीं है

.....(प्रतिष्ठान का नाम और पता) में श्रमिकों का कोई

पंजीकृत ट्रेड यूनियन नहीं है, इसलिए हम निम्नलिखित व्यक्ति को धारा 42 की उपधारा (5) के खंड (1) के उपखंड (सी) के अंतर्गत एक समझौते पर हस्ताक्षर करने और मध्यस्थ या मध्यस्थ (मध्यस्थों) के समक्ष कार्यवाही में स्वयं का प्रतिनिधित्व करने या मध्यस्थता के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कर रहे हैं

| क्रम सं0 | प्रतिनिधियों का नाम | पदनाम | पता |
|----------|---------------------|-------|-----|
| 1        |                     |       |     |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

उपर्युक्त प्रतिनिधि की सभी कार्यवाहियाँ हमारे लिए बाध्यकारी होंगी-

| क्र०सं० | श्रमिक का नाम | हस्ताक्षर | क्र०सं० | श्रमिक का नाम | हस्ताक्षर |
|---------|---------------|-----------|---------|---------------|-----------|
| 1       |               |           | 27      |               |           |
| 2       |               |           | 28      |               |           |
| 3       |               |           | 29      |               |           |
| 4       |               |           | 30      |               |           |
| 5       |               |           | 31      |               |           |
| 6       |               |           | 32      |               |           |
| 7       |               |           | 33      |               |           |
| 8       |               |           | 34      |               |           |
| 9       |               |           | 35      |               |           |
| 10      |               |           | 36      |               |           |
| 11      |               |           | 37      |               |           |
| 12      |               |           | 38      |               |           |
| 13      |               |           | 39      |               |           |
| 14      |               |           | 40      |               |           |
| 15      |               |           | 41      |               |           |
| 16      |               |           | 42      |               |           |
| 17      |               |           | 43      |               |           |
| 18      |               |           | 44      |               |           |
| 19      |               |           | 45      |               |           |
| 20      |               |           | 46      |               |           |
| 21      |               |           | 47      |               |           |
| 22      |               |           | 48      |               |           |
| 23      |               |           | 49      |               |           |
| 24      |               |           | 50      |               |           |
| 25      |               |           | 51      |               |           |
| 26      |               |           | 52      |               |           |

हम, इसके द्वारा प्राधिकरण और प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हैं

प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

1....

2.....

3.....

4.....

5.....

प्रपत्र- XXII

(धारा-44(5) (नियम 43 का उपनियम (17) देखें))

भाग- I

राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के लिये  
पद की शपथ का प्रपत्र

मैं, ..... औद्योगिक न्यायाधिकरण ..... के न्यायिक  
सदस्य/प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के रूप में नियुक्त किया गया हूँ, ईश्वर के नाम पर सत्यनिष्ठा  
से प्रतिज्ञान करता हूँ/शपथ लेता हूँ कि मैं औद्योगिक न्यायाधिकरण ..... के न्यायिक  
सदस्य/प्रशासनिक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और  
विवेक के अनुसार, बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से करूँगा  
और मैं संविधान और देश के कानूनों को बनाए रखूँगा।

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

दिनांक.....

भाग- II

(न्यायाधिकरण का नाम) के अध्यक्ष/सदस्य के लिये गोपनीयता की शपथ का प्रपत्र

मैं, ..... औद्योगिक न्यायाधिकरण का न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक  
सदस्य (जो भी लागू हो) नियुक्त किया गया हूँ, ईश्वर के नाम पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/शपथ  
लेता हूँ कि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई मामला नहीं बताऊँगा या  
प्रकट नहीं करूँगा जो मेरे विचाराधीन लाया जाएगा या राज्य औद्योगिक न्यायाधिकरण (न्यायाधिकरण  
का नाम) के न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य (जो भी लागू हो) के रूप में मुझे ज्ञात होगा, सिवाय  
इसके कि न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य के रूप में मेरे कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए ऐसा  
आवश्यक हो।

औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य/प्रशासनिक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का  
निष्ठापूर्वक और कर्तव्यनिष्ठा से, अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और विवेक के अनुसार, बिना किसी  
भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के निर्वहन करूँगा और मैं संविधान और देश के कानूनों की मर्यादा बनाए  
रखूँगा।

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

दिनांक.....

प्रपत्र- XXIII  
(धारा-53(6) (नियम 46 का उपनियम (1) देखें))

संराधन अधिकारी द्वारा निपटाए न गए मामलों में न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला  
आवेदन

औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष.....(औद्योगिक न्यायाधिकरण का नाम और स्थान)  
के बीच  
.....(आवेदक का नाम और पता)  
और  
.....(विपक्षी पक्ष/पक्षों का नाम और पता)

मेरे/हमारे एवं विपक्षी पक्ष/पक्षों के मध्य निम्नलिखित विवाद विद्यमान है, जिसका विवरण नीचे  
दिया गया है:-

.....  
.....(विवाद का संक्षिप्त विवरण)/उपर्युक्त विवाद पर  
सुलह अधिकारी के समक्ष बातचीत की गई है, लेकिन सुलह कार्यवाही के दौरान कोई समझौता नहीं  
हुआ। इसलिये मैं/हम विवाद को न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस  
विवाद को न्यायाधिकरण में स्वीकार किया जाए और उचित एवार्ड पारित करने का अनुरोध किया  
जाये।

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर  
(नाम और पता)

सत्यापन

यह सत्यापित किया जाता है कि आवेदन की विषय-वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार  
सत्य एवं सही है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर  
(नाम और पता)

प्रपत्र- XXIV  
(धारा-59 (नियम 47 देखें))  
(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आवेदन)

सेवा में,

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उ0प्र0 ।
2. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त,.....(यहाँ क्षेत्र का नाम लिखें)

महोदय,

मुझे/हमें यह बताना है कि मैं/हम औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अध्याय IX और X के प्रावधानों के तहत मेसर्स ..... से रुपये .....(शब्दों में) की राशि प्राप्त करने के हकदार हूँ/हैं/दिनांक ..... द्वारा पारित किये गए एवार्ड के अनुसार/दिनांक ..... के अनुसार उक्त मेसर्स ..... और उनके कर्मचारी के बीच विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से हुए समझौते के अनुसार।

मैं/हम आगे यह भी कहते हैं कि मैंने/हमने प्रबंधन को उक्त राशि के लिए पंजीकृत डाक द्वारा डिमांड नोटिस भेजा था, जिसका प्रबंधन ने न तो भुगतान किया है और न ही मुझे/हमें भुगतान करने की पेशकश की है, जबकि एक पखवाड़ा बीत चुका है। राशि का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

मैं/हम अनुरोध करते हैं कि उक्त राशि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रबंधन के लिए वसूल की जाए तथा मुझे/हमें यथाशीघ्र भुगतान किया जाए।

आवेदकों के हस्ताक्षर

पता.....

निवास.....

दिनांक.....

संलग्नक

(यहाँ दावा की गयी राशि का विवरण दर्शाएं)

प्रपत्र- XXV

(धारा-59 (नियम 47 देखें))

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी श्रमिक द्वारा या मृतक श्रमिक के उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन) सेवा में,

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उ०प्र०।
2. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त,.....(यहाँ क्षेत्र का नाम लिखें)

महोदय,

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....यह बताना चाहता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अध्याय IX और X के प्रावधानों के तहत मेसर्स ..... से रुपये .....(शब्दों में) की राशि प्राप्त करने का हकदार हूँ/था/द्वारा दिए गए दिनांक ..... के पंचाट के अनुसार/उक्त मेसर्स ..... और उनके कर्मचारी के बीच विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से दिनांक .....को हुए समझौते के अनुसार।

मैं आगे यह भी अवगत कराता हूँ कि मैंने प्रबंधन को उक्त राशि के लिए पंजीकृत डाक से डिमांड नोटिस भेजा था, जिसका प्रबंधन ने न तो भुगतान किया है और न ही मुझे भुगतान करने की पेशकश की है, जबकि एक पखवाड़ा बीत चुका है। राशि का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

मैं अनुरोध करता हूँ कि उक्त राशि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रबंधन से वसूल की जाए और मुझे यथाशीघ्र भुगतान किया जाए।

मुझे यह आवेदन करने तथा उसे देय उपरोक्त राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए .....(यहां श्रमिक का नाम डालें) द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया गया है।

मैं मृतक श्रमिक का उत्तराधिकारी/अधिकारी हूँ तथा उसे देय उपरोक्त राशि का भुगतान प्राप्त करने का हकदार हूँ।

अधिकृत व्यक्ति/उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर

निवास.....

दिनांक.....

पता.....

संलग्नक

(यहाँ दावा की गयी राशि का विवरण दर्शाएं)

प्रपत्र- XXVI

(धारा-59 (नियम 47 देखें))

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आवेदन)

राज्य सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष.....  
और.....के बीच

(1) आवेदक/आवेदकों के नाम.....

(2) सेवायोजक का नाम.....

याचिकाकर्ता(ओं).....मैसर्स.....के एक कार्यकर्ता हैं। याचिकाकर्ता(ओं) ने हस्ताक्षर किये हैं, वे.....के कार्यकर्ता/कर्मचारी हैं तथा मैसर्स.....से संलग्न विवरण में उल्लिखित धन/लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।

यह प्रार्थना की जाती है क न्यायाधिकरण याचिकाकर्ता(ओं) को देय राशि/राशियों का निर्धारण करने की कृपा करें।

आवेदक(ओं) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

पता.....

निवास.....

दिनांक.....

संलग्नक

(यह देय धनराशि या अर्जित लाभों का विवरण उनकी स्वीकार्यता के मामले के साथ दिया गया है।)

प्रपत्र- XXVII

(धारा-59 (नियम 47 देखें))

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 की उपधारा (2) के तहत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन, जो मृतक कर्मचारी का उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी द्वारा अधिकृत है)

राज्य सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष.....  
और.....के बीच

(1) आवेदक/आवेदकों के नाम.....

(2) सेवायोजक का नाम.....

मैं/हम मृतक कर्मचारी के समनुदेशिनी हैं और उसकी ओर से आवेदन करने के हकदार हूँ/हैं।  
श्री/श्रीमती.....मैसर्स.....के पूर्व कर्मचारी,  
उक्त मैसर्स.....से संलग्न विवरण में उल्लिखित धन/लाभ प्राप्त करने के हकदार है।

यह प्रार्थना की जाती है कि न्यायाधिकरण मृतक कर्मचारी को देय राशि/राशियों का निर्धारण करने की कृपा करें।

श्रमिक का नाम और पता.....

उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर

पता.....

निवास.....

दिनांक.....

संलग्नक

(इसमें देय धनराशि या उपार्जित लाभों का विवरण तथा उनकी स्वीकार्यता का मामला दिया गया है।)

प्रपत्र- XXVIII

(धारा-62(4)) (नियम 48(1), (66) देखें)

(पंजीकृत ट्रेड यूनियन/वार्ताकार यूनियन या वार्ताकार परिषद द्वारा हड़ताल का नोटिस)

सेवा में,

.....(नियोक्ता का नाम)

प्रिय महोदय,

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 62 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, मैं/हम आपको यह नोटिस देते हैं कि मैं/हम अनुलग्नक में बताए गए कारणों से दिनांक .....को हड़ताल बुलाने/हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव रखते हैं।

दिनांक.....को आयोजित बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत श्रमिकों के पांच प्रतिनिधियों का विधिवत् निर्वाचन हुआ। (प्रस्ताव की प्रति संलग्न है)

(कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम)

दिनांक.....

सादर,  
(पंजीकृत ट्रेड यूनियन/वार्ता संघ/वार्ता  
परिषद के सचिव)

मामले का विवरण/हड़ताल बुलाने के प्रस्ताव के  
कारण.....

प्रतिलिपि:

1. सुलह अधिकारी,.....(सम्बन्धित सुलह अधिकारी)
2. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ०प्र०.....
3. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय), उ०प्र०।
5. श्रम ब्यूरो।

प्रपत्र- XXIX

(धारा-62(5) (6)) (नियम 49 का उपनियम (1), (66) देखें)  
(औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा दिया जाने वाला तालाबंदी का नोटिस)

औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं नियोक्ता का नाम.....

पता.....

दिनांक.....

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 62 की उपधारा (5) के प्रावधानों के अनुसार, मैं/हम सभी सम्बन्धितों को नोटिस देते हैं कि मेरा/हमारा इरादा अनुलग्नक में बताये गये कारणों से दिनांक .....से मेरे/हमारे प्रतिष्ठान के .....विभाग(ओं)/अनुभाग(ओं) में तालाबंदी करने का है।

हस्ताक्षर.....

नाम और पदनाम.....

अनुलग्नक

कारणों का विवरण

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के सचिव.....

2. सुलह अधिकारी.....
3. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ०प्र०.....
4. श्रम आयुक्त, उ०प्र०।
5. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उ०प्र०।
6. श्रम ब्यूरो।

प्रपत्र- XXX

(धारा-70(सी), 74(1)) (नियम 50, 52 एवं 66 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय IX के प्रावधानों के अन्तर्गत नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली छंटनी/बंदी की सूचना)

औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नि. का नाम.....

पता.....

श्रमिक पहचान संख्या.....

दिनांक.....

(नोट -बंदी करने/छंटनी की सूचना बंदी करने/छंटनी शुरू होने के क्रमशः 60 दिन/ 30 दिन पहले राज्य सरकार को दी जायेगी)

सेवा में,

सचिव, उ०प्र० शासन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लखनऊ।

महोदय,

\* (छंटनी) (क) इस संहिता की धारा 70(सी) के तहत, मैं/हम आपको सूचित करते हैं कि मैंने/हमने कुल.....श्रमिकों में से .....श्रमिकों की छंटनी करने का निर्णय लिया है, जो.....(दिनांक/माह/वर्ष) से प्रभावी है।

या

\* (बंद करना) (ख) इस संहिता की धारा 74(1) के अन्तर्गत मैं/हम आपको सूचित करता हूँ कि मैंने/हमने.....(औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम) या उपक्रम को.....(दिनांक/माह/वर्ष) से बंद करने का निर्णय लिया है। उपक्रम के बंद होने के कारण जिन श्रमिकों की सेवाएं समाप्त हो जायेगी उनकी संख्या.....(श्रमिकों की संख्या) है।

1. छंटनी/बंद करने का कारण है.....

2. सम्बन्धित कर्मचारी (कर्मचारियों)\* को इस संहिता की धारा 70\* के खण्ड (क)/धारा 75\* की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपेक्षित दिनांक.....(दिनांक/माह/वर्ष) को एक माह का लिखित नोटिस दिया गया।

या

\*कर्मचारी(ओं) को .....(दिन/माह/वर्ष) को नोटिस के बदले एक माह का वेतन दिया गया है, जैसा कि संहिता की धारा 70 के खण्ड (क)/धारा 75\* की उपधारा (1) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

3. छंटनी एक समझौते के अनुसरण में की जा रही है, जिसकी एक प्रति संलग्न है।

4. औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या.....है और छंटनी से प्रभावित होने वाले कुल लोगों की संख्या नीचे दी गई है:

| छंटनी किये जाने वाले कामगारों की श्रेणी और पदनाम | काम करने वालों की संख्या |               |
|--|--------------------------|---------------|
|  | कार्यरत                  | छंटनी की जानी |
| 1  | 2                        | 3             |

5. मैं/हम घोषण करते हैं कि सम्बन्धित कर्मचारी (ओं) को नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले या उसके बाद इस संहिता की धारा 70/धारा 75 के अन्तर्गत देय मुआवजे के साथ उनकी सभी देनदारियों का भुगतान कर दिया गया है/कर दिया जायेगा।

या

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के सम्बन्ध में दिवालियापन की कार्यवाही चल रही है और मैं/हम सम्बन्धित कानूनों के तहत उन्हें देय मुआवजे के साथ-साथ सभी बकाया राशि का भुगतान करूँगा/करेंगे।

6. \*(छंटनी) मैं/हम एतद्वारा घोषण करते हैं कि सम्बन्धित कर्मचारी (ओं) की इस संहिता की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में छंटनी कर दी गयी है/की जायेगी।

7. \*मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि इस मामले में किसी भी न्यायालय में कोई मामला लम्बित नहीं है, और यदि हाँ, तो उसका विवरण संलग्न है।

8. \*मैं/हम घोषण करते हैं कि इस नोटिस और अनुलग्नकों में मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है, मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ/हैं और इस मामले में कोई तथ्य/सामग्री नहीं छिपाई गई है।

आपका विश्वासी

हस्ताक्षर

(नियोक्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का नाम मुहर सहित)

(\*जिसकी हड़ताल लागू नहीं होती)

(\*\*संख्याओं को अंको और शब्दों दोनों में दर्शाएं)

(\*\*\*नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी)

अनुलग्नक  
बंद करने/ छंटनी के कारणों का  
विवरण.....

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ0प्र0।
2. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. रोजगार अधिकारी, रोजगार कार्यालय (सम्बन्धित रोजगार कार्यालय का पूरा पता दर्ज करें)
4. प्रतिष्ठान/उपक्रम में कार्यरत सभी पंजीकृत ट्रेड यूनियन/श्रमिकों के अधिकृत प्रतिनिधि।

5. श्रम ब्यूरो।

प्रपत्र- XXXI

(धारा-70(सी), 78(2), 79(2), 80(1)) (नियम 50, 53, 55, 57 एवं 66 देखें)  
(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय X तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत नियोक्ता/औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम द्वारा राज्य सरकार को निकालने/छंटनी/बंद करने की अनुमति के लिये आवेदन)

औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता का नाम.....

पता.....

श्रमिक पहचान संख्या.....

दिनांक.....

(नोट - आवेदन राज्य सरकार को नीचे बताए अनुसार भेजा जायेगा)

1. छंटनी: इच्छित छंटनी से कम से कम 15 दिन पहले।
2. छंटनी जारी रखना - पहले की छंटनी की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले।
3. छंटनी: छंटनी की इच्छित तिथि से कम से कम 60 दिन पहले।
4. समापन: समापन की इच्छित तिथि से कम से कम 90 दिन पहले। )

सेवा में,

सचिव, उ0प्र0 शासन

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लखनऊ।

महोदय,

1. \*(छंटनी) (क) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 78(2) के अन्तर्गत, 'मैं/हम, 'मेरे/हमारे प्रतिष्ठान (विवरण अनुलग्नक-1 में दिया जायेगा) में नियोजित कुल....."श्रमिकों में से .....". श्रमिकों को .....(दिनांक/माह/वर्ष) से छंटनी करने की अनुमति के लिए आवेदन करता/करती है।

या

\* (छंटनी जारी रखना) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 78(3) के अन्तर्गत, मैं/हम, मेरे/हमारे प्रतिष्ठान में कुल छंटनी किये गये श्रमिकों में से ..... "श्रमिकों की छंटनी जारी रखने की अनुमति के लिये आवेदन करता/करते हैं (विवरण अनुलग्नक-1 में दिया जाएगा) जो .....(दिनांक/माह/वर्ष) से प्रभावी होगी।

या

\* (छंटनी जारी रखना) (ग) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 79(2) के अन्तर्गत, मैं/हम, मेरे/हमारे प्रतिष्ठान में कार्यरत कुल.....श्रमिकों में से (विवरण अनुलग्नक-1 में दिया जाएगा) श्रमिकों की .....(दिनांक/माह/वर्ष) से अपेक्षित छंटनी हेतु अनुमति के लिये आवेदन करता/करते है।

या

\* (बंद करना) (घ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 80(1) के अन्तर्गत, मैं/हम आपको सूचित करते है कि मैं/हम उपक्रम को.....(औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम या नियोक्ता का नाम) (विवरण अनुलग्नक-1 में दिया जाएगा) को .....(दिनांक/माह/वर्ष) से बंद

करने का इरादा रखते हैं। उपक्रम के बंद होने के कारण जिन श्रमिकों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, उनकी संख्या..... है (श्रमिकों की संख्या)

2. \*(छंटनी) सम्बन्धित कर्मचारी (ओं) को इस संहिता की धारा 78(2)\*/धारा 78(3)\* के अन्तर्गत अपेक्षित लिखित नोटिस.....(दिन/माह/वर्ष) को दिया गया।

या

\* (छंटनी/बंद) से सम्बन्धित कर्मचारी (ओं) को इस संहिता की धारा 79\*/धारा 80\* के अन्तर्गत अपेक्षित रूप से .....(दिन/माह/वर्ष) को एक माह का लिखित नोटिस दिया गया।

या

\* (छंटनी/बंद) से सम्बन्धित कर्मचारी(ओं) को इस संहिता की धारा 79\*/धारा 80\* के अन्तर्गत.....(दिन/माह/वर्ष) को एक माह का लिखित नोटिस दिया गया।

3. प्रभावित श्रमिक (ओं) का विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है।

4. (छंटनी) 'मैं/हम एतद्वारा घोषण करते हैं कि संबंधित श्रमिकों की इस संहिता की धारा 71 और 72 के अनुपालन में छंटनी की जायेगी।

5. \*मैं/हम घोषण करते हैं कि संबंधित कर्मचारी (ओं) को इस संहिता की धारा 67 के साथ पठित धारा \*78(10)/धारा \*79/ धारा 80 के अन्तर्गत उन्हें देय सभी बकाया राशि और प्रतिकर का भुगतान नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले या उस पर कर दिया \*गया है/कर दिया जाएगा।

या

\*मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता के सम्बन्ध में दिवालियापन की कार्यवाही चल रही है, और 'मैं/हम सम्बन्धित कानूनों के तहत उन्हें देय मुआवजे के साथ-साथ सभी बकाया राशि का भुगतान करेंगे।

6. \*मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि इस मामले में किसी भी न्यायालय में कोई मामला लम्बित नहीं है, और यदि हाँ, तो उसका विवरण संलग्न है।

7. \*मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस नोटिस और संलग्नों में 'मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है, 'मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और मामले में कोई तथ्य/सामग्री छिपाई नहीं गयी है।

कृपया मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए।

भवदीय,

(नियोक्ता का नाम/  
अधिकृत प्राधिकारी द्वारा मुहर  
सहित”

(\*जिसकी हड़ताल लागू नहीं होती)

(\*\*संख्याओं को अंको और शब्दों दोनों में दर्शाएं)

(\*\*\*नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रति संलग्न की जाएगी)

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ०प्र०।
2. श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

3. रोजगार अधिकारी, रोजगार कार्यालय (सम्बन्धित रोजगार कार्यालय का पूरा पता दर्ज करें)
4. प्रतिष्ठान/उपक्रम में कार्यरत सभी पंजीकृत ट्रेड यूनियन/श्रमिकों के अधिकृत प्रतिनिधि।
5. श्रम ब्यूरो।

अनुलग्नक- 1

(कृपया प्रत्येक विवरण के विरुद्ध उत्तर दें)

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | उपक्रम का नाम, पूरा डाक पता, ई-मेल, मोबाइल और लैंडलाइन नंबर।<br>(क) कॉर्पोरेट पहचान संख्या<br>(ख) माल और सेवा कर पहचान संख्या (जी.एस.टी.आई.एन.)   |  |
| 2. | उपक्रम की स्थिति-<br>(1) क्या यह राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/निगम/विदेशी बहुलांश कंपनी/संयुक्त क्षेत्र उद्यम आदि है।<br>(2) क्या यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/साझेदारी फर्म है।<br>(3) यदि यह बड़े औद्योगिक घराने से संबंधित है, तो कृपया नियंत्रक समूह का उल्लेख करें और यदि यह विदेशी बहुलांश कंपनी है, तो विदेशी होल्डिंग की सीमा का उल्लेख करें।<br>(4) क्या उपक्रम लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत है और यदि हां, तो लाइसेंसिंग/पंजीकरण प्राधिकारी का नाम और लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या।   |  |
| 3. | (क) छंटनी के लिए प्रस्तावित प्रभावित श्रमिकों के नाम और पते/औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के लागू होने से पहले छंटनी किए गए श्रमिकों के नाम और पते और उनमें से प्रत्येक की छंटनी की तारीखें।<br>(ख) छंटनी के लिए प्रस्तावित प्रभावित श्रमिकों के नाम और पते।<br>(ग) प्रस्तावित बंद से प्रभावित श्रमिकों की कुल संख्या और श्रेणियां, उनके नाम और पते सहित।<br>(घ) उप मद (क), (ख) या (ग) में निर्दिष्ट श्रमिकों के कर्तव्यों की प्रकृति, जैसा भी मामला हो, वे इकाइयां/अनुभाग/दुकानें जहां वे काम कर रहे हैं या कर रहे थे और उनके द्वारा प्राप्त मजदूरी। |  |
| 4. | विनिर्माण वस्तुएं और अनुसूचित उद्योग/उद्योग जिनके अंतर्गत वे आते हैं  |  |
| 5. | स्थापित क्षमता, लाइसेंस प्राप्त क्षमता और उपयोग की गई क्षमता से संबंधित विवरण   |  |
| 6. | (i) पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक उत्पादन, मदवार<br>(ii) पिछले बारह महीनों के लिए महीनेवार उत्पादन के आंकड़े  |  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     | (iii) पिछले 12 महीनों में प्रत्येक महीने के अंतिम दिन स्टॉक की स्थिति<br>(iv) पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक बिक्री के आंकड़े और पिछले बारह महीनों के लिए महीनेवार बिक्री के आंकड़े, मदवार और मूल्यवार दोनों  |  |
| 7.  | कार्य प्रगति पर: मदवार और मूल्यवार   |  |
| 8.  | उत्पादों या उसके किसी घटक को उतारने या उप-ठेके पर देने से संबंधित कोई भी व्यवस्था  |  |
| 9.  | अगले छः माह और एक वर्ष की अवधि के लिए तथा उक्त एक वर्ष की समाप्ति के बाद की अवधि के लिए ऑर्डर बुक की मदवार और मूल्यवार स्थिति  |  |
| 10. | एक सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या, प्रतिदिन शिफ्टों की संख्या तथा प्रत्येक शिफ्ट में श्रमिकों की संख्या   |  |
| 11. | पिछले तीन वर्षों के बैलेंस शीट, लाभ और हानि खातों सहित प्रतिष्ठान / उपक्रम की लेखापरीक्षा रिपोर्ट  |  |
| 12. | (क) एक दूसरे से जुड़ी हुई कंपनियों या एक ही प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के नाम<br>(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान अंतर-कॉर्पोरेट निवेश और परिवर्तनों के बारे में विवरण।<br>(ग) उपक्रम के किसी भी निदेशक और अधिकारी का हित जो समान या समान प्रकार का उत्पाद बनाता है।<br>(घ) उपक्रम के लिए कच्चे माल और घटकों की खरीद में शामिल संगठनों/व्यक्तियों के साथ निदेशकों और अधिकारियों का हित |  |
| 13. | उपक्रम में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या (श्रेणीवार), तथा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत परिभाषित श्रमिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों की संख्या  |  |
| 14. | उत्पादन की कुल लागत में श्रमिकों की मजदूरी का प्रतिशत  |  |
| 15. | पिछले तीन वर्षों में प्रशासनिक, सामान्य और विक्रय लागत/प्रति वर्ष तथा कुल लागत में उसका प्रतिशत  |  |
| 16. | (क) पिछले तीन वर्षों में की गई छंटनी/छंटनी का ब्यौरा (उस छंटनी को छोड़कर जिसके लिए अनुमति मांगी गई है) जिसमें ऐसी छंटनी/छंटनी की अवधि, प्रत्येक छंटनी/छंटनी में शामिल कामगारों की संख्या और उसके कारण शामिल हैं।<br>(ख) प्रस्तावित छंटनी/छंटनी जिसके लिए अनुमति मांगी गई है, के कारण प्रत्याशित बचत  |  |
| 17. | (क) क्या छंटनी किए गए किसी भी कर्मचारी को पुनः रोजगार दिया गया है, और यदि हां, तो कब? ब्यौरा दें   |  |

|     |  |                                      |
|-----|--|--------------------------------------|
|     | (ख) क्या छंटनी किए जाने वाले प्रस्तावित कर्मचारियों की श्रेणियों के संबंध में वरिष्ठता सूची रखी गई है और यदि हां, तो प्रभावित कर्मचारी का ब्यौरा और स्थिति क्या है, जिसमें सेवा की टूटी हुई अवधि सहित उनकी सेवा अवधि का संकेत दिया गया है? |                                      |
| 18. | निम्न में कमी के कारण बचत को प्रभावित करने का कोई प्रस्ताव-<br>(i) प्रबंधकीय पारिश्रमिक<br>(ii) बिक्री संवर्धन लागत, और<br>(iii) सामान्य प्रशासन व्यय  |                                      |
| 19. | पिछले बारह महीनों के लिए मालसूची की स्थिति-मद-वार और मूल्य-वार (तैयार उत्पादों, घटकों और कच्चे माल के संबंध में मालसूची को अलग-अलग मद-वार और मूल्य-वार दर्शाया जाना है।)   | (बंद होने की स्थिति में भरा जाना है) |
| 20. | पिछले तीन वर्षों की विक्रय व्यवस्था तथा पिछले बारह महीनों में विक्रय व्यवस्था में कोई परिवर्तन।  |                                      |
| 21. | कच्चे माल और घटकों की खरीद व्यवस्था  |                                      |
| 22. | (क) प्रस्तावित छंटनी/छंटनी/बंद करने के कारण, जिसके लिए अनुमति मांगी गई है।<br>(ख) प्रस्तावित छंटनी/छंटनी/बंद करने से बचने के लिए अब तक किए गए विशिष्ट प्रयास, जिसके लिए अनुमति मांगी गई है।  |                                      |
| 23. | कोई अन्य प्रासंगिक विवरण जो छंटनी/छंटनी जारी रखने/छंटनी/बंद करने से संबंधित हो   |                                      |

\*जो भी लागू न हो, उसे काट दें।

अनुलग्नक- II  
(प्रभावित श्रमिकों का विवरण)

| क्र० सं० | यूएन/सीएमपीए फओ | श्रमिक का नाम | श्रेणी (अत्यधिक कुशल/अर्धकुशल /अकुशल | वह तारीख, जिससे आप उक्त प्रतिष्ठान/उपक्रम/नियोक्ता में/के साथ सेवा में हैं | आवेदन की तिथि पर वेतन | अन्य विवरण |
|----------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 1.       |                 |               |                                      |  |                       |            |
| 2.       |                 |               |                                      |  |                       |            |
| 3.       |                 |               |                                      |  |                       |            |

प्रपत्र-XXXII

(Section-89(1)(4)) (Rule 61, 66)

(पहली बार अपराध करने वाले नियोक्ता/व्यक्ति को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 के तहत नियम 61 के साथ पढ़े गए अपराध के शमन के लिए नोटिस)

अधोहस्ताक्षरी, कंपाउंडिंग अधिकारी, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 89 के प्रयोजनों के लिए, आपको सूचित करता है कि आपके खिलाफ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इस संहिता के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अपराध करने का आरोप लगाया गया है।

भाग- I

1. अपराधी नियोक्ता/व्यक्ति का नाम और पता .....
2. प्रतिष्ठान का पता .....
3. अपराध का विवरण .....
4. संहिता की वह धारा, जिसके अन्तर्गत अपराध किया गया है .....
5. अपराध के शमन हेतु भुगतान की जाने वाली शमन राशि आवश्यक है .....

भाग- II

आपको सलाह दी जाती है कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 89 के साथ नियम 61 के साथ पठित अपराध को कम करने के लिए इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित राशि, इस नोटिस के भाग- III में विधिवत भरे हुए आवेदन के साथ जमा करें।

यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आपको कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा और उक्त संहिता की धारा 87 के तहत मुकदमा दायर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

(कम्पाउंडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

भाग- III

(अपराध के शमन के लिए नियम 61 के साथ पठित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 89 की उप-धारा (4) के तहत आवेदन)

1. आवेदक का नाम (नियोक्ता/व्यक्ति का नाम जिसने औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (2020 का 35) के तहत अपराध किया है) का उल्लेख किया जाना चाहिए .....
2. आवेदक का पता .....
3. अपराध का विवरण .....
4. संहिता की वह धारा, जिसके अन्तर्गत अपराध किया गया है .....

- .....
- 5 जमा की गई कंपाउंडिंग राशि का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेनरेट की गई रसीद संलग्न करें)
- .....
6. उपर्युक्त अपराधों के उल्लंघन के लिए दायर किए गए अभियोजन का विवरण दिया जा सकता है
- .....
7. क्या अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया है, यदि किया है तो अपराध का पूरा विवरण
- .....
- .....
8. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करना चाहता है
- .....
- .....

आवेदक  
(नाम एवं हस्ताक्षर)

दिनांक:  
स्थान:  
प्रतिलिपि: श्रम ब्यूरो

प्रपत्र- XXXIII

(Section-91) [sub-rule (1) of rule 63]

धारा 91 के तहत सेवा की शर्तों में बदलाव के संबंध में शिकायतें।

के समक्ष

1. सुलह अधिकारी .....
2. पंच .....
3. ट्रिब्यूनल .....

के बीच में

.....(शिकायतकर्ता का नाम व पता)

और

.....विपक्षी पक्ष का नाम व पता)

शिकायतकर्ता यह शिकायत करने के लिए निवेदन करता है कि विपक्षी पक्ष औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की

धारा 90 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी है/रहा है जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

.....

.....

(यहां संक्षेप में विवरण दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कथित उल्लंघन किस तरीके से हुआ है

और

वह आधार जिस पर नियोक्ता के आदेश या कार्य को चुनौती दी गई है)

शिकायतकर्ता तदनुसार प्रार्थना करता है/ प्रार्थना करते हैं कि सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/न्यायाधिकरण ऊपर दी गई शिकायत पर मध्यस्थता करने या निर्णय लेने और उस पर ऐसा आदेश या आदेश पारित करने में प्रसन्न हो जो वह उचित और उचित समझे।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के तहत आवश्यक शिकायत की प्रतियों की संख्या और उसके अनुलग्नक यहां प्रस्तुत किए गए हैं।

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर  
दिनांक.....

#### सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि ऊपर पैराग्राफ... में जो कहा गया है वह मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और ऊपर पैराग्राफ में जो कहा गया है वह प्राप्त जानकारी के आधार पर कहा गया है और मुझे विश्वास है कि यह सच है। इस सत्यापन पर मेरे द्वारा .....दिन.....20.....को हस्ताक्षर किया गया है।

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

#### प्रपत्र- XXXIV

(Section-42(5), 94(1)(2) [Rule 42, 64 and Rule 65]

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी श्रमिक, श्रमिकों के समूह, नियोक्ता या नियोक्ता के समूह द्वारा प्राधिकार

(यहां संबंधित प्राधिकारी का उल्लेख करें)

संदर्भ संख्या ..... का .....  
के बीच विवाद के मामले में..... (श्रमिक)

#### बनाम

.....(सेवायोजक)

मुझे लगता है हम .....। इसके द्वारा श्री/सुश्री ..... (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम) को उपर्युक्त मामले में मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष दस्तावेज दाखिल करने या निरीक्षण करने या प्रतियोगिता प्रस्तुत करने या मामले से समझौता करने के लिए समझौता/ समझौते या किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके पुनर्स्थापन आवेदन दायर करने के लिए अधिकृत करता हूं, जैसा कि मेरी ओर से आवश्यक हो सकता है, यदि दलीलें या आवेदन दाखिल करने का इतिहास है या मेरे/हमारे हित के लिए अनुकूल कोई कार्य करने के लिए जब तक कि उपर्युक्त मामले का अंतिम निपटान नहीं हो जाता, इस अधिकार को मेरे/हम सभी द्वारा रद्द कर दिया जाता है। अप्रवर्तनीय हो जाओ.

मैं/हम यहां इस वादे के साथ आए हैं कि जहां तक इस मामले का संबंध है, मैं/हम अपने उपरोक्त प्रतिनिधियों के कृत्यों से कानूनी रूप से बाध्य होंगे। इस प्रकार अधिकृत व्यक्ति, जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी भी समय मुझे/हमें बिना कोई सूचना दिए और बिना कोई कारण बताए इस प्राधिकार को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

दिनांक

(प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देने वाले व्यक्तिके नाम एवं हस्ताक्षर)

द्वारा स्वीकार किया गया  
(नाम, पता और हस्ताक्षर प्राधिकृत प्रतिनिधियों की)